तृतीय माला, खण्ड १५——अंक ३०

गुरुवार, २८ मार्च, १९६३
७ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १५ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न* संख्या ६२२ से ६३५ .	२६०६--३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ से ६४१ . .	२६३२--३४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२४१ से १२८८ .	२६३४--५४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६५४
याचिका समिति--	
कार्यवाही सारांश और पहिला प्रतिवेदन . . .	२६५५
अनुदानों की मांगें	२६५५--३०१६
श्रम और रोजगार मंत्रालय . . .	२६५५--६३
श्री नन्दा	२६५५--६३
गृह-कार्य मंत्रालय	२६६३--३०१६
श्री वासुदेवन नायर . . .	२६६५--६७
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	२६६७--७०
श्री रंगा	२६७०--७२
श्री बाकर अली मिर्जा	२६७२--७३
श्री शिव नारायण	२६७३--७७
श्री उ० मू० त्रिवेदी	२६७७--७८
श्री बसुमतारी	२६७९
श्री शिवचरण गुप्त	२६७९--८०
श्री महेश दत्त मिश्र	२६८०--८१
श्री हरि विष्णु कामत	२६८१--८२
श्री मुहम्मद ताहिर	२६८२--८५
श्री सिद्दय्या	२६८५
श्री जेना	२६८६
डा० मा० श्री० अणे	२६८६--८७
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट	२६८७--८८

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, २८ मार्च, १९६३

७ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गवर्नमेंट प्रेस, फरीदाबाद में ब्लाक बनाना

+

*६२२. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, फरीदाबाद में स्थापित एबोनाइट ब्लाक बनाने का जो यंत्र लगाया गया था उसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्लाक बनने लगे हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पु० शे० नास्कर): (क) हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जितने ब्लाक गवर्नमेंट आफ इंडिया के बनते हैं, और जितने भी विभिन्न विभागों द्वारा बनवाये जाते हैं, वे सब के सब फरीदाबाद के संयंत्र में बनने लगे हैं या अब भी टाइम्स आफ इंडिया प्रेस और दूसरी जगहों से बनवाये जाते हैं और यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : जहां तक हमारा ताल्लुक है, जो हमारी कैपेसेटी थी, वह पूरी युटिलाइज नहीं होती रही है । तीन चार महीने हुए इनफार्मेशन

एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री से हमारी बात हुई थी और अब हमें आशा है कि काम जो है, वह सरकारी छापेखानों में ज्यादा आना शुरू हो जायगा। अब भी वह टाइम्ज आफ इंडिया प्रेस में जाता है, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूं।

श्री म० ला० द्विवेदी : यह इक्विपमेंट जो बाहर से मंगाया गया है, इस में कुल कितना रुपया खर्च हुआ है और जो पुर्जे इजिप्ट एक्शन के वक्त, अंग्रेजों ने जब हमला बोला था, उस वक्त गायब हो गए थे, उन पुर्जों को मंगाने के लिये क्या व्यय किया गया है और कहां से वे मंगाये गए हैं या मंगाये जायेंगे ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : इसकों मैं जानता नहीं हूं। सवाल पूछा जाये तो जवाब दे दूंगा। तीन चार बरस पहले की बात नजर आती है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** ब्लाकों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? क्या सरकारी दस्तावेजों के छापने के लिये आवश्यक सभी ब्लाक यहां सरकारी मुद्रणालय में ही बनाये जाते हैं अथवा वह अन्य किसी मुद्रणालय में बनाये जाते हैं ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** स्थिति यह है कि भारत सरकार के अधीन बहुत से मुद्रणालय हैं और उनका सम्बन्ध मेरे मंत्रालय से है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक विभाग है जिसे श्रव्य-दृश्य प्रचार[1] विभाग कहा जाता है। अब मेरा प्रयत्न यह है कि भारत सरकार के मुद्रणालय में जितना भी कार्य किया जा सकता है वह हमें मिले। जब हम किसी कार्य को करने की स्थिति में नहीं हों तो हम किसी बाहरी मुद्रणालय से कार्य करा सकते हैं। मैं अब इस आधार पर कार्य कर रहा हूं। मैंने सरकारी मुद्रणालयों की क्षमता बढ़ा दी है और मेरा विचार है कि हम भारत सरकार का सब कार्य इनमें कर सकेंगे सिवाय उस समय के जब कि गम्भीर आपातकाल हो और हो सकता है कि तब हमें बाहरी मुद्रणालयों में कार्य कराना पड़े।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इस समय इस संयंत्र की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** पूर्ण क्षमता इस अर्थ में कि हमने अपने भारत सरकार के मुद्रणालयों में क्षमता नहीं बढ़ाई। मैं इन सरकारी मुद्रणालयों में दुहरी पालियां चलाने के व्यवस्था कर रहा हूं और जब कि दुहरी पालियों में कार्य होने लगेगा तो भारत सरकार के मुद्रणालयों में पर्याप्त क्षमता हो जायेगी।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** तुलना की दृष्टि से देखते हुए क्या यह मुद्रणालय अन्य मुद्रणालयों, जैसे कि टाइम्स आफ इंडिया मुद्रणालय, के समान ही कार्य कर रहा है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** स्वयं अपने ही मुद्रणालयों की प्रशंसाओं के गीत गाना ही मेरे लिये बहुत कठिन होगा, परन्तु इस प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार अवश्य दे सकता हूं। हमारी समस्त सुन्दर पत्रिकायें जैसे कि **"मार्च आफ इंडिया"** भारत सरकार के मुद्रणालय में ही मुद्रित की जाती हैं और आपातकाल के समय में भी हमने पूरी पूरी संख्या में यह पत्रिकायें निकाली हैं; जो कुछ भी हमें दिया गया, चाहे वह चीन सम्बन्धी दस्तावेज थे अथवा अन्य प्रकार के दस्तावेज, चाहे वह हमारी अपनी भाषा में थे अथवा अन्य भाषाओं में, हमने उसे समय पर ही छाप दिया और उसे संसद् सदस्यों को उपलब्ध कर दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Audio-Visual Publicity.

सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों के लिये भूमि का अर्जन

+

†*९२३. { श्री यशपाल सिंह :
{ श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों की और अधिक बस्तियों के लिये दिल्ली में भूमि अर्जन की योजनाओं पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). निम्नलिखित स्थानों पर लगभग २,२०० एकड़ भूमि अर्जन करने के लिये प्रस्ताव विचाराधीन हैं :—

(१) २२० एकड़ रामाकृष्णापुरम् के दक्षिण में,

(२) २०० एकड़ मसजिद मोठ क्षेत्र में,

(३) १५०० एकड़ बदरपुर महरौली सड़क पर, और

(४) ३०० एकड़ शाहदरा में ।

श्री यशपाल सिंह : लो पेड सर्वेंट्स जो हैं, उनको आफिसिस के पास में ही जगह दी जाये, क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात है। जिन मकानात को गिरा करके नए क्वार्टर बनाये जा रहे हैं, उन में भी सब से पहले छोटे कर्मचारियों को बसाया जाए, क्या यह भी गवर्नमैंट के ध्यान में है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : बिल्कुल मुकम्मिल ध्यान है और उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। मेरी ख्वाहिश यही है कि जिन क्वार्टर्स को गिराऊं और नए बनाऊं उन में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं जिस किसी विभाग के हैं, उनकी पहले जरूरियात पूरी कर लूं, फिर दूसरों की तरफ जाऊं ।

श्री हरि विष्णु कामत : आप अपनी इस ख्वाहिश में कामयाब हों ।

श्री विश्राम प्रसाद : बजाय इसके कि जमीन को एक्वायर किया जाये और बहुत से लोगों को बेघर बार किया जाए और बेखेती किया जाये, जो सिंगल स्टोरीड एम्प्लायीज के घर बने हैं या बंगले हैं जो सिंगल स्टोरीड हैं या उन बंगलोज के साथ जो जमीनें हैं, उन को मल्टी स्टोरीज बनाने की बात और उन जमीनों को इस्तेमाल में लाने की बात सरकार क्यों सोच नहीं रही है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह भी हमारी पालिसी है कि जहां तक हो सके हम मल्टी-स्टोरीज कंस्ट्रकशंज करें। लेकिन जिस तेजी से कैपिटल की आबादी बढ़ रही है मल्टी-स्टोरीज कंस्ट्रकशंज

†मूल अंग्रेजी में

हों या कैसी भी हों, जब तक जमीन एकवायर नहीं की जायेगी, हमारी जरूरियात पूरी नहीं हो सकेंगी ।

†**डा० रानेन सेन** : क्या अन्य बड़े नगरों के लिये भी जहां कि सहस्त्रों सरकारी कर्मचारी रहते तथा कार्य करते हैं किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल दिल्ली का है ।

श्री कछवाय : एंड्रूज गंज में साढ़े चार सौ झुग्गियां गिराई गई हैं जिन में कुछ सरकारी कर्मचारी रहते थे । मैं जानना चाहता हूं कि वहां मकान बनाने के लिये कितना समय लगेगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह जमीन का सवाल है । झुग्गियों का सवाल आगे आ रहा है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या हमें यह बात बताई जा सकती है कि जिन क्षेत्रों का अभी उल्लेख किया गया है उनके मूल्य बाजार के वर्तमान मूल्यों की तुलना में कैसे होंगे ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : भूमि अर्जन स्थानीय प्रशासन, मुख्य आयुक्त, के द्वारा किया जाता है और प्रतिकर भूमि राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत एक मध्यस्थ द्वारा निश्चित किया जाता है । इसके लिये एक प्रक्रिया निर्धारित है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : नई दिल्ली में आवास के सम्बन्ध में सरकार की अधूरी आवश्यकतायें कितनी हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हमारी आवश्यकतायें ९० हजार या १ लाख के लगभग हैं और हमारे पास ३० अथवा ३५ हजार के बीच मकान उपलब्ध हैं । हमारे पास ६०–७० प्रतिशत कमी है ।

रेंड बांध परियोजना से बिजली

†*६२४. **श्री विश्वाचरण शुक्ल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेंड़ जल-विद्युत् परियोजना में अधिष्ठापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ख) इस समय इसमें से कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी)** : (क) अधिष्ठापित क्षमता २५० मैगावाट है और १०० प्रतिशत लोड फैक्टर पर लगातार १०५ मैगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है ।

(ख) इस समय अधिकतम मांग लगभग १६० मैगावाट की है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : अधिष्ठापित क्षमता तथा उत्पादन में अन्तर क्यों है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : अन्तर तो होना ही है। स्वाभाविक रूप से ही, हमें जितनी बिजली इन यूनिटों से निश्चित रूप से मिलती है अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता उससे अधिक ही है, विशेष रूप से जल विद्युत स्टेशनों में तो है ही । बिजली उत्पादन क्षमता ५ × ५० अर्थात् २५० मैगावाट होती है जब कि लगातार १०० प्रतितश लोड फैक्टर पर बिजली उत्पादन १०५ मैगावाट होता है, इसमें कोई परस्पर विरोध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री विद्या चरण शुक्ल : पाँच विद्युत यूनिटों में से केवल दो ही इस समय कार्य कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि विजलीघरों मे बिजली का पूरा भार मुख्य रूप में इस कारण नहीं लिया जाता है क्योंकि बिजली ले जाने वाली लाइनें अभी तैयार नहीं हुई हैं और वहाँ बिजली के उपभोक्ता नहीं हैं।

†श्री अलगेशन : जितनी बिजली का इस समय उत्पादन किया जा रहा है उसका उपयोग करना सम्भव है। मेरा विचार है कि इस कारण कोई कमी नहीं है कि ट्रांसमिशन लाइनें नहीं लगाई गई हैं। जहाँ तक कार्य करने वाली यूनिटों की संख्या का सम्बन्ध है, वे कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करेंगी। जब अत्यधिक भार के समय उन्हें अधिक बिजली देनी होती है तो वे सब यूनिटों से कार्य ले सकते हैं। जब उन्हें बदले में बिजली मिल जाती है तो सारी यूनिटों में कार्य नहीं किया जाता। उदाहरणार्थ, रेंड की बिजली दामोदर घाटी निगम को दे दी गई। दामोदर घाटी निगम को अधिक मे अधिक ८० मैगावाट बिजली दी गइ जब कि दिन के कुछ घंटों के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली रेंड को लौटायी गई, तो उस समय यूनिट्स कार्य नहीं कर रहे होंगे। इस प्रणाली के कार्य करने का यह स्वरूप है।

†श्री श० ना० चतुर्वेदी : जो ग्रिड पद्धति अपनायी जा रही है क्या उससे उत्तर प्रदेश में अनुभव की जा रही कमी को दूर किया जा सकेगा ?

†श्री अलगेशन : जैसा कि मैंने बताया था, कुछ पद्धतियों में कमियाँ हो सकती हैं और अन्य कुछ में नहीं। जहाँ तक रेंड बाँध पद्धति का सम्बन्ध है यह कुछ कम अथवा अधिक आत्मनिर्भर ही होगी। अब यदि उपभोक्ता तैयार नहीं है तो अन्य राज्य विद्युत् बोर्डों की भलाई के लिये यह बिजली दूसरे क्षेत्रों को भेज दी जाती है। इसे एक क्रमवार आधार पर वापस ले लिया जायेगा तथा जब कभी भी उपभोक्ता तैयार होंगे यह उन्हें दे दी जायेगी।

†श्री श० ना० चतुर्वेदी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न तो यह था कि जो ग्रिड पद्धति अपनायी जा रही है क्या उससे उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सकेगा और वहाँ अनुभव की जा रही कमी को दूर किया जा सकेगा।

†श्री अलगेशन : यह मैं नहीं बता सकता, शायद रेंड पद्धति के प्रसंग में कोई कमी न हो। परन्तु उत्तर प्रदेश में और भी पद्धतियाँ हैं जो कि इससे सम्बन्धित नहीं हैं और वहाँ कुछ कमी हो सकती है।

†श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या इन जनित्रों का उपयोग न किये जाने तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बिजली के वितरण के प्रश्न पर चल रहे झगड़े में आपस में कोई सम्बन्ध है। क्या यह इस कारण है कि बिजली का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है।

†श्री अलगेशन : उस झगड़े तथा इस के बीच कोइ भी सम्बन्ध नहीं है।

†श्री म० ला० द्विवेदी : बिड़लाओं द्वारा चलाये जा रहे ऐल्यूमिनियम संयंत्र को तथा रेलवे को रेंड बाँध मे कितनी बिजली दी जा रही है ? इसका किस प्रकार वितरण किया जाता है ?

†श्री सै० अ० मेहदी : १ लाख ५६ हजार किलोवाट में से ४० हजार किलोवाट तो हिन्दुस्तान ऐल्यूमिनियम कारखाने को तथा १६ हजार किलोवाट रेलवे को दी जाती है। शेष अन्य उपभोक्ताओं को दे दी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि रिहन्द में पावर अधिक होने की वजह से डी० वी० सी० की ग्रिड के साथ उसे जोड़ दिया जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि उस को उत्तर प्रदेश की ग्रिड के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया जब कि वहाँ बिजली की कमी थी ?

†**श्री स० अ० मेहदी** : दामोदर घाटी निगम को अस्थायी रुप से संभरण किया जा रहा है। यह लगभग २० हजार किलोवाट है। यह एक स्थायी व्यवस्था नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक आम शिकायत है कि बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सिंचाइ सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं किया जाता, क्या मैं जान सकता हूं कि यह देखने के लिये कि रेंड बांध द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का पूरा उपयोग किया जाय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री स० अ० मेहदी** : जैसा कि मैंने बताया है, सारी उपलब्ध बिजली बाँट दी गई है और उसका उपयोग किया जा रहा है। अतएव, माननोय सदस्य का प्रश्न उठता ही नहीं है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : उन क्षेत्रों में बिजली का उपयोग करने के लिये जिनके लिये कि यह बनाइ गई थी जो यदि कोई सक्रिय प्रयत्न किये गये हैं तो वे क्या हैं और अन्य क्षेत्रों से जैसे कि दामोदर घाटी निगम से बिजली कब वापस ली जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)** : जहाँ तक उस क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहाँ इस समय इतनी बिजली की आवश्यकता नहीं है जितनी कि वहाँ बनाईं जाती है। इसे अन्य स्थानों को देना ही पड़ता है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न यह है कि जिस क्षेत्र के लिये यह बिजली बनाई गई थी उसमें जो अधिक बिजली है उसका उपयोग करने के लिये यदि कोई सक्रिय प्रयत्न किये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

†**हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम** : उसे मैं इस प्रकार बताता हूं। रिहन्द पद्धति के उस क्षेत्र में पहले ही तीन बिजलीघर हैं और वहाँ बिजली का उपयोग किया जा रहा है। रिहन्द बांध पर जो बिजली बनाई जाती है उसका भी एक भाग वहाँ भेजा जाता है ; और एक भाग अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। इस कारण, इस समय वहाँ उसका उपयोग नहीं किया जाता।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मेरे प्रश्न का उत्तर अब भी नहीं दिया गया है। जिन क्षेत्रों के लिये यह बिजली बनाई गई थी उन्हीं क्षेत्रों में इसका उपयोग करने के लिये यदि कोइ ठोस प्रयत्न किये जा रहे हैं तो वे क्या हैं, जिससे कि यह उन क्षेत्रों से वापस ली जा सके जिन्हें यह अस्थायी रूप में दी जा रही है ?

†**हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम** : इस प्रकार के प्रयत्न उद्योग विभाग द्वारा किये जाते हैं और मुझे विश्वास है कि वे प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा : उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में जो ट्यूबवेल हैं उन को रिहन्द डैम से बिजली दी जाने वाली थी। क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि वह दी जा चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री अलगेशन : मैं माननीय सदस्य को यह सूचित कर दूं कि अब ट्यूबवेल के लिये ४ हजार किलोवाट बिजली का उपयोग किया जा रहा है ।

नदी बोर्ड

+
†*६२५. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पें० वेंकटा सुब्बया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : }

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों ने नदी पानी सम्बन्धी विवादों को निपटाने लिये अपनी अन्तर्राज्यीय नदियों के लिये तुरन्त नदी बोर्ड बनाना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो ये बोर्ड कब बन जायेंगे और कब से कार्य आरम्भ कर देंगे ; और

(ग) इन बोर्डों का कार्य संचालन का ठीक स्वरूप क्या होगा तथा उनके निर्णय की क्या मान्यता होगी ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां । माही, महा नदी, नर्मदा, ताप्ती, सतलज, व्यास, रावि और चिनाब नदियों से सम्बन्धित राज्य सरकारों ने इन नदी बेसिनों के लिये नदी बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति भेज दी है ।

(ख) आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि इनमें कुछ बोर्ड तो अगले चन्द महीनों में ही बन जायेंगे ।

(ग) नदी बोर्ड अधिनियम, १९५६ तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत यह नदी बोर्ड कार्य करेंगे ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इन बोर्डों का ठीक ठीक गठन क्या होगा ?

†श्री अलगेशन : हमने एक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया है जो कि इस प्रश्न पर अब विचार कर रहा है ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : यह जो नदी बोर्ड बनाये जा रहे हैं उनके साथ केन्द्रीय सरकार का कहां तक सम्बन्ध रहेगा ?

†श्री अलगेशन : यह सब कुछ नदी बोर्ड अधिनियम में निर्धारित कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, विशेष अधिकारी उन आधारों को तैयार कर रहे हैं जिन पर यह नदी बोर्ड स्थापित होने के पश्चात् कार्य करेंगे ।

†श्री बासप्पा : नदी जल विवादों का कारण यह है कि कुछ परियोजनाओं को पानी देकर और कुछ को न देकर कुछ भागों को अन्य भागों के बदले सिंचाई की अधिक सुविधायें प्रदान

†मूल अंग्रेजी में ।

की जाती हैं। जब यह बोर्ड स्थापित हो जायेंगे तो क्या उनके कार्य करने के परिणामस्वरूप इन भूलों का सुधार हो जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्य अब इस समय कृष्णा-गोदावरी के विषय में बहुत सोच रहे हैं।

†**श्री बासप्पा** : मैं कृष्णा-गोदावरी विवाद सहित सभी नदी जल विवादों का उल्लेख कर रहा हूं।

†**श्री अलगेशन** : यह नदी बोर्ड सारी नदी घाटी के लिये एक योजना तैयार करेंगे। उस योजना में राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। इस से वह सभी विवाद समाप्त हो जायेंगे जोकि अन्य किन्हीं कारणों से भी उठेंगे।

†**श्री शं० शा० मोरे** : क्या अन्तर्राज्यीय नदी पानी सम्बन्धी विवाद न्यायनिर्णयन के लिए इन बोर्डों को सौंपे जायेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : कोई भी अन्तर्राज्यीय नदी पानी सम्बन्धी विवाद इन बोर्डों को नहीं सौंपे जायेंगे। परन्तु जब कभी ऐसे विवाद खड़े होंगे तो यह बोर्ड उन्हें समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : इन नदी बोर्डों का गठन कर के क्या उन प्राधिकारों के स्थान पर जिन का कि गठन पहले ही कर दिया गया है और जो अब विद्यमान हैं, जैसेकि तुंगभद्रा परियोजना नियंत्रण प्राधिकार, दूसरे नदी बोर्ड बनाये जायेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : ऐसा कोई विचार नहीं है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : जब यह नदी बोर्ड बन जायेंगे तो क्या अन्तर्राज्यीय विवादों को हल करने के अतिरिक्त यह अन्य महत्वपूर्ण मामलों को भी देखेंगे जैसेकि नदी और बाढ़ नियंत्रण समस्याओं के लिये बांधों के निर्माण आदि में प्रशिक्षण देना।

†**श्री अलगेशन** : अन्तर्राज्यीय नदी पानी सम्बन्धी विवादों के मामले में पंचाट देना नदी बोर्डों का कार्य नहीं है। उन पर अन्य कर्तव्यों का भार है जैसेकि नदी घाटी योजना बनाना, बहु-प्रयोजनीय परियोजनायें बनाना और भूमि संरक्षण परियोजनायें बनाना आदि।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार ने यह खयाल किया है कि इस प्रकार के बोर्ड बनाने से प्राविंशलिज्म की भावना उभरती है, जैसा कि परसों पार्लियामेंट में हुआ ? क्या इस के लिये सरकार किसी आरबिट्रेशन का प्रबन्ध नहीं कर सकती जिस से कि यह फैसले हो जायें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो अपनी अपनी राय की बात है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम): ऐसा कोई खतरा नहीं है।

†**श्री जसवन्त मेहता** : जबकि सरकार नर्मदा नदी के सम्बन्ध में समस्या पर विचार कर रही है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि उस समिति का क्या हुआ जोकि नर्मदा परियोजना की समस्या के सम्बन्ध में श्री एच० एम० पटेल के सभापतित्व में तीन राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी ?

†**श्री अलगेशन** : कोई समिति नियुक्त नहीं की गई थी। श्री पटेल से कहा गया था कि वह एक उपयुक्त प्राधिकार के प्रश्न पर विचार करें जिसे कि हम नर्मदा घाटी के विकास के लिये बना सकें। उन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जोकि विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मानसिंह पु० पटेल : ऐसे नदी बोर्ड नियुक्त करने में तथा अन्य ऐसे राज्यों से सदस्यों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में जिन का कि ऐसे अन्तर्राज्यीय नदी पानी विवादों से कोई सम्बन्ध नहीं है सरकार की क्या नीति होगी ?

†श्री अलगेशन : यह सब कुछ नदी बोर्ड अधिनियम में निर्धारित है और इस समय इस का उस विशेष कार्याधिकारी द्वारा अध्ययन किया जा रहा है जिस का कि मैंने कुछ समय पूर्व उल्लेख किया था ?

विदेशी सहयोगियों के साथ बात-चीत के लिये समिति

+
†*६२६. { श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सब परियोजनाओं के सम्बन्ध में विदेशी सहयोगियों के साथ बातचीत करने के लिये सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्थायी वार्ता समिति स्थापित की जाने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली बड़ी बड़ी परियोजनाओं को स्थापित करने के सम्बन्ध में विदेशी दलों के साथ बातचीत का मार्ग प्रदर्शन करने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति स्थापित की गई है ।

(ख) समिति स्थापित करने के मुख्य कारण यह हैं :—

(१) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच अधिक समन्वय स्थापित करने के लिये तथा अनुभव और जानकारी एकत्रित करने के लिये जोकि परियोजना के केवल अनेकों प्रविधिक पहलुओं से ही सम्बन्धित नहीं होगी अपितु बड़ी बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में विदेशी दलों के साथ बातचीत से भी संबंधित होगी ;

(२) औद्योगिक क्षमता के अनावश्यक द्वगुणन को बचाने के लिये ; और

(३) सरकार के दृष्टिकोण से, विदेशी विनियोजकों तथा भारतीय उपक्रमकर्ताओं के बीच सहयोग की अच्छी शर्तों की व्यवस्था करने के लिये ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जबकि प्राइवट सेक्टर के लिए भी कोलेबोरेशन की जरूरत है, तो जब तक इसमें जनता के प्रतिनिधि नहीं आएंगे तब तक यह कमेटी पूरी नहीं हो सकेगी, सिर्फ अधिकारियों से काम नहीं चलेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : यह तो अपनी अपनी राय का मामला है ।

श्री ब० रा भगत : अभी जो कमेटी है उसमें सब आफीशियल्स हैं । अगर प्राइवेट सैक्टर इंडस्ट्री लगाना चाहेगा तो उनकी भी सलाह ली जायेगी ।

श्री यशपाल सिंह : इस बोर्ड के कौन कौन मेम्बर हैं जो आप ने सिलेक्ट किए हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब० रा० भगत : अभी कमेटी जो बनी है, उस में कैबिनेट सैक्रेटरी हैं और जिस विभाग से वह प्रोजेक्ट सम्बन्धित हो उसके मंत्रालय के सेक्रेटरी होंगे, और फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक प्रतिनिधि होगा, और अगर कैबिनेट सैक्रेटरी चाहें कि दूसरे और विभागों के प्रतिनिधियों की जरूरत है तो उन को भी रख सकते हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या हमारे देश में गैरसरकारी क्षेत्र में किसी व्यापारिक संस्था के लिये जोकि सहयोगिता वाली एक इतनी बड़ी परियोजना को चलाना चाहती हो इस सरकारी समिति को मंत्रणा देने के लिए कहना केवल स्वैच्छिक ही होगा अथवा ऐसा विचार है कि गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा तब तक कोई बातचीत नहीं चलाई जानी चाहिये जब तक कि वह पहले इस समिति को मंत्रणा देने के लिये न कह दे ? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अनिवार्य होगा अथवा स्वैच्छिक ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह इस समिति की जानकारी में ही करना होगा, परन्तु यह एक बहुत औपचारिक रूप में किया जायेगा ।

†**श्री शिवाजी राव० शं० देशमुख** : योजना आयोग के हाल ही के इन अवलोकनों को ध्यान में रख कर कि जो हमारा उर्वरक कारखाना जरमनी सहयोगिता पर आधारित था और जिस की प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में चालू हो जाने की आशा थी उसके अब न बनने की संभावना है क्योंकि उर्वरक कारखाने को स्थापित करने के सम्बन्ध में अब जरमनियों का सहयोग न देने का विचार है, और सहयोगिता सम्बन्धी उन व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखते हुए जोकि भारी चादर उद्योग के मामले में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हुई . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो एक बिलकुल ही भिन्न प्रश्न है ।

†**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** : : यह तो बहुत बड़ी बड़ी सहयोगी संस्थायें हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक सहयोगी संस्था नहीं ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : यह समिति किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी और क्या अन्तिम निर्णय सर्वदा ही सम्बन्धित मंत्री द्वारा लिया जायेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह मंत्रिमण्डल के अधीन कार्य करेगी और मंत्रिमण्डल का सचिव इस का प्रभारी अथवा संचालक है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि यूरोपीय साझा बाजार के देशों में इंगलैंड द्वारा किये जाने वाले विनियोजन में वद्धि हो जाने से इस देश में विनियोजन कम हो जायेगा और यदि हां तो क्या इन सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थिति का पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं यह नहीं जानता कि यह प्रश्न इस प्रश्न से किस प्रकार उठता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह उठता है ।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी रामेश्वरानन्द ।

श्री रामेश्वरानन्द : क्या इस से पहले सरकार के पास इस प्रकार की कोई समिति बनी हुई नहीं थी ? क्या यह नया प्रश्न सरकार के सामने आया है, पहले नहीं था ?

श्री मोरारजी देसाई : पहले थी, थोड़े वक्त बीच में नहीं थी, अब फिर से इस की आवश्यकता मालूम हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में औद्योगिक प्रयोजनों के लिये विद्युत् का संभरण

+

†*६२७. { **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :**
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री डी० चं० शर्मा : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में औद्योगिक प्रयोजनों के लिये दिये जाने के लिये कितनी विद्युत् उपलब्ध है;

(ख) इस विद्युत् का उपयोग करने के लिये दिल्ली विद्युत् नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) दिल्ली की बृहद् योजना के उपबन्धों के अनुसार उद्योगों तथा कारखानों को विद्युत् का संभरण हो इस के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा-सचिव (श्री सं० अ० मेहदी)**: (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है ।

विवरण

(क) इस समय १२ हजार किलोवाट बिजली उपलब्ध है और दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम के 'सी' बिजलीघर (पावर स्टेशन) के चालू हो जाने पर ३६ हजार किलोवाट की अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता उपलब्ध हो जायेगी । यद्यपि बिजली की स्वीकृति देने के मामलों में उद्योगों को पूर्वाधिकार दिया जाता है फिर भी उन के लिये कोई विशिष्ट कोटा निर्धारित नहीं है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने समाचार पत्रों में विज्ञप्तियां दे कर दिन के समय उद्योगों में विद्युत् के भार के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र आमंत्रित किये हैं ।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा औद्योगिक विद्युत भार के सम्बन्ध में केवल उन्हीं व्यक्तियों से आये हुए प्रार्थनापत्रों पर विचार किया जाता है जिन के पास कि नगरपालिका द्वारा दी गई अनुज्ञप्तियां होती हैं । अनुज्ञप्ति देने से पूर्व दिल्ली नगर निगम अपने को इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट कर लेता है कि इन से दिल्ली की बृहद् योजना की आवश्यकतायें पूरी होती हैं ।

†**श्री जं० ब० सिंह बिष्ट** : बिजली ले सकने से पहले किसी को भी एक अनुज्ञप्ति लेनी होती है । क्या मैं जान सकता हूं कि अनुज्ञप्तियों के लिये प्रार्थनापत्र दिये जाने के बाद वर्षों तक अनुज्ञप्तियां न दिये जाने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री सं० अ० मेहदी** : यह एक आन्तरिक मामला है जो कि दिल्ली प्रशासन से सम्बन्ध रखता है । वे लोग हैं जिन्होंने कि अनुज्ञप्ति देने वालों को नियुक्त किया है और जो अनुज्ञप्तियां देते हैं ।

†**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : यह मेरा प्रश्न है । मैं देखता हूं कि 'जब अनुज्ञप्ति के लिये एक प्रार्थनापत्र दे दिया जाता है तो एक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में डेढ़ वर्ष से अधिक समय लग जाता है । क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह इन संस्थाओं को आवश्यक अनुदेश दे जिससे कि इन अनुज्ञप्तियों को देने में वे इतना समय न लें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सं० अ० मेहदी** : जैसा कि मैंने पहले कहा है यह मामले दिल्ली प्रशासन से सम्बन्ध रखते हैं। यह एक आन्तरिक मामला है। सब प्रार्थनापत्र उन के पास जाते हैं और वे उनकी जांच करने में और अनुज्ञप्तियां प्रदान करने के लिये स्वीकृति देने में समय लगाते हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या यह सही है कि इंडस्ट्री के लिए जो बिजली दी जाती है उस में इतनी देरी की जाती है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ इस कारण से बन्द हो गयीं ? अभी आज के समाचारपत्र में खबर है कि एक साइकिल इंडस्ट्री को जब पावर मंजूर की गयी उससे पहले वह बन्द हो चुकी थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात की जांच कर रही है ?

†**श्री सं० अ० मेहदी** : आपातकाल के कारण नई अनुज्ञप्तियां नहीं दी गई थीं और इस सम्बन्ध में सूचना दे दी गई है। दिल्ली प्रशासन उन सब अनुज्ञप्तियों को रख रहा है। अब तक दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम को ५ हजार प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं और उन को लगभग ४३ हजार किलोवाट बिजली दी गई है।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि दिल्ली प्रशासन ने आवेदन पत्र निमंत्रित किये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से वितरण किया जायेगा क्योंकि इस बारे में बहुत सी शिकायतें हैं ? क्या आप ने कोई कमेटी बनायी है जो कि इस की पूरी तरह जांच करे ?

†**श्री सं० अ० मेहदी** : प्रार्थनापत्रों पर विचार करने और बिजली देने के ढंगों की जांच करने के लिये १९६१ में एक समिति बनाई गई थी। जहां तक मुझे ज्ञात है उसने एक प्रतिवेदन तैयार किया है और प्रशासन उस पर विचार कर रहा है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या दिल्ली में विद्युत् की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है और क्या कोई पूर्ववर्तितायें निर्धारित कर दी गई हैं कि किन किन उद्योगों को बिजली देने में पूर्ववर्तिता दी जायेगी ?

†**श्री सं० अ० मेहदी** : दिल्ली में कुल लगभग १ लाख १८ हजार किलोवाट बिजली उपलब्ध है। जून में दूसरा बिजलीघर तैयार हो रहा है जिससे कि ३६ हजार किलोवाट बिजली और मिल जायेगी। यह होते हुए भी, मांग की तुलना में बिजली की कमी ही रहेगी। मैं निश्चिन्त हूं कि इस योजना में तो नहीं परन्तु इसके पश्चात् शीघ्र ही यह कमी पूरी हो जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि क्या किन्हीं विशेष उद्योगों को औरों के मुकाबले अधिमान दिया जाता है ?

†**श्री सं० अ० मेहदी** : जी, हां। दिल्ली प्रशासन उद्योगों को अधिमान देता है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : मेरा प्रश्न बिलकुल भिन्न था। मैं यह जानना चाहती थी कि क्या विभिन्न उद्योगों के लिये कोई पूर्ववर्तिता निर्धारित कर दी गई है कि किन किन को अधिमान दिया जायेगा और किनको नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इतना व्यापक है कि इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपाल में त्रिशूली परियोजना

+

*६२८. { श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल के त्रिशूली नामक स्थान में भारत के सहयोग से एक जल विद्युत् योजना क्रियान्वित हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि योजना के पूरी हो जाने के बावजूद जनता को बिजली नहीं दी जा रही है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि त्रिशूली के बिजली घर से राजपथ को मिलाने वाली सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) भारत सरकार भारतीय सहायता कार्यक्रम के अधीन नेपाल में त्रिशूली जलविद्युत परियोजना का निर्माण कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सड़क बनायी जा चुकी है और इस बात के लिए कदम उठाये गये हैं कि उसे सब मौसम योग्य सड़क बनायी जा सके जिस पर जीप और ट्रकें चल सकें ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस योजना को पूरा करने के लिए कितना समय निश्चित किया गया था और इसके कब तक पूरा होने की उम्मीद है ?

†**श्री अलगेशन** : पहले कदम के तौर पर जो तीन एकक हम स्थापित करने वाले हैं वे जून १९६५ तक चालू कर दिये जायेंगे ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या इस योजना से भारत को भी बिजली मिलेगी ?

†**श्री अलगेशन** : यह नेपाल में ही खपत के लिए है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि इस बिजली योजना को बनाने के लिए जो समय निर्धारित किया गया था उस में काफी देरी हो गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और उसको दूर करने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, अब तो मंत्रियों को कुछ हिन्दी सिखाने का प्रयत्न कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्वामी जी जानते हैं कि मुझे यहां और काम करना होता है । अगर बाहर स्वामी जी अपने जिम्मे इस काम को ले लें तो अच्छा होगा ।*

श्री रामेश्वरानन्द : मैंने विद्यालय खोल रखा है . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या माननीय मंत्री के पास ऐसी कोई जानकारी है कि गृह मंत्री की पिछली नेपाल यात्रा में उन्हें बताया गया था कि यदि यह योजना यथाशीघ्र कार्यान्वित की जाये तो नेपाल के लोग उसे पसन्द करेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां, हमारा यही आशय है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या हाल के इन समाचारों में कोई सचाई है कि चीन ने ऐसी परियोजनाओं को अधिक अच्छी तरह, अधिक शीघ्र और कम लागत पर बनाने का प्रस्ताव रखा है और इस प्रकार नेपाल को भारत से दूर कर दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक अलग सवाल है। हम उन परियोजनाओं को इस प्रश्न में नहीं ले सकते।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत के गृह मंत्री श्री लाल बहादुर जी शास्त्री अपनी पिछली नेपाल यात्रा में इस त्रिशूली परियोजना को देखने गये थे और वहां से लौटने के पश्चात् क्या उन्होंने सिंचाई मंत्रालय को अपने कुछ सुझाव दिये हैं ? यदि दिये हैं तो वे क्या हैं ?

†**श्री अलगेशन** : उन्होंने नेपाल में जो अनेक कार्य किये हैं उनमें उन्होंने त्रिशूली परियोजना स्थल भी देखा। उन्होंने यह भी कहा कि वह यथाशीघ्र पूरा किया जाये। हमें सभी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस योजना में कितनी धनराशि दी है और इस योजना के पूरी होने में जो कुछ कमी है, क्या उस के कारण और आगे भी धनराशि देने का विचार है ?

†**श्री अलगेशन** : परियोजना की लागत ८.९ करोड़ रुपया है जिस में से ६९.९५ लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य के प्रश्न का आशय यही था या और कुछ।

सरकारी कर्मचारियों को जमीन का आवंटन

†*६९९. { **श्री महेश्वर नायक** : +
श्रीमती सावित्री निगम : }

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई योजना बनाई गई है जिसके अधीन दिल्ली में संघ सरकार तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारी 'झुग्गी तथा झोंपड़ी' योजना के अन्तर्गत जमीन लेने के पात्र होंगे;

(ख) योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना को किन स्थानों में लागू करने का विचार है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी नहीं। वे किसी अन्य कर्मचारी की तरह केन्द्रीय सरकार या स्थानीय निकाय के अधिकार के अन्तर्गत होंगे। उन्हें कोई रिहायशी जमीनें या मकान देने का इरादा नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). इस योजना की मुख्य मुख्य बातें वर्ष १९६२—६३ की इस मंत्रालय की रिपोर्ट में दी हुई हैं। इसकी प्रतियां संसद्-सदस्यों को दे दी गयी हैं।

†**श्री महेश्वर नायक** : सरकार और स्थानीय निकायों के कितने कर्मचारियों को इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : धरना देने वाले ५०,००० लोगों में से उनकी संख्या कुछ एक सौ से अधिक नहीं होगी।

†**श्री महेश्वर नायक** : वितरण के लिए कुल कितनी जमीन उपलब्ध होगी ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : इस योजना को कार्यान्वित करने में संभवतः ४ या ५ साल लगेंगे। धरना देने वालों का जहां तक सम्बन्ध है हम उन्हें एकसाल के अन्दर ही हटाने की एक योजना तैयार कर रहे हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : धरना देने वालों में सरकारी कर्मचारी कितने प्रतिशत हैं और उनके पहले दल को पुनर्वासित करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मैं ने अभी अभी बताया है कि सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की संख्या कुछ एक सौ से अधिक नहीं है। मैंने बताया है कि इस योजना को पूरी तौर से कार्यान्वित करने में चार या पांच साल लगेंगे।

श्री ओंकारलाल बेरवा : झुग्गीज और झोंपड़ीज स्कीम के अन्दर जो उन लोगों को गवर्नमेंट द्वारा दूसरी ज़मीन दी जायगी तो उस में उन्हें क्या रिआयत दी जायेगी ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : हमारा मिल्कियत देने का बिलकुल कोई इरादा नहीं है अलबत्ता हम उनको किराये में थोड़ी बहुत सहूलियत अवश्य देंगे।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : यह नहीं बताया गया कि कुल कितनी जमीन उपलब्ध है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : जहां तक जमीन का सम्बन्ध है, वह योजना भारत सरकार कार्यान्वित नहीं करती। वह दिल्ली नगर निगम के जरिये कार्यान्वित की जाती है। मैं एक-ब-एक नहीं बता सकता कि कुल जमीन कितनी है। करीब ८००० से १०,००० भूखंडों का विकास किया जा रहा है। उस दिशा में उसने काफी प्रगति की है।

संसद्-सदस्यों के लिए मकान

†*६३०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के लिये आवंटन के लिय बंगलों तथा बड़े तीन कमरों (बैड रूम) वाले फ्लैटों की बहुत कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे और निवास स्थानों की व्यवस्था करने के लिय कदम उठा रही है और ऐसा कब तक हो जायगा ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). संसद सदस्यों के लिये बंगले तथा बड़े बड़े तीन कमरों वाले मकान बनाने की कोई योजना

†मूल अंग्रेजी में

नहीं है । फिर भी नार्थ एवन्यू में जो २० फ्लैट बनाये जा रहे हैं उनके अलावा और १४४ मकान जिनमें २४ डबल और १२० सिंगल फ्लैट्स होंगे, रफी मार्ग पर संसद सदस्यों के लिये बनाने का विचार है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : इस मामले में हमारा ख्याल है कि १६० फ्लैट बनाय जाने के बाद सभी संसद सदस्यों को पर्याप्त स्थान दिया जा सकेगा। इस समय कुछ कमी अवश्य है । कुछ सदस्यों को तो विनय मार्ग से आना पड़ता है। हम चाहते हैं कि जहां तक हो सके, संसद् भवन के निकट जगह दी जाय। दोनों ही योजनायें मंजूर हो चुकी हैं। एक योजना कार्यान्वित की जा रही है और अन्य फ्लैट्स का निर्माण बहुत जल्द ही एक दो महिनों के अन्दर आरम्भ कर दिया जायगा।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या यह सच है कि इस बात को देखते हुये कि संघीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या काफी बढ़ गयी है, संसद् की आवास समिति ने संसद् के लिय उपलब्ध बंगलों और बड़े मकानों का कोटा बढ़ा देने के लिये सरकार से कहा है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : आवास समिति ने मुझे बताया है कि जो सदस्य विनय मार्ग में रहते हैं वे संसदीय कार्य के लिये बहुत दूर हैं । उन्हें मीना बाग में मकान दिये जायें । इसलिये आदेश दिये जा चुके हैं कि मकान खाली होने पर दूर रहने वाले संसद सदस्यों को दिये जायें ।

†**श्री बूटा सिंह** : क्या अब भी संसद सदस्यों के मकानों में अनधिकारी व्यक्ति रह रहे हैं ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : जी हां, उन्हें निकालने के लिये हर मुमकिन कार्रवाई की जा रही है । उस दिशा में मुझे बहुत अधिक सफलता नहीं मिली है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : इस संबंध में पहले खास तौर पर क्या कारंवाई की गयी है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : हम लोक भूगृहादि (निष्कासन) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं जो बहुत विलम्बकारी प्रक्रिया है । मैं इस वर्ष उसे सभा के सामने प्रस्तुत कर उसमें संशोधन करने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि ६० या उससे अधिक सरकारी बंगलों में ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं जो सरकारी नौकरी या समाज सेवा में नहीं हैं। यदि हां, तो उन्हें छुड़ाकर संसद सदस्यों को देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक अलग सवाल है । हमारे पास असंग संग्रह है और संख्या निश्चित है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या संसद सदस्यों को मकान देने में भी भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह उनका काम नहीं है । उसके लिये आवास समितियां हैं।

†**श्री राजेश्वर पटेल** : क्या यह सच है कि कुछ बंगले जो काफी समय तक संसद सदस्यों के संग्रह में थे, हाल में निकाल लिये गये हैं और बाहरी आदमियों को दे दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मेहरचन्द खन्ना : एक मामले में एक बंगला भूतपूर्व संसद सदस्य को दिया गया था और वह कमी पूरी कर देने के लिये मुझ से कहा गया है। एक दूसरे भूतपूर्व संसद सदस्य के मामले में इसी तरह का मिलता जुलता प्रस्ताव विचाराधीन है।

†श्री हरि विष्णु कामत : औचित्य प्रश्न के हेतु। आवास समिति से जिसे आप मनोनीत करते हैं, परामर्श किया जाना चाहिये और कोई परिवर्तन करने से पहले उसकी अनुमति प्राप्त की जानी चाहिये।

†अध्यक्ष महोदय : समिति से परामर्श लिया गया था और उसने अपनी अनुमति दी थी।

†श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या इस विशिष्ट भूतपूर्व संसद सदस्य का दिल्ली में निजी मकान है और फिर भी उसे एक बंगला दिया गया है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मुझे मालूम नहीं है। मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। जहां तक मंत्रालय का संबंध है, हम कोई मकान नहीं देते। हम सारी जगह आवास समितियों को सौंप देते हैं। वही मकान दिया करती हैं। यदि कोई भूतपूर्व संसद सदस्य जगह खाली नहीं करता तब हमारा कर्त्तव्य यह होता है कि संबंधित आवास समिति के कहने पर जगह खाली कराने के लिये हम कार्रवाई करें। निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय सीधे संसद सदस्यों को कोई जगह नहीं देता। दो अलग अलग संग्रह हैं। पहले संग्रह में ११ या १२ बंगले हैं। दूसरे संग्रह में ५०० या ६०० बंगले हैं। जिसे संसद सदस्यों का संग्रह कहा जाता है। उसका नियंत्रण भी मंत्रालय नहीं करता और वह बंगले आवास समितियों द्वारा दिये जाते हैं। एक संग्रह का नियंत्रण संसद कार्य मंत्री करते हैं।

स्टीम बायलर

†*६३१. डा० उ० मिश्र : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच गैलन से कम "वाल्यूमीट्रिक" क्षमता वाले स्टीम बायलर, जिनको भारतीय बायलर अधिनियम तथा नियमों से छूट मिली हुई है, भारतीय फर्मों द्वारा बनाये जा रहे हैं तथा बेचे जा रहे हैं और बिना लाइसेंस के चलाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे बायलरों के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण तथा निरीक्षण के लिये मानक विशिष्ट विवरण अथवा मानक क्रिया संहिता नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय बायलर अधिनियम तथा नियमों में संशोधन करने के लिये यदि कोई कदम उठाने का विचार है तो वह क्या है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जहां तक सरकार को मालूम है, एक फर्म ऐसे छोटे बायलर बना रही थी लेकिन अब उसने उनका निर्माण बन्द कर दिया है और इंडियन बायलर रेग्यूलेशन्स के अन्तर्गत आने वाले बायलरों का निर्माण शुरू कर दिया है।

(ख) और (ग). इंडियन बायलर्स एक्ट, १९२३ में संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ताकि पांच गैलन से कम वाल्यूमीट्रिक क्षमता वाले बायलरों को उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० उ० मिश्र** : क्या यह सच है कि गैर लाइसेंस शुदा बायलरों के मामले में दुर्घटनायें हो रही हैं ?

†**श्री पू० श्रे० नास्कर** : हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पांच गैलन से नीचे गैर लाइसेंस शुदा बायलरों की श्रेणी में दुर्घटनायें अधिक होती हैं।

†**डा० उ० मिश्र** : क्या इन बायलरों के संबंध में बायलर बोर्ड का कोई सुझाव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो वह नियम का एक अंग संभवतः कब बन जायगा।

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: मैं सभा को बताना चाहता हूं कि एक खास संशोधन या सिफारिश यह की गयी है कि कोई भी बायलर जब तक कि वह पांच गैलन के लिये लाइसेंस शुदा न हो, न बनाया जाये। उस फर्म ने बायलर तैयार करना रोक दिया है। लेकिन हम व्यापक विधान प्रस्तुत करने के बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। हम संभवतः अगले सत्र में उसे सभा के सामने रखेंगे।

†**श्री प्रिय गुप्त** : सरकार इस बात के लिये क्या प्रयत्न कर रही है कि जो बायलर बेचे जा चुके हैं और जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें सुरक्षा के प्रयोजन के लिये रोक दिया जाये ?

†**श्री पू० श्रे० नास्कर** : यदि कोई रजिस्टर्ड फर्म बायर प्बनाती है और वे बायलर पांच गैलन से कम के होते हैं, तो उनकी भी नियमित रूप से जांच की जाती है।

सांताक्रुज हवाई अड्डे पर घड़ियों का पकड़ा जाना

†*६३२. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सीमा शुल्क अधिकारियों ने ६ मार्च, १९६३ को सांताक्रुज हवाई अड्डे पर १० लाख रुपये के मूल्य की घड़ियां पकड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बा० रा० भगत)**: (क) बम्बई सीमा शुल्क अधिकारियों ने सांताक्रुज हवाई अड्डे पर ६ और ७ मार्च १९६३ को लगभग १० लाख रुपये की ६,७१९ कलाई घड़ियां बरामद कीं।

(ख) अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

(ग) जांच पड़ताल जारी है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जांच कब तक पूरी होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब० रा० भगत : यह जांच जल्दी से जल्दी की जा रही है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई है कि किन मुल्कों से ये घड़ियां आ रही हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जिन लोगों से ये घड़ियां मिली हैं, वे पेरिस और रोम से आये थे ।

श्री विश्राम प्रसाद : यह जानना चाहता हूं कि पिछले साल से अब तक इस तरह का माल कितने रुपये का पकड़ा गया और इस में किन लोगों का हाथ है ?

श्री ब० रा० भगत : अगर माननीय सदस्य पिछले साल के बारे में सूचना चाहते हैं, तो नोटिस देने पर मैं दे सकता हूं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस तरह के प्रश्न इस सदन में कई वर्षों से लगातार आते रहे और समाचारपत्रों में भी मुकदमों की खबर छपती रही हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो कदम उठाये गये हैं, उनके कारण पिछले दो तीन वर्षों में ऐसे मामलों में कितनी कमी आई है ?

श्री ब० रा० भगत : सरकारी तौर पर यह कहना मुश्किल है कि कमी आई है या नहीं, लेकिन यह बात जरूरी है कि ऐसी चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा पकड़ रहे हैं ।

श्री विश्राम प्रसाद : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैंने पूछा था कि इस तरह के काम करने में ज्यादातर किन लोगों का हाथ है ?

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने बताया है कि किस जगह से ये घड़ियां आई हैं । जब इस बारे में जांच पड़ताल होगी, तो बाकी बातों का पता लगेगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सरकार को मालूम हुआ है कि भारत स्थित कुछ विदेशी दूतावासों या उनके कर्मचारियों का इन लेनदेन में हाथ है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** इनमें नहीं ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : इस तरह से लाखों रुपयों की जो घड़ियां पकड़ी जाती हैं, गवर्नमेंट उनका क्या करती है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको कब्जे में लेकर गवर्नमेंट क्या करती है — क्या वह उनको नीलाम कर देती है या उन लोगों को वापस दे देती है ?

श्री ब० रा० भगत : हम उन घड़ियों को कस्टम्ज के महकमे की मार्फत बेच देते हैं ।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या चोरी छिपे माल लाने ले जाने वालों का कोई अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह पकड़ा गया है और यदि हां, तो वे किस देश के हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** कई गिरोह हैं और हमने कुछ का पता लगाया है । लेकिन नये गिरोह बनते जाते हैं । यह बराबर चलता रहता है ।

फारस की खाड़ी के देशों के लिए भारतीय मुद्रा

†*६३३. **श्री प्र० ना० विद्यालंकार :** क्या वित्त मन्त्री ६ मार्च, १९६२ की स्वर्ण नियन्त्रण योजना पर चर्चा के सम्बन्ध में फारस की खाड़ी के देशों में विशेष नोट चलाने के बारे में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फारस की खाड़ी में नई मुद्रा का भारतीय मुद्रा से क्या सम्बन्ध है तथा क्या नई मुद्रा भारतीय मुद्रा से आसानी से बदली जा सकती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितनी नई मुद्रा का मुद्रण हुआ है ; और

(ग) क्या मुद्रा परिवर्तन के मामले में सरकार की कार्यवाही का इस क्षेत्र में भारत के सामान्य व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) यह समझा जाता है कि निर्देश विशेष भारतीय नोटों से है जो कुवैत से बाहर फारस की खाड़ी के शेष इलाकों में परिचलन के लिए जारी किये गये हैं । ये विशेष भारतीय नोट रिजर्व बैंक के बम्बई कार्यालय में भारतीय मुद्रा में बराबर के मूल्य पर बदले जा सकते हैं ।

(ख) फरवरी, १९६३ के अन्त में भारत सरकार के एक रुपये के नोट सहित विशेष भारतीय नोटों का मूल्य २२.६९ करोड़ रुपये था ।

(ग) जी नहीं ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : जो नये नोट चलाये गये हैं, क्या वे खुले तौर पर बदले जा सकते हैं और यदि हां तो सोने का चोरी छिपे व्यापार कैसे रोका जायेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : क्योंकि वे विशेष नोट हैं और वे सामान्य नोट नहीं हैं । यदि वे सामान्य नोट होते तो उनके लिए सोना दे दिया जाता । इस तरह उन्हें बदल दिया जाता । इसी कारण विशेष नोट जारी किये गये हैं ?

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : उन लोगों के बारे में क्या स्थिति है जिनके पास भारतीय नोट हैं ? क्या उनका चलन रोक दिया जायगा या वे उन नोटों से क्या करेंगे ? क्या निश्चय किया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : एक विशिष्ट अवधि दी गयी थी और उस अवधि में वे उन नोटों को बदल सकेंगे । उसके बाद उन पर पूरी तरह रोक लगा दी जायगी ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या इससे फारस की खाड़ी और बम्बई में सामान्य व्यापार पर बुरा असर नहीं पड़ेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैंने बताया कि सामान्य व्यापार पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है । किसी हद तक चोरी छिपे व्यापार भी रोका गया है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : ठीक ठीक किस प्रकार और किस हद तक उससे हमें लाभ पहुंचेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जैसा कि मैंने बताया, वह मुख्यतः चोरी छिपे व्यापार रोकने के लिये किया गया था जो सोना चोरी से भारत में लाया जाता था उसके बदले में ये नोट दे दिये जाते थे क्यों कि नियमों के अनुसार ये नोट स्टर्लिंग में बदले जा सकते थे । जब इन नोटों को विशेष नोटों में बदल दिया गया, तब वह दोष दूर कर दिया गया ।

मानसिक रोग

*६३४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री १५ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानसिक रोगों के बारे में शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से किस तरह के उत्तर प्राप्त हुए हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) देश के विभिन्न राज्यों में मानसिक रोगों की चिकित्सा सुविधायें बढ़ाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) असम, बिहार, गुजरात, मैसूर और उत्तर प्रदेश की सरकारों तथा दिल्ली और पाण्डिचेरी संघ क्षेत्रों से अब तक प्राप्त उत्तरों का एक संक्षिप्त सिवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या एल० टी०--१०४२/६३**] आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा राजस्थान और जम्म और काश्मीर की सरकारों ने अभी तक उत्तर नहीं भेजा है।

(ख) भारत के विभिन्न मानसिक अस्पतालों में स्वतन्त्रता के तुरन्त पश्चात् शय्याओं की संख्या ८१६५ थी। इस समय शय्याओं की संख्या १३२६६ है। यद्यपि यह संख्या भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बहुत अपर्याप्त है तथापि यह देखा जायेगा कि इस सम्बन्ध में प्रगति हुई है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस बीच में ऐसे रोगियों की चिकित्सा की सुविधाओं में कुछ बढ़ोतरी तो की गई है, लेकिन फिर भी क्या मन्त्रालय के ध्यान में ऐसी बातें आई हैं कि हज़ारों की संख्या में रोगियों को इन अस्पतालों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है यदि हां, तो इसके लिए कौन से ठोस कदम बढ़ाये जा रहे हैं, कौनसा विशेष प्रोग्राम बनाया जा रहा है इस योजना काल में या अगली योजना में ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, मुदालियर कमेटी--हैल्थ सर्वे एण्ड प्लानिंग कमेटी--ने इस बारे में कुछ सिफारिशें की थीं और वे सिफारिशें हमने राज्य सरकारों के पास भेजी थीं। जैसा कि इन उत्तरों से जो कि हमने सभा पटल पर रखे हैं, देखा जाएगा, उनमें से बहुत सी राज्य सरकारों ने धनाभाव के कारण इस समय इस विषय में अधिक प्रगति कर पाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। सभी समझते हैं और सभी जानते हैं कि यह ऐसा क्षेत्र है, जिसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है और जैसे ही हमारे पास कुछ साधन हो जायेंगे, कुछ सुविधायें अधिक हो जाएंगी, इस ओर ध्यान दिया जाएगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् जहां तक मानसिक रोगों की चिकित्सा का सम्बन्ध है, वह एलोपेथी के क्षेत्र में ही दी जा रही है। क्या माननीय मन्त्रिणी महोदया ने इस बात पर विचार किया है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथक के द्वारा भी इन रोगों का इलाज हो सकता है, यदि हां, तो इन पद्धतियों से--इलाज करने के बारे में भी क्या कुछ सोचा जा रहा है ?

डा० सुशीला नायर : मानसिक रोगों में किसी पैथी का बहुत सवाल इसलिए नहीं उठता कि कुछ दवाओं के द्वारा बहुत ज्यादा चिकित्सा मानसिक रोगों की नहीं हो पाती है। मन के साथ कुछ सम्बन्ध जोड़ कर, उस मन की उलझनें दूर करने का तरीका है जिससे कुछ फायदा होता है। उसके विशेषज्ञ बहुत कम हैं और साधन सुविधायें कम हैं। लेकिन अभी मेंटल हैल्थ इंस्टीट्यूट बंगलौर में हमने दस बैड रखे हैं जिसमें आयुर्वेदिक पद्धति से ही उनकी कुछ देखभाल की जाती है, विशेष प्रकार के मसाज, तेल इत्यादि हैं।

श्री भागवत झा आजाद : इस विवरण से पता लगता है कि यद्यपि सरकारों ने तो इसको सिद्धान्त रुपमें स्वीकार कर लिया है किन्तु धनाभाव के कारण वे ऐसा कर नहीं पाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय मन्त्रालय इस स्थिति में है कि वह वित्तीय सहायता दे करके इस काम को आगे बढ़ाये, इस रोग का निदान करने के बारे में कुछ करे ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, वित्त मन्त्री जी अभी इस सदन में से गए हैं। उनके पास कुछ अगर साधन विशेष हों जो वह हम को उपलब्ध कर सकेंगे तो इस विषय में हम राज्य सरकारों की सहायता कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो सारी हैल्थ मिनिस्ट्री को दिया है न कि मैंटल डिज़ीज़िज़ के लिए अलग से ।

डा० सुशीला नायर : जो इस वक्त हमारे पास पैसा है, उसमें से कोई गुंजाइश नहीं है । अगर और विशेष सहायता स्वास्थ्य मन्त्रालय को मिल सकेगी तो हम इसकी ओर जरुर ध्यान देंगे ।

श्री प० ला० बारूपाल : अभी बताया गया कि धन की कमी की वजह से हम सुविधाओं में विस्तार नहीं कर सकते हैं । लेकिन मैंने देखा है कि दवायें भी नहीं मिल रही हैं । अभी जो राजस्थान में अस्पताल हैं उनके अन्दर इंजैक्शन वगैरह नहीं मिलते हैं और मरहम पट्टी के लिए चूना भी नहीं मिल रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में क्या किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह इस सवाल से पैदा नहीं होता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या माननीय मन्त्री जानते हैं कि वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि शरीर को मस्तिष्क से अलग न मानते हुए उसे एक ही मान कर चिकित्सा की जाये और अधिकांश रोगों को शरण मस्तिष्क में ही ढूंढा जाये ।

†**डा० सुशीला नायर :** जी हां, यह कोई नहीं चीज नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच है कि मैंटल डिज़ीज़ का प्रदान कारण तम्बाकू का प्रयोग है ? यदि हां तो क्या सरकार तम्बाकू के इस्तैमाल के खिलाफ कानून बनाने जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सुझाव है जिस पर माननीय मन्त्री विचार करेंगी ।

श्री विश्राम प्रसाद : क्या यह बतलाने की कृपा की जाएगा कि इन मैंटल अस्पतालों में उन लोगों की जिनकी वजह से देश के हित के खिलाफ बातें होती हैं या देश की पैदावार में कमी होती है, उनके दिमागों की भी दवा की जाएगी ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : केन्द्रीय सरकार मानसिक रोगों के उपचार को साथ साथ विशेष रुप से शोध-अनुसन्धान इत्यादि का कोई कार्यक्रम भी प्रस्तावित कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : आल इण्डिया इंस्टीट्यूट फार मेंटल हैल्थ बंगलौर में इस सम्बन्धमें काम हो रहा है और रांची में जो मानसकि रोगों का अस्पताल है वहां भी अनुसन्धान हो रहा है ।

दिल्ली जल संभरण

+

†*९३५. { **श्री राम हरख यादव :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री महेश्वर नायक :
श्री ओंकारलाल बेरवा : }

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल, १९६३ से राजधानी में जल सम्भरण और कम किया जा रहा है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार राजधानी की जल संभरण व्यवस्था सुधारने के मार्गोपायों पर विचार करने के लिये एक उच्चस्तरीय सम्मेलन बुलाने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० व० स० राजू) : (क) जी नहीं। वृहत्तर दिल्ली क्षेत्रों में जल संभरण हर साल गर्मी में सामान्यतया कम कर दिया जाता है और आगामी गर्मी में भी वह इस प्रकार कम किया जायेगा कि जहां तक हो सके उपभोक्ताओं को कम कठिनाई हो।

(ख) जी हां। अनुमान है कि सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय द्वारा बुलायी जाने वाली बैठक में दिल्ली के लिए जल संभरण बढ़ाने के विषय पर चर्चा की जायेगी।

†श्री महेश्वर नायक : इस समय कुल कितना पानी उपलब्ध है और प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ?

†डा० व० स० राजू : इस समय जल सप्लाई ९७० लाख गैलन है। प्रति व्यक्ति खपत ४० से ५० गैलन है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहां अभी चौबीसों घंटे पानी आप नहीं दे रहे हैं, वहां भी पानी की सप्लाई गर्मियों में कम की जाएगी ?

डा० सुशीला नायर : ऐसा विचार है कि दुपहर के बारह बजे से तीन बजे तक और रात के शायद ग्यारह बजे से सुबह के चार बजे तक या बारह बजे से सुबह के चार बजे तक पानी बन्द किया जाए ?

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : पिछले साल जल सम्भरण कितना बढ़ाया गया है और हम कितनी वृद्धि कर सके ?

†श्री व० स० राजू : चन्द्रावल जलकल की पानी निकालने की क्षमता में लगभग ३ मोटर्स की वृद्धि की गयी और इस वर्ष लगभग ३० से ४० लाख गैलन अतिरिक्त पानी मिलेगा।

श्री कछवाय : दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले सात लाख लोगों को जो पानी कम मिलता है पहले से ही, अब जो पानी कम किया जा रहा है, क्या इसका उन पर भी असर पड़ेगा ? उनको विशेष तौर से ज्यादा पानी देने के बारे में सरकार की ओर से क्या कुछ किया जाएगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : उनके लिए बहुत सा पानी दिया जाता है और हकीकत यह है कि जो इस प्रकार से स्टैंड पोस्ट बनाये जाते हैं, उन स्टैंडपोस्ट्स में इतना पानी का अकसर दुर्व्यय होता है कि न केवल पानी जाया जाता है बल्कि कारपोरेशन के रेवेन्यू का भी नुकसान होता है।

श्री ओंकारलाल बेरवा : इस समय पानी की कमी के कारण क्या कोई कुएं बनाने का सरकार का विचार है ? क्या कोई कुओं की खुदाई में भी सहायता दी जा रही है ?

डा० सुशीला नायर : कुओं का पानी दिल्ली वालों को पिलाने का कोई विशेष इरादा तो नहीं है क्योंगि उसको सुरक्षित नहीं समझा जाता है। यों बीच में इस चीनी आक्रमण की वजह से छः सौ हैंड पम्प लगाये गये हैं अलग अलग जगहों पर ताकि अगर आपत्ति का समय आये तो पानी मिल सके।

श्री राम सहाय पाण्डेय : एक बार इसी सदन में माननीय मन्त्री जी ने बतलाया था कि पानी तो बहुत है लेकिन पाइप लाइन सकरी होने की वजह से वह पानी नहीं दे पातीं। मैं जानना चाहता हूं कि बड़ी पाइप लाइन डालने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है, और उसमें कितना समय लगेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० सुशीला नायर : बहुत सी जगहों पर तो नई पाइप लाइन डाली गई हैं जिनसे इस साल काफी सुविधा हो जानी चाहिये। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर पाइप डालने का काम जरा लम्बा है। वह सन् १९६४–६५ तक समाप्त हो सकेगा।

प्रश्नो के लिखित उत्तर

चेचक के टीके

*६३६. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि चेचक के प्रकोप से बचने के लिए बड़े पैमाने पर टीके लगाये जायें; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत प्रतिरक्षा नियमों की सहायता ली जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, अभी तक नहीं।

सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का दिया जाना

*६३७. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के क्वार्टरों का आवंटन करने की नीति में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या जिन सरकारी कर्मचारियों के दिल्ली में अपने मकान हैं, उन्हें सरकारी क्वार्टर नहीं दिये जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) और (ख). चन्दा समिति की सिफारिशों पर सरकार के निश्चयों के अनुसार जिनका सारांश ४ जनवरी १९६३ को सभा पटल पर रख दिया गया था, सामान्य पूल में निवास स्थान के नियतन (अलौटमैंट) के लिये मौजूदा नियमों का परिशोधन (रिविजन) किया जा रहा है। इस परिशोधित नीति की खास

---

†मूल अंग्रेजी में

खास बातें इस मंत्रालय की सन् १९६२–६३ की वार्षिक रिपोर्ट में भी दी गई हैं, जो संसद् सदस्यों को दी जा चुकी हैं।

(ग) जिन सरकारी कर्मचारियों के दिल्ली में अपने मकान हैं, वे मौजूदा नियमों के अनुसार पहले ही सरकारी निवास स्थान पाने के पात्र नहीं हैं।

दिल्ली में यमुना पर बांध

*६३८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २० अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११३४ और ११८८ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में यमुना नदी पर राजघाट और ओखला के समीप दो नये बांध बनाने के प्रस्तावों के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इन बांधों का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). राजघाट के निकट यमुना नदी पर बराज बनाने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। ओखला के निकट यमुना पर दूसरे बराज का प्रस्ताव आपत्काल के कारण स्थगित कर दिया गया है।

सरकार का लेखन सामग्री (स्टेशनरी) का बिल

†*६३९. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सरकार के लेखन सामग्री बिल के गत वर्ष प्रयोग में लाये गये कागज के व्यय से लगभग दुगुना होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस अत्याधिक वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मद में बचत करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) १९६२ में स्टेशनरी आफिस द्वारा भारत सरकार के कार्यालयों को दी गयी लेखन सामग्री की कुल लागत और १९६३ में दी जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत क्रमश: ३ करोड़ रुपये और ५.३८ करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग). यह वृद्धि संकटकाल के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं से हुई है।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

*६४०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री ९ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को भी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधा देने के प्रश्न पर क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : वर्तमान संकट-कालीन स्थिति के कारण इस प्रश्न पर विचार करना स्थगित कर दिया गया है ।

राजधानी में कार्यालयों के लिए स्थान

†*६४१. { **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कार्यालयों के लिये और स्थान की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नौ योजनायें स्वीकार की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है और उन पर कितना व्यय होगा ?

†**निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०—१०४३।६३**) क्रम संख्या १, ७ और ८ की इमारतों का निर्माण आरम्भ हो चुका है । बाकी इमारतों का काम कुछ ही महिनों में शुरू होगा ।

स्वर्ण उत्पादन

†१२४१. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ से लेकर भारत में सोने के उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) १९६०–६१ और १९६१–६२ में वर्ष वार कितना स्वर्ण उत्पादित हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) उत्पादन में कमी का मुख्य कारण यह है कि खानों से निकाले जाने वाले अयस्क और चट्टानों के फटने में कमी हुई है ।

(ग) १९६०–६१ और १९६१–६२ में उत्पादित सोना ४९.५ लाख और ४८.९ लाख ग्राम क्रमशः है ।

सरकारी अफसरों की विदेश यात्राएं

†१२४२. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ में कितने मंत्री और सरकारी अफसर भारत सरकार के कामों के लिये विदेश भेजे गये ; और

(ख) प्रत्येक के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना विविध मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य कर्मचारी

†१२४३. **श्री उलाका** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० से १९६३ में अब तक की अवधि में विशेष पुलिस प्रतिबन्ध द्वारा दण्डकारण्य परियोजना के कितने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की गई ; और

(ख) कितने मामलों में जांच पूरी हुई और दंड दिया गया ?

†**आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) सात ।

(ख) चार मामलों में जांच पूरी की गई जो दंड दिये बिना बन्द कर दिये गये ।

केरल की नदियों का पानी

†१२४४. **श्री म० प० स्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में किन किन नदियों का पानी अभी तक समुद्र में बेकार गिरता है ;

(ख) क्या सरकार ने इस नदियों के पानी का सिंचाई कार्य के लिये मद्रास राज्य की ओर मार्ग परिवर्तन की कोई योजनायें बनाई हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को मद्रास सरकार का ऐसा कोई सुझाव या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, कि केरल की नदियों का पानी केरल के समीपवर्ती मद्रास राज्य की ओर मोड़ दिया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के बारे में भारत सरकार को केरल की निम्न नदियों के सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

१. चन्द्रगिरी
२. कुरिगोट
३. पेरुवमवा
४. कुप्पम
५. माही
६. कोरपुज़्हा
७. चेलियार
८. काडालुंडी
९. कोचोरी
१०. करूवालूर
११ मावाहुपुजहा
१२. मीनाचिल
१३. मनिमाला
१४. अचेनकोल
१५. इथिकारा
१६. वमन पुरम
१८. कमुमा

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां । मद्रास सरकार ने पेरिचार के कुछ जल को केरल में प्रस्तावित इडिक्की बांध से मद्रास में उपयोग के लिये मोड़ने का प्रस्ताव किया था ।

(घ) चूंकि प्रस्ताव व्यय की तुलना में लाभदायक नहीं था, अतः स्वीकार नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय रक्षा कोष में केरल का अंशदान

†१२४५. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में कितनी राशि जमा हुई ; और

(ख) केन्द्र को अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). २३ मार्च १९६३ तक लगभग १.६६ करोड़ रुपये ।

गांजा, भांग, चरस और अफीम

†१३४६. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में (वर्ष-वार) देश में कितना गांजा, भांग, चरस और अफीम बनीं; और

(ख) इन के उत्पादन को घटाने के लिये यदि कोई कार्रवाई की गई है, तो क्या ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १९५८ से १९६२ तक के वर्षों में उत्पादित गांजा, भांग और अफीम की मात्री इस प्रकार थी :

वर्ष	गांजा	भांग	अफीम ९०° सी पर
	मीट्रिक टन	मीट्रिक टन	मीट्रिक टन
१९५८ . . .	९४	४२१	५१०
१९५९ . . .	१००	४०८	५९२
१९६० . . .	१०४	३८२	७१०
१९६१ . . .	१८ *	राज्यों ने अभी सूचना नहीं दी	७१०
१९६२ . . .	१७ *	तदैव	७५४

चरस का उत्पादन समूचे देश में पूर्णतया निषिद्ध है ।

(ख) १९५६ से पहले, गांजा और भांग की खेती बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मैसूर तथा मनीपुर संघ राज्य-क्षेत्र में लाइसेंसों के अधीन की जाती थी । भारत सरकार द्वारा १९५६ और १९५९ में समवेत अखिल भारतीय स्वास्थ्य सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की कि गांजा और भांग की खेती का क्षेत्र कम से कम आवश्यकता तक ही सीमित रहना चाहिये । इस सिफारिश को कार्यान्वित करते हुए गांजा और भांग की खेती आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में रोक दी गई है । अफीम का उत्पादन देश में चिकित्सा तथा वैज्ञानिक उपायों की आवश्यकता और विदेशी निर्यात बाजारों में भेजने तक के लिये सीमित है ।

*आंकड़े अपूर्ण

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य परियोजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

†१२४७. **श्री उलाका** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य विकास प्राधिकार में इस समय अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) उन में से कितने लोग उड़ीसा के हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रखी जायेगी ।

उड़ीसा में सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं

†१२४८. **श्री उलाका** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में उड़ीसा में कौन सी छोटी और मध्यम सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनायें आरम्भ की जा चुकी हैं या की जानी हैं; और

(ख) क्या काम आरम्भ करने के लिये अपेक्षित मंजूरी दे दी गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) विवरण संलग्न है।

विवरण

(१) चालू सिंचाई और विद्युत् परियोजनाएं :

१. हीराकुड प्रक्रम १ और २
२. डैल्टा सिंचाई परियोजना
३. सालन्डी सिंचाई परियोजना
४. सलाई सिंचाई परियोजना
५. सालिकी सिंचाई परियोजना
६. बुद्धि बुधियानी सिंचाई परियोजना
७. गोदाहाडे सिंचाई परियोजना
८. धनई सिंचाई परियोजना
९. दारजंग सिंचाई परियोजना
१०. तलचर थर्मल स्टेशन योजना

(२) सिंचाई और विद्युत् परियोजनाएं १९६२–६३ में आरम्भ की गई :

१. बाहुदा प्रक्रम १
*२. बालीमेला जल-विद्युत् योजना

*बालीमेला जल-विद्युत् योजना की प्रतियोजना रिपोर्ट अभी परियोजना तथा प्राधिकारियों से प्राप्त नहीं हुई । इस बीच योजना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किये गये हैं । चौथी योजना में यह परियोजना फलवती होगी ऐसी आशा है ।

(ख) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मचकुद और हीराकुड परियोजनाएं

†१२४९. **श्री उलाका :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मचकुंद और हीराकुड परियोजनाओं की कुल बिजली बनाने की कितनी क्षमता है; और

(ख) विविध प्रदेशों को, जिन के लिये विद्युत् संभरण की प्रतिज्ञा की गई थी, बिजली देने की मुख्य योजना क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) मचकुद और हीराकुड परियोजनाओं की विद्यमान स्थापित क्षमता क्रमशः ११४,७५० किलोवाट और २०८,५०० किलोवाट है। मई १९६३ तक ६१.५ मेंगावाट हीराकुड में जोड़ दी जायेगी।

(ख) मचकुंद बिजलीघर पहले ही बहुत से स्थानों, अर्थात् टेलूबोडूवारा, राजाहमुन्दरी, विजयवाड़ा और ओंगोल के साथ १३२ किलोवाट ट्रांसमिशन प्रणाली द्वारा तथा जुड़ा हुआ है तथा बहुतेरे दूसरे नगरों और गांवोंको बिजली देने के लिये ६६ किलोवाट और ३३ किलोवाट लाइनें बनाई गई हैं।

हीराकुड के अल्मोनियम फैक्टरी, राजगंगपुर को उड़ीसा सीमेंट कारखाने, रूरकेला की इस्पात फैक्टरी, जोडा के फैरो-मैंगनीज़ उद्योग जैसी महत्वपूर्ण औद्योगिक आवश्यकताओं तथा अन्य खनन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हीराकुड से बिजली का उपयोग करने के लिये, १३२ किलोवाट और ६६ किलोवाट लाइनें बनाई गई हैं जो बिजली घर को कटक, राजगंगपुर, रूरकेला, जोडा बारगढ़, कोइरा, कुल्दीह, नो आमुंडी तथा बेटचोटी जैसे बहुत से स्थानों के साथ मिलाती हैं। हीराकुड से १५ मेंगावाट तक बिजली (जो २५ मेंगावाट तक बढ़ाई जायेगी) जोडा और रूरकेला में रेलवे पटरी के विद्युतीकरण के लिये उपलब्ध की जा रही है। हीराकुड से २५ मेंगावाट तक चांडिल में दामोदर घाटी निगम को फालतू बिजली देने के लिये व्यवस्था की जा रही है, जिस में से लगभग ५ मेंगावाट का उपयोग पहले से किया जा रहा है।

मचकुद और हीराकुड की बिजली का उपयोग करने के लिये निम्न ट्रांसमिशन और वितरण योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं :

(१) डुडुमा ट्रांसमिशन योजना, जिस पर ३३३.७६ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है, जो मचकुद की बिजली का उपयोग करेगी, जिस में डुडुमा से रायगादा तक १३२ किलोवाट लाइन तथा सेपुर और रायगादा क्षेत्रों में ३३ किलोवाट और ११ किलोवाट लाइनें होंगी। ये सब लाइनें पूरी की जा चुकी हैं। योजना के दूसरे प्रक्रम में रायगादा से बरहामपुर तक १३२ किलोवाट लाइन तथा उससे गुनुपुर और पारलाकिमेडी क्षेत्रों में ३३ किलोवाट और ११ किलोवाट लाइनें शामिल हैं।

(२) हीराकुड बिजली उपयोग योजना, जिसमें विविध नगरों और गांवों में बिजली लगाने के लिये हीराकुड की बिजली का उपयोग करने के लिये २४९.४१ लाख रुपये की कुल लागत का अनुमान है, ३३ किलोवाट और ११ किलोवाट लाइनों का निर्माण शामिल है। इस योजना को प्रक्रम-१ के काम पहली योजना में तथा प्रक्रम-२ के काम दूसरी योजना में कार्यान्वित किये गये थे। इन कामों का कुछ भाग पूरा किया जा चुका है तथा शेष कार्य पूरा हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में रक्तदान

†१२५०. { श्री उलाका :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये १९६२–६३ में अब तक उड़ीसा में कितना रक्त इकट्ठा हुआ है; और

(ख) उड़ीसा में कितने लोग अब तक पंजीबद्ध हुए हैं जो आकस्मिकता की स्थिति आने पर रक्त देने को तैयार हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और उड़ीसा सरकार से प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

†१२५१. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में उपयोग में लाने के लिये दी गई जीपें उड़ीसा राज्य को आवंटित की गई हैं; और

(ख) इस योजना के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में उपयोग के लिये कोई गाड़ी नहीं दी है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

†१२५२. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मकान निर्माण फैक्टरी भारतीय रेलों के लिये सीमेंट कंक्रीट के स्लीपर बना रही है;

(ख) क्या यह प्रयोगात्मक प्रक्रम से निकल चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसे इन स्लीपरों के लिये रेलवे से कोई बड़ा क्रयादेश प्राप्त हुआ है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) उत्तर रेलवे ने ५०,००० प्रबलित सीमेंट कंक्रीट स्लीपरों का क्रयादेश दिया था, जिन में से ४७,५९६ दिये जा चुके हैं ।

(ख) स्लीपरों का काम रेलवे द्वारा देखा जा रहा है ।

(ग) अभी नहीं

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारत सहायता 'क्लब'

†१२५३. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री कजरोलकर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती जमुना देवी :
श्री रामेश्वर टांटया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संकटकाल की दृष्टि से भारत की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करने के लिये अगली बैठक के लिये भारत सहायता क्लब ने कोई तिथि नियत की है; और

(ख) क्या वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्लब को कोई प्रस्ताव भेजे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विश्व बैंक ने, जो सहयोगी देशों तथा भारत के आर्थिक विकास में दिलचस्पी रखने वाली संस्थाओं की बैठकें आयोजित करता है अभी तक बैठक की तिथि की कोई घोषणा नहीं की किंतु संभावना है कि पहली बैठक अप्रैल १९६३ के अन्त में होगी।

(ख) बैठक का उद्देश्य विद्यमान आर्थिक स्थिति तथा इसकी विकास योजनाओं के लिये विदेशी वित्तीय सहायता के लिये भारत की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना होता है। बैंक का एक प्रतिनिधिमंडल इस समय भारत की विकास योजनाओं की प्रगति एवं इस की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये भारत में है। प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट पर संघ की बैठक में विचार किया जाएगा।

तुंगभद्रा उच्च स्तर परियोजना

†१२५४. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुंगभद्रा उच्च स्तर परियोजना को पूरा करने के लिये आंध्र प्रदेश तथा मैसूर को १९६२–६३ में कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) १५२४ लाख रुपये का एक ऋण तथा १११५.२८ लाख के कुल मिलाकर दो ऋण मैसूर और आंध्र प्रदेश सरकारों को क्रमशः, १९६२–६३ में उन की प्रकीर्ण विकास योजनाओं पर व्यय करने के लिये दिये गये थे, जिन में अन्य योजनाओं के साथ साथ तुंगभद्रा उच्च स्थल नहर शामिल है। प्रकीर्ण विकास योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता कितनी विशिष्ट योजना के लिये विशेष रूप से व्यय नियत नहीं करती।

(ख) योजनाओं का काम तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक पूरा हो जाने की संभावना है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

ईंधन की बरबादी

†१२५५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा 'इण्डियन एनर्जी एकोनोमी' के संबंध में कही गई इस बात का अध्ययन किया है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था में उपलब्ध ८०% अर्जा (एनर्जी) बेकार जाती है ; और

(ख) सरकार द्वारा गोबर और ड्राफ्ट पावर जैसे अवाणिज्यिक ईंधन का उपयोग बन्द करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित अर्जा सर्वेक्षण समिति इस बात को ध्यान में रखेगी।

(ख) विविध मंत्रालयों द्वारा यदि कोई कार्रवाई की गई है तो उस संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेंशनभोगी

†१२५६. **श्री हेम राज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४९ में कराची में हुई इन्टरडोमिनियन कान्फ्रेंस में भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के अनुसार यह तय हुआ था कि सैनिक तथा असैनिक पेंशन पाने वाले लोगों को, जो पाकिस्तान के निवासी थे, उनको पेंशन देना पाकिस्तान सरकार का दायित्व होगा और इसी प्रकार जो पाकिस्तानी पेंशन वाले भारत में रहते हैं, उन्हें पेंशन देना भारत सरकार का दायित्व होगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब ऐसे पेंशनर पूर्व और पश्चिम बंगाल को गये, वह दायित्व कायम रहा ; और

(ग) क्या उन पेंशन वालों को पेंशनों में अस्थायी वृद्धि (१ अप्रैल १९५८ से पुराने पेंशन वालों को दी गई) का लाभ नहीं दिया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). अप्रैल, १९४९ में भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में हुए समझौते के अनुसार, किसी विशिष्ट केन्द्रीय पेंशन का दायित्व भारत सरकार पर आता है, यदि वह ३१ दिसम्बर, १९४७ तक भारत में आ गई थी या उस तिथि तक उनके द्वारा उस अस्थायी भुगतान की मंजूरी दे दी गई थी। पेंशनों का दायित्व पेंशन वालों के निवास या पूर्व अथवा पश्चिम पंजाब में उन के चले जाने के आधार पर निर्धारित नहीं की जाती।

(ग) १ अप्रैल १९५८ से दी गई अस्थायी वृद्धि क्या लाभ केवल उन पेंशन प्राप्ताओं को ही जिन की पेंशन दायित्व उपरोक्त समझौते की दृष्टि से भारत सरकार पर पड़ता ह और उन पेंशनों का यह लाभ प्राप्त नहीं, जिनका पेंशन दायित्व पाकिस्तान सरकार पर आता है।

†मूल अंग्रेजी में

श्रव्यतामापी केन्द्र'

†१२५७. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में १९६१–६२ में बेहरपेन की किस्म और स्वरूप को मापने के लिये श्रव्यतामापी केन्द्र खोले हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में 'सी' थर्मल स्टेशन

†१२५८. { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रिंग रोड पर 'सी' थर्मल पावर स्टेशन (बिजलीघर) के प्रस्तावित विस्तार के लिये सलाहकार इंजीनियरों द्वारा बड़ा शुल्क मांगा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कितनी राशि मांग रहे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). शुल्क लगभग ५०.५ लाख रुपये है जिसमें लगभग २१ लाख रुपये विदेशी मुद्रा होगी। यह ठीक समझी गई और स्वीकार कर ली गई।

राष्ट्रीय रक्षा कोष में अंशदान

†१२५९. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) अब तक विदेश स्थित भारतीयों द्वारा भारतीय रक्षा कोष में कितनी राशि दान दी गई है ;

(ख) क्या किसी विदेशी ने भी इसमें दान दिया है ; और

(ग) यदि हां, किन देशों में और किस रूप में ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). १६ मार्च, १९६३ तक विदेश स्थित भारतीय मिशनों में ६९.८९ लाख रुपये के अंशदान प्राप्त हुए हैं। भारतीयों तथा विदेशियों द्वारा दिये गये दान के पृथक आंकड़े प्राप्त नहीं।

(ग) प्रत्येक मिशन में प्राप्त अंशदानों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—१०४४/३]**

रबी और खरीफ की फसलों की सिंचाई में कमी

†१२६० { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२ में रबी और खरीफ की फसलों की सिंचाई में बहुत कमी हुई है ;

'Audio-matre centers

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी हुई है ; और

(ग) इसके कारण क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). १९६१-६२ की समाप्ति पर बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं में ३१६.८० लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हुई थी। १९६२-६३ के अन्त में तीसरी योजना की परियोजनाओं द्वारा बढ़ाई गई क्षमता का उपयोग ७.२४ होने की आशा है। रबी और खरीफ़ की फसलों के पृथक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

मनीपुर लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर

†१२६१. **श्री रिशांग किशिंग : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल मनीपुर लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहे हैं ; और

(ख) क्या अधिकारियों तथा विशेषकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के कार्यालय इम्फ़ाल नगर में हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क)

(१) एग्जीक्यूटिव इंजीनियर .	१२
(२) असिस्टेंट इंजीनियर	४५.

(ख) (१) सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के कार्यालय इम्फाल नगर में हैं।

(२) २८ असिस्टेंट इंजीनियरों के कार्यालय इम्फाल में हैं, १७ सहायक इंजिनियरों के कार्यालय बाहर हैं ।

चोरी छिपे लाया या ले जाये जाने वाला सोना

†१२६२. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में चोरी छिपे लाया या ले जाये जाने वाला कुल कितना सोना पकड़ा गया ; और

(ख) अधिक मात्रा में प्रतिबन्धित सोना किन स्थानों पर आता या जाता हुआ पकड़ा गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) सीमाशुल्क, स्थान सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्राधिकारियों ने १९५८, १९५९, १९६०, १९६१ और १९६२ में चोरी छिपे लाया या ले जाये जाने वाला लगभग ७,७१८ किलोग्राम सोना पकड़ा गया ।

(ख) अधिकतर सोना आता या जाता हुआ बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में और भारत के समुद्रतट तथा भूमि सीमा के पास के कुछ स्थानों पर पकड़ा गया ।

बर्मा में भारतीय जीवन बीमा निगम के बर्मी कर्मचारी

†१२६३. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा के मुख्यालय ने जीवन बीमा निगम की रंगून शाखा की यह

---

†मूल अंग्रेजी में

अपील अस्वीकृत कर दी है कि स्थानीय औद्योगिक न्यायालय का वह पंचाट रद्द कर दे जिस में सिफारिश की गई है कि जीवन बीमा निगम के बर्मी कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पंचाट के कारण जीवन बीमा निगम को कितना अधिक व्यय करना होगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) लगभग १३,००० रु० प्रति वर्ष ।

जूट का अल्प-बीजक निर्यात

†१२६४. **श्री प्र० कु० घोष :**
श्री प्र० के० देव :

क्या वित्त मंत्री २२ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प-बीजक पर जूट वस्तुओं का निर्यात करते हुए पकड़े गये उपक्रमों को अब भी निर्यात-व्यापार करने की अनुमति है ;

(ख) क्या यह पता लगाने के लिए जांच पड़ताल की जा रही है कि अन्य वस्तुओं के निर्यात के बारे में भी कुछ अन्य निर्यात-कर्ता यही पद्धति अपना रहे हैं ; और

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो अब तक ऐसे कितने मामले पकड़े गये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है, उन उपक्रमों के क्या नाम हैं और ये कितनी विदेशी मुद्रा के मामले हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) सीमाशुल्क या अन्य विनियमों के अन्तर्गत उन उपक्रमों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाती है जो अल्प-बीजक पर जूट की वस्तुओं का निर्यात करते पकड़े जाते हैं । जूट वस्तुओं का निर्यात नियंत्रित न होने के कारण ऐसे निकायों को निर्यात करने से नहीं रोका जा सकता बशर्ते कि स्वयं निर्यात से ही किसी अपराध का पता न लग जाये ।

(ख) जी हां । जहां आवश्यक होता है जांच पड़ताल की जाती है ।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी पाकिस्तान के उत्प्रवासी

†१२६५. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजिनोपरान्त दिल्ली के संघ प्रशासित राज्य-क्षेत्र में सिंध को छोड़ कर पश्चिमी पाकिस्तान के कितने उत्प्रवासी बसे हैं ; और

(ख) विभाजनोपरान्त संघ प्रशासित राज्यक्षेत्र, दिल्ली में सिंध के कितने उत्प्रवासी आये हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). पश्चिमी पाकिस्तान के अनेक भागों से आ कर दिल्ली में बसने वालों के पृथक पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । दिल्ली में बसने वाले पश्चिमी पाकिस्तान के व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग ५ लाख है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटे पैमाने के बैटरी निर्माताओं पर उत्पादन शुल्क

†१२६६. { श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ में वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि छोटे पैमाने के बैटरी निर्माताओं पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित उद्योग-यूनिटों ने उस पद्धति के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी नहीं । वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि छोटे पैमाने के कुछ उद्योगों पर विद्युत् बैटरियों पर केन्द्रीय उत्पादन कर नहीं लगाया जा रहा है परन्त फिर भी उन्हें बैटरियों के कुछ अनिवार्य भागों पर शुल्क देना होगा ।

(ख) कुछ छोटे उद्योगों ने अभ्यावेदन किया है कि शुल्काधीन पुर्जों पर देय शुल्कों के स्थान पर मिश्रित दर अधिक निर्धारित की गई है । शुल्कों की मिश्रित दरें केवल वैकल्पिक हैं, अतः इन उद्योगों को निश्चित दर शुल्क देने का अधिकार है ।

औद्योगिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र आयुक्त

†१२६७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के औद्योगिक विकास आयुक्त हाल में नई दिल्ली आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन की इस यात्रा का क्या उद्देश्य था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र के औद्योगिक विकास आयुक्त, डा० जोस एन्टोनियो मायोब्रे एशिया और अफ्रीका की अपनी यात्रा के सम्बन्ध में हाल में भारत आये थे । उन की यात्रा का उद्देश्य इन देशों में औद्योगिक विकास की स्थितियों तथा समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना था ।

कम्पनियों द्वारा पूंजी निर्गम

†११६८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में अनेक कम्पनियों को कुल ३२.२५ करोड़ रु० की पूंजी-अंश जारी करने का प्राधिकार दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कम्पनियों के क्या नाम हैं और उन में कितनी सरकारी कम्पनियां हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) जिन कम्पनियों को कुल ३२.२५ करोड़ रु० की पूंजी जारी करने का प्राधिकार

†मूल अंग्रेजी में

दिया गया, उन के नाम निम्न हैं :—

कम्पनियों के नाम	स्वीकृत राशि
	रुपये
(१) एम० आर० इंडस्ट्रीज़ लि०	१४,८३,०३०
(२) पेयेन-तालब्रोज प्रा० लि०	५,००,०००
(३) हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लि०	२८,६५,००,०००
(४) इंडियन ड्राज एण्ड फार्मेसिटकल लि०,	२,५०,००,०००
(५) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०	२५,००,०००
(६) बूटस प्योर ड्रग कम्पनी (इंडिया) लि०	४०,००,०००
(७) दि कन्नोर शिपिंग एंड वीविंग मिल्स लि०	१५,००,०००
(८) डंकन ब्रादर्स एण्ड को० लि०	१०,००,०००
योग	३२,२४,८३,०३०

उपरोक्त आठ कम्पनियों में से, कम्पनी संख्या (३), (४) और (५) सरकारी क्षेत्र में हैं।

चेचक के टीके का आयात

†१२६९. **श्री रामेश्वरानन्द :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेचक के टीके विदेशों से प्रति वर्ष भारी मात्रा में मंगाये जाते हैं ;

(ख) ये टीके किन-किन देशों से मंगाये जाते हैं और १९६१-६२ में कितने मूल्य के मंगाये गये ; और

(ग) क्या ये टीके अपने देश में भी बनते हैं और यदि हां, तो इन के निर्माण के केन्द्र कहां-कहां हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). भारत सरकार ने रूस सरकार की इस ऑफर को स्वीकार कर लिया है जिस के अनुसार वे राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये १९६२ से शुष्क श्यान वैक्सीन की २५ करोड़ मात्राएं आठ त्रैमासिक किश्तों में निःशुल्क दे रहे हैं।

(ग) भारत में लिम्फ वैक्सीन निर्माता संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं :—

(१) निरोधी चिकित्सा संस्था, हैदराबाद।

(२) सरकारी वैक्सीन डिपो, शिलांग।

(३) सरकारी वैक्सीन संस्था, नामकुम।

(४) जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम।

(५) मानपुर लिम्फ डिपो, मानपुर।

†मूल अंग्रेज़ी में

(६) किंग संस्था, गिण्डी, मद्रास ।

(७) वैक्सीन संस्थां, नागपुर ।

(८) वैक्सीन संस्था, बंगलौर ।

(९) वैक्सीन संस्था, बेलगांव ।

(१०) स्वास्थ्य विज्ञान एवं वैक्सीन संस्था, अमृतसर ।

(११) राज्य वैक्सीन संस्था, पटवादनगर ।

(१२) सरकारी वैक्सीन संस्था, कलकत्ता ।

(१३) कलकत्ता निगम वैक्सीन संस्था, कलकत्ता ।

(१४) वैक्सीन संस्था, गोआ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की सहायता से राज्य वैक्सीन संस्था पटवादनगर (उत्तर प्रदेश) तथा किंग संस्था गिण्डी (मद्रास) में शुष्क श्यान वैक्सीन के उत्पादन के कदम उठाये गये हैं ।

संतति-निरोध के टीके

१२७०. **श्री रामेश्वरानन्द** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संतति-निरोध के टीके लगवाने वाली विवाहित महिलाओं को सरकार की ओर से नकद पुरस्कार दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को भी नकद पुरस्कार देने की कोई योजना बना रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि संतति-निरोध के लिये टीके लगाये जा रहे हैं । फिलहाल संतति-निरोध के लिये कोई प्रामाणिक टीका नहीं दीखता ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों की संख्या

†१२७१. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उसके संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी १, श्रेणी २, श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के कितने कर्मचारी हैं ; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों के तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं (श्रेणीवार) ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क)

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
श्रेणी १	१,५२०
श्रेणी २	३,१४२
श्रेणी ३	५०,०९३
श्रेणी ४	२१,९४७

(ख) :

श्रेणी	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
श्रेणी १	३८	५
श्रेणी २	१०९	६
श्रेणी ३	३,८६३	४०४
श्रेणी ४	२,९५५	५२०

दिल व सांस की बीमारियां

†१२७२. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नगरों में घरों में मिट्टी के तेल का अधिक प्रयोग होने से दिल व सांस के बीमारों की संख्या भी बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हो तो क्या इस दिशा में कोई अनुसंधान हो रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). भारत सरकार को किसी ऐसी सांख्यकीय या अन्य साक्ष्य का पता नहीं लगा है जिससे मिट्टी के तेल का घरों में प्रयोग से दिल व सांस की बीमारियों के बढ़ने का संबंध स्थापित किया जा सके।

दामोदर घाटी निगम के मुख्य कार्यालय का स्थानान्तरण

१२७३. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ७ मार्च १९६२ के दामोदर घाटी निगम के मुख्य कार्यालय के स्थानान्तरण सम्बन्धी तारांकित संख्या ३१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों को हटाकर मैथान ले जाने सम्बन्धी निर्णय को, जिसे सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया था, कार्यान्वित करने में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को कोई हिदायतें दी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) स्टाफ का कुछ हिस्सा पहले ही हेडक्वार्टर्ज पर भेज दिया गया है। मैथान में स्टाफ़ के लिये क्वाटर्ज तैयार हो रहे हैं और समय समय पर दामोदर घाटी निगम सारे मामले का अवलोकन करती है।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नेपाल से बिजली की खरीद

†१२७४. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रिशांग किशिंग : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार नेपाल से संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में करनाली परियोजना में बनने वाली बिजली खरीदने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई भारतीय प्रतिनिधि मंडल नेपाल गया था ; **और**

(ग) यदि हां, तो तो नेपाली प्राधिकारियों के साथ बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(ख) एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल जल साधनों का अधिकतम प्रयोग करने के लिए अपनी परियोजनाओं की योजना बनाने के लिये दोनों देशों के पारस्परिक हितों की परियोजनाओं तथा नदियों के बारे में संबंधित जानकारी के आदान प्रदान की व्यवस्था पर विचार करने के लिये नेपाल गया था ।

(ग) भारत-नेपाल सिंचाई और विद्युत परियोजना बोर्ड नामक बोर्ड बनाने का निश्चय किया गया है ।

दिल्ली में बिजली का अन्त्येष्टि यंत्र

१२७५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या स्वास्थ्य मंत्री ९ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में बिजली का अन्त्येष्टि-यंत्र स्थापित करने के कार्य में इस बीच और क्या प्रगति हुई है और उसे किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : बिजली के अन्त्येष्टि-यंत्र के लिये मास्टर प्लान के अन्तर्गत, बेला रोड (रिंगरोड) और जमुना के रेलवे पुल के दक्षिण में स्थित जमुना मार्जिनल बांध के बीच एक भूमि-खण्ड निर्धारित किया गया है ।

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने १६ मार्च, १९६२ को दाह-संस्कार का स्थान बनाने के लिए एक टेण्डर स्वीकृत कर लिया है तथा काम दे दिया गया है । इस वर्ष के अन्त तक निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शान्ता क्रूज हवाई अड्डे पर हीरों का पकड़ा जाना

†१२७६. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने ११ मार्च, १९६३ को बम्बई में शांता क्रुज हवाई अड्डे पर एक विदेशी से ५ लाख रु० के मुल्य के हीरे पकड़े ; और

(ख) यदि हां, तो की गई जांच पड़ताल का क्या परिणाम निकला और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) बम्बई सीमा शुल्क अधिकारियों ने लगभग ५ लाख रु० के मूल्य (साधारण रूप में) के हीरे ११ मार्च, १९६३ को एक विदेशी से शांता क्रुज हवाई अड्डे पर पकड़े। हीरे एक पैकेट से प्राप्त हुए जो उसके अन्डर वीयर के भीतर पेट के नीचे के भाग से बंधा हुआ था ।

(ख) व्यक्ति पकड़ा गया और मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसने उसे जमानत पर छोड़ दिया। क्योंकि वह जमानत नहीं दे सका, वह जेल में है। मामले की जांच पड़ताल हो रही है ।

बैंक आफ चाइना

†१२७७. **श्री शशि रंजन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बैंक आफ चाइना को समापन के समय उसकी कुल आस्तियां व दायित्व कितने थे ; और

(ख) बैंक आफ चाइना के निदेशक मंडल के सभापति के प्रार्थना करने पर बैंक आफ चाइना की आस्तियां मुक्त पर सरकार ने क्या निश्चय किया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) बैंक समाप्त होने से ठीक पहिले उसकी ठोस आस्तियों का अनुमान १.५७ करोड़ रु० होने का अनुमान था और दायित्व १.६९ करोड़ रु० के थे ।

(ख) क्योंकि बैंक का समापन विधि द्वारा निश्चित प्रक्रिया के अनुसार तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के तत्वाधान में होना, सरकार द्वारा आस्तियां मुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। विदेशी सरकारों के कुछ कूटनीतिज्ञों तथा वाणिज्य-दूतों को हुई कठिनाइयों का ध्यान रखकर, ऐसी सरकारों को प्राप्य ऋण देने का उपबन्ध किया गया है।

मध्य प्रदेश का रहस्मय रोग

†१२७८. { **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में मध्य प्रदेश के झबुआ जिला में कोई 'रहस्यमय रोग' फैल गया है जिसमें रोगी को तेज बुखार होता है और उलटियां होने लगती हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से मध्य प्रदेश सरकार ने कोई सहायता मांगी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के झबुआ जिले में कोई रहस्यमय रोग नहीं फैला है। फिर भी, कुछ गांवों में पिछली फरवरी में 'इन्फ्लूएंजा' फैला था जिससे १३ मार्च, १९६३ तक १०९ व्यक्ति पीड़ित हुए और ८ की मृत्यु हुई। इसके बाद किसी को यह रोग होने की सूचना नहीं मिली।

(ग) नहीं।

सरकारी अस्पतालों में डाक्टर

१२७९. श्री कछवाय : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष भर में कितने लोग एम० बी०बी० एस० पास करके निकलते हैं ;

(ख) उनमें से कितने लोग सरकारी अस्पतालों में नौकरी करते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि डाक्टरों के वेतन कम हैं और इस कारण वे प्राइवेट प्रैक्टिस करना ज्यादा पसन्द करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उनके वेतन बढ़ाने का विचार कर रही है और यदि हां, तो कब तक बढ़ाये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) एम० बी० बी० एस० में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों की संख्या १९५९ में ३११६, १९६० में ३३८७ और १९६१ में लगभग ३९०० थी।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में कर की वसूली

†**१२८०. श्री बलजीत सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में पंजाब राज्य में करों से सरकार ने कितनी रकमें इकट्ठी कीं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १९६२–६३ के वित्तीय वर्ष के बन्द हो जाने बाद अपेक्षित जानकारी उपलब्ध होगी।

पंजाब में ग्राम विद्युतीकरण

†**१२८१. श्री बलजीत सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३–६४ में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये पंजाब सरकार ने कोई सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत योजनाओं पर व्यय किये गये धन के आधार पर सहायता की स्वीकृति दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य में वर्क सेन्टर

१२८२. श्री लखमू भवानी : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत मार्च, १९६३ तक कितने वर्क सेंटर बनाये गये ; और

(ख) उक्त वर्क सेंटर्स पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) ६२ ।

(ख) जनवरी, १९६३ के अन्त तक ६६.७४ लाख रुपये (जिसमें निर्माण और मरम्मतों पर हुआ व्यय सम्मिलित है) ।

दण्डकारण्य परियोजना

१२८३. श्री लखमू भवानी : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत पुनर्वास कार्य पर मार्च, १९६३ तक कितनी राशि खर्च हुई ; और

(ख) मार्च, १९६३ तक कर्मचारियों पर कुल कितना धन खर्च हुआ ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) (क) और (ख). ३१ जनवरी, १९६३ तक, जिसके लिये आंकड़े इस समय उपलब्ध हैं, इस परियोजना पर १५०३.८७ लाख रुपये की राशि खर्च हो चुकी थी । सिब्बन्दी (ऐस्टैबलिशमैंट) पर हुआ व्यय ३४०.५५ लाख रुपये था, जिसमें से लगभग २८ प्रतिशत खर्च मशीनों, गाड़ियों इत्यादि, पर काम करने वाले कर्मचारियों पर और लगभग ४० प्रतिशत खर्च इंजीनियरों तथा तकनीकी कर्मचारियों पर हुआ ।

अल्प-बचत प्रमाणपत्र

१२८४. श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में १९६२ में अल्प-बचत प्रमाण पत्रों की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : १.७० करोड़ रुपये । इसके अलावा डाकखाना बचत बैंक और बढ़ने वाली मीयादी जमा (क्यूमुलेटिव टाइम डिपाजिट) के खातों में ७४ लाख रुपये की वास्तविक रकमें जमा करायी गयीं ।

पुरानी दिल्ली के कारखानों का बन्द हो जाना

†**१२८५. श्री रा० गि० दुबे :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरानी दिल्ली के ८०० कारखाने जो रहने के मकानों की जमीनों पर बने हुये थे, बन्द होने जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली की बृहद योजना के अधीन व्यवस्था के अनुसार जो औद्योगिक एकक, उनके लिये निश्चित स्थानों पर स्थित नहीं हैं उनको स्वीकृत औद्योगिक खंडों में ले जाया जा रहा है। इनको हटाने का ब्योरेवार कार्यक्रम बनाया जा रहा है या इस प्रकार हटाया जा रहा है कि उत्पादन में कम से कम नुकसान हो तथा उद्योगों और मजदूरों को कठिनाई न हो। उद्योग के स्वस्थ तथा अन्य मामलों के अनुसार इनको हटाने के लिये समय दिया जायेगा। इसलिये निश्चित स्थानों पर ये उद्योगों को बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता है।

यह पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है कि इसका प्रभाव कितने एककों पर पड़ेगा। परन्तु दिल्ली नगर निगम के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग ३,००० कारखाने निश्चित स्थानों पर काम नहीं कर रहे हैं।

(ख) दिल्ली बृहद योजना के उपबन्धों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों का पुर्नविकास करने के कारण जिससे विकास असमान रूप से न हो तथा रहने के स्थानों में उद्योगों की स्थापना से गड़बड़ी तथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़ने के कारण।

मद्रास राज्य में ग्राम विद्युतीकरण

†१२८६. श्री इलयापेरुमाल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना में मद्रास राज्य के ग्राम विद्युतीकरण कार्य के लिये कितनी रकम आवंटित की गई है ;

(ख) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ग) अब तक कितने गांवों में बिजली लगा दी गई है ; और

(घ) तीसरी योजना अवधि के अन्त तक कितने गांवों को लाभ होगा ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मद्रास राज्य के लिये ३० करोड़ रुपया आवंटित किया गया था।

(ख) तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में १३२१.१७ लाख रुपये (अनुमानतः)।

(ग) ३१-३-१९६२ तक छोटे छोटे गांवों समेत १२,६५३ गांवों में।

(घ) छोटे गांवों समेत १३,८६०।

मद्रास राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम

†१२८७. श्री इलयापेरुमाल : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ था ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में मद्रास राज्य में नगदीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये थे ; और

(ग) मद्रास राज्य को तीसरी योजना में इस काम के लिये कितनी रकम का आवंटन किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** :(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य में बताया गया है कि ४७,६८,२८६ व्यक्तियों को लाभ हुआ है।

(ख) बताया जाता है कि मद्रास राज्य में ग्रामीण तथा नगरीय केन्द्र १२३३ तथा २८ क्रमशः हैं (इनमें गर्भनिरोधक वस्तुओं का वितरण करने वाले ११५५ ग्रामीण केन्द्र भी शामिल हैं) इनमें से ११५८ ग्राम केन्द्र तीसरी पंच वर्षीय योजना में खोले गये थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में खोले गये १६२ पुरुषों के लिये तथा ११ महिलाओं के समेत ३८४ बन्ध्यीकरण केन्द्र खोले गये हैं। २८४ पुरुषों के लिये तथा १०० महिलाओं के लिये।

(ग) राज्य सरकार के ६४ लाख रुपये के अंशदान समेत मद्रास राज्य के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये अस्थाई व्यवस्था की गई है।

रामकृष्णपुरम कालोनी, नई दिल्ली

†१२८८. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैक्टर २ तथा सैक्टर ३ के बीच रामकृष्णपुरम कालोनी में अब तक सड़क पर रोशनी की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) सड़क पर रोशनी की व्यवस्था कब कर दी जायेगी ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग) १६ मार्च, १९६३ से सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करदी गई है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष १९६१–६२ के लिए दिल्ली विकास प्राधिकर के प्रमाणीकृत लेखे

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : श्रीमन्, मैं दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा २५ की उपधारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९६१–६२ के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार के प्रमाणीकृत लेखे की एक प्रति, तत्संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, सभा पटल पर रखती हूं।
[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०–१०४०/६३]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन नियम, १९६३

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : श्रीमन्, मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अधीन, दिनांक ९ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४२३ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन नियाम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्य एल०टी०—१०४१/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

याचिक समिति

कार्यवाही-सारांश

†**श्री तिरुमल राव (काकिनाडा)** : श्रीमन्, मैं याचिका समिति की वर्तमान अधिवेशन में हुई तीसरी और चौथी बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

पहला प्रतिवेदन

†**श्री तिरुमल राव** : श्रीमन्, मैं याचिका समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुदानों की माँगें—जारी

श्रम और रोजगार मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा आरम्भ करेगी । माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें ।

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं कल उद्योग के लागत ढांचे में मजूरी के स्थान के संबंध में स्पष्टीकरण दे रहा था । मजूरी और वेतन तथा कुल उत्पादन लागत के बीच अनुपात में निरन्तर कमी हो रही है । वर्ष १९५३ में वह २०.३ था और १९६० में १५.५ । यह निर्माणकारी उद्योगों का औसत है और ये रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं । स्वाभाविक ही, आय में वृद्धि हुई है लेकिन उत्पादकता उससे कहीं अधिक बढ़ गयी है । जिस अवधि का मैंने उल्लेख किया है उस अवधि में आमदनी २४ प्रतिशत बढ़ी है और उत्पादकता में ३२ प्रतिशत वृद्धि हुई है । यह अनुपात वेतन और मजूरी को एक साथ मिलाकर है । यदि हम वेतन को इसमें से निकाल दें, तो मजूरी १२ प्रतिशत रह जाती है । जब हम उस अवधि में केवल मजूरी को ही हिसाब में लेते हैं तो यह निष्कर्ष और भी दृढ़ हो जाता है कि मजूरी उद्योग के लिए लाभदायक रही ।

कर्मचारियों की दृष्टि से दूसरी बात यह है कि रहन सहन का खर्च बढ़ने पर भी उनकी वास्तविक आय में वृद्धि हुई है। १९५६ के मुकाबले १९६० में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १०० से ११७ और १९६१ में ११९ हो गया फिर भी १९६० में वास्तविक आय में वृद्धि लगभग ६ प्रतिशत और १९६१ में ७ प्रतिशत थी ।

अभी हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई है कि भारतीय श्रमिक सम्मेलन ने आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी का सिद्धान्त मान लिया है । हमें यथाशीघ्र इस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिये । हमने यह सिद्धान्त मान लिया है। सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार १९५८ में वह न्यूनतम मजूरी १२० रुपये से १२५ रुपये प्रति माह के बीच होने का अनुमान था । तबसे रहन सहन का खर्च ९ प्रतिशत बढ़ गया है। यह आंकड़े मूलभत वर्ष १९५८ के बारे में हैं । दूसरी ओर कई उद्योगों में औद्योगिक कर्मचारियों की आय १९६१ में ११७ रुपये थी लेकिन फिर भी यह मानना पड़ेगा कि उस में हर साल वृद्धि हुई है । अब भी कुछ कमी अवश्य है। लेकिन यह कमी दूर करने का प्रयत्न एक अच्छी प्रवृत्ति है । हर साल जो परिवर्तन हो रहे हैं उन से ये अन्तर दूर हो रहे हैं और हमें आशा है कि एक सा आधार स्थापित किया जा रहा है । कम आय वाले लोगों ने हाल के वर्षों में अपनी स्थिति में काफी सुधार किया है । इसका एक कारण तो यह है कि न्यूनतम मजूरी बढ़ा दी गयी है और दूसरा यह कि महंगाई

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

भत्ता आदि भी बढ़ा दिया गया है। १९५६ के बाद संपूर्ण स्थिति यह है कि १९६१ में धन-आय लगभग ३१ प्रतिशत बढ़ गयी है और रहन सहन का खर्च २० प्रतिशत बढ़ गया है और वास्तविक मजूरी में ९ प्रतिशत वृद्धि हुई है। खनन उद्योग के संबंध में ये आंकड़े और भी अधिक हैं: धन आय में ३८ प्रतिशत वृद्धि और वास्तविक आय में १५ प्रतिशत वृद्धि; क्योंकि जहां तक कर्मचारियों की मजूरी का संबंध है, खनन उद्योग की स्थिति और भी खराब है। वर्ष १९६१ में निर्माण उद्योगों में धन-आय २ प्रतिशत और खनन उद्योगों में ४ प्रतिशत बढ़ी है इस प्रकार वास्तविक आय में क्रमश: १ प्रतिशत और २ प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष १९६२ में भी मजूरी के मामले में कुछ प्रगति हुई है। कई मजूरी बोर्डों के अंतरिम निर्णयों के कारण काफी वृद्धि हुई है जैसे सीमेन्ट में १० रुपये प्रति मास कॉफ़ी में ३ न०पै० से १३ न० पै० प्रतिदिन, लोहा और इस्पात में १० रुपये से २१ रुपये प्रति माह, कोयला खानों में १ मार्च १९६३ से ७ रुपये ६२ नये पैसे से बढ़ाकर ९ रुपये २५ पैसे प्रतिमास मजूरी कर दी गयी है। न्यूनतम मजूरी अधिनियम में परिवर्तन करने से पहले विभिन्न उद्योगों में वह १० से ११४ प्रतिशत था। अब सामूहिक करारों के कारण काफी संख्या में कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है। वर्ष १९६२ के लिए यही स्थिति है।

हमने मजूरी निर्धारित करने के लिए अभी तक जो भी तरीके अपनाये उनमें मजूरी बोर्ड की प्रणाली सब से अच्छी प्रतीत हुई। पहले न्यायाधिकरण होते थे लेकिन उनके निर्णयों से दोनों ही पक्ष कुछ असंतुष्ट रहते थे और उनके निर्णयों को कार्यान्वित करना बड़ा कठिन होता था। अब प्रत्येक मजूरी बोर्ड ने सर्वसम्मति से सहमत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और वह शतप्रतिशत कार्यान्वित की गयी है। जहां कोई कमी रही है, उसके लिए विशेष कारण हैं।

इन बोर्डों की रचना बहुत संतोषजनक है। उनमें एक न्यायिक व्यक्ति, दो निर्दलीय व्यक्ति, सामान्यत: एक संसद् सदस्य और दलों के प्रतिनिधि होते हैं। एक बार निर्णय हो जाने पर वह पांच साल के लिए लागू होता है। इसलिए जहां तक उद्योग का संबंध है, मजूरी के मामले में स्थिरता की भावना उत्पन्न हुई है। इसलिए इस प्रश्न के निबटारे के लिए वह बहुत लाभदायक तरीका है। अधिकांश महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे चीनी, सीमेन्ट, पटसन, बागान, लोहा तथा इस्पात के लिए ये बोर्ड बनाये गये हैं। कोयले को छोड़कर दूसरी खानों के लिए वह बनाया जा रहा है। रसायन और इंजीनियरी के लिए भी बोर्ड बनाये जाने हैं। बाकी कर्मचारी वेतन आयोग के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार मजूरी बोर्डों के मामले में कर्मचारियों की मांग पूरी करने में काफी प्रगति हुई है। सूती वस्त्र उद्योग में मजूरी बोर्ड ने ८. ६ से २१ प्रतिशत, चीनी उद्योग में ३८ से ११७ प्रतिशत और सीमेंट में ७ से १०० प्रतिशत वृद्धि की है। इस प्रकार इस दिशा में यह एक बड़ा कदम था। एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि हर पेशे के लिए चाहे उसमें सिर्फ ५ ही आदमी क्यों न हो, मजूरी बोर्ड क्यों न बनाये जायें। इस पर हमें यह बताना है कि मजूरी बोर्ड बनाना एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है और इन बोर्डों के अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति ढूंढ़ना आसान नहीं है। फिर न्यायाधिकरण भी हैं जो इन बातों का फैसला कर सकते हैं।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड की मांग के प्रश्न के बारे में सारे इतिहास से परिचित हूं। उनकी ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उनके लिए मजूरी बोर्ड बनाये जायें। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में कुछ संशोधन भी किये गये हैं और पहले के निर्णय में उल्लिखित तीन वर्ष की अवधि भी समाप्त हो गयी है। लेकिन इस अवधि में परिस्थितियों में ऐसा कोई ठोस परिवर्तन

नहीं हुआ है कि इस प्रश्न पर दुबारा विचार किया जाये। मैंने श्रमजीवी पत्रकारों से यह कहा कि वह अपनी मांग के आधार और उसकी आवश्यकता के कारण बताते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत करे। वह मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन सारी स्थिति की छानबीन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिए एक मंजूरी बोर्ड कायम किया जाना चाहिये। मैं सिद्धान्त रूप से इसे मानता हूं लेकिन उसे कार्यान्वित करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढ़ना होगा और अन्य व्यवस्था भी करनी होगी।

जहां तक इंजीनियरी उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के प्रश्न का संबंध है, हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है और इसमें कई छोटे बड़े एकक हैं। उन सबको एक में मिलाना उचित नहीं है क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए सब से पहले तो एक अध्ययन दल बनाना होगा जो इंजीनियरी उद्योग में मूल्य ढांचे की समस्या की छानबीन करे और उस समस्या का कोई हल सुझाये। इसलिए मैं इस पर विचार कर रहा हूं। मैं यह भी बता दूं कि यह अध्ययन दल बहुत जल्द ही काम करना शुरु कर देगा और शीघ्र ही हमें एक रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी जिसके आधार पर हम यह निश्चय कर सकेंगे कि मजूरी बोर्ड बनाने के लिए इंजीनियरी उद्योग के किस अनुभाग को तुरन्त चुना जाये।

जहां तक खेतिहर मजदूरों का संबंध है, कोई आशाजनक प्रगति नहीं हुई है। दो कृषि जांच रिपोर्टों से यह मालूम हुआ है कि खेतिहर मजदूरों की हालत में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है। इसलिए उसके बाद की स्थिति बताने वाले कोई आंकड़े मैं नहीं दे सकता।

जहां तक न्यूनतम मजूरी अधिनियम को कार्यान्वित करने का प्रश्न है, उसमें बराबर प्रगति हुई है। अधिकाधिक राज्य अधिकाधिक क्षेत्र में उसे लागू कर रहे हैं। यह अधिनियम प्राय: संपूर्ण देश में लागू हो गया है और उसके अधीन किये गये निर्णयों से वृद्धि की गयी है। उदाहरणार्थ, कुछ वृद्धि इस प्रकार है:

आन्ध्र प्रदेश: १६से ३३ प्रतिशत, मध्य प्रदेश ५५ से ८० प्रतिशत, उड़ीसा ३३ से ४० प्रतिशत, मैसूर १५ से ५० प्रतिशत, पंजाब २५ प्रतिशत और उत्तर प्रदेश १० से ५० प्रतिशत है।

खेतिहर मजदूरों की स्थिति के बारे में मुझे बहुत संतोष नहीं है। उनकी समस्याओं का हल कुछ हद तक न्यूनतम मजूरी अधिनियम की ठीक रूप से क्रियान्विति पर निर्भर है। उनकी समस्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं और वे कृषि अर्थ व्यवस्था की स्थिति और रोजगार के क्षेत्र पर निर्भर है। उनकी एक समस्या यह है कि साल में जितने दिन उन्हें काम मिलता है वह बहुत कम होते हैं और इसलिए उनकी कुछ परिवारिक आय न्यूनतम मजूरी की दर से बहुत कम होती है। इस समस्या को हल करने के लिए कृषि की हालत सुधारनी होगी और उस उद्योग में काम करने वाले लोगों को वैकल्पिक रोजगार दिलाने होंगे। इस संबंध में जो कुछ किया जा रहा है वह माननीय सदस्यों को मालूम है। यह विचार नहीं है कि उन लोगों को रोजगार दिलाने के लिए शहरों में लाया जाये। उसका हल यह है कि छोटे पैमाने के उद्योग देहाती इलाकों में चालू किये जायें। इसी दिशा में हमने कुछ कदम उठाना शुरु किया है।

†**श्री राम सहाय पांडेय** (गुना): संचार साधन तथा बिजली की कमी के कारण इसमें कुछ समय लगेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नन्दा : यदि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने और अन्य उद्योगों का विस्तार करने के लिये देहाती क्षेत्रों में बिजली लगने की प्रगति की प्रतीक्षा करनी पड़ी तो इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि बिजली वाले गांव बहुत ही कम हैं। हमें शक्ति के अन्य साधनों का उपयोग करना होगा।

†**डा० पं० शा० देशमुख** (अमरावती) : गोबर गैस सन्यन्त्र उपयोगी हो सकते हैं।

†**श्री नन्दा :** आप वहां सहायता कर सकते हैं। किसी सदस्य ने बीड़ी उद्योग का प्रश्न उठाया था। हम कई वर्षों से एक दूसरे के साथ मिले हुए क्षेत्रों में मजूरी की दरों की स्थापना न होने की समस्या के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पड़ौसी राज्यों का संयुक्त बोर्ड स्थापित किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात और उड़ीसा शामिल हैं, जो समन्वित आधार पर इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करेगा।

मजूरी का प्रश्न मजूरी की दर का नहीं। मुख्य बात यह है कि चीजें खरीदने के लिये मजूरी की क्रय शक्ति कितनी होगी। इसमें श्रम मन्त्रालय ने सहकारी संस्थाओं के बारे में काफी अच्छी प्रगति की है। एक योजना है जिसके द्वारा ३०० कार्यकर्ताओं से अधिक वाले सभी प्रतिष्ठानोंमें ऐसी सहकारी संस्था होगी। मालिक अंश पूंजी में, स्थान आदि में योग देगा। उपभोक्ता सहकारी स्टोरों में अंश खरीदने में कार्यकर्ताओं को सहायता देने के लिये, सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि योजना नियमों के अधीन कर्मचारियों को ३० रुपये तक न लौटाये जाने वाले ऋण दिए जा सकेंगे और कोयला खान भविष्य निधि से २० रुपये तक ऐसे ऋण दिये जा सकें। १०० से अधिक कर्मचारियों वाली चार सौ कोयला खानों से ऐसी सहकारी संस्थाएं आयोजित करने की आशा है। ऐसी २६० ऋण संस्थाएं १०० उपभोक्ता कक्षों समेत चल रही हैं और अधिक प्राथमिक स्टोर शीघ्र ही अगले वर्ष में खोले जायेंगे। सात राज्यों ने इस काम के लिये व्यापक कार्यक्रम बना लिये हैं।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : इनका नियन्त्रण श्रमिकों के हाथों में होना चाहिये, चाहे प्रबन्धकों के प्रतिनिधि भी उसमें हों।

†**श्री नन्दा** : मैंने इस समाचार पर ध्यान दिया है। मैं देश के भिन्न २ स्थानों पर गया हूं जहां ये सहकारी स्टोर सफलता पूर्वक या अन्यथा चल रहे हैं। जहां कहीं मालिक और श्रमिक इकट्ठे काम करते हैं, जहां प्रबन्धक उनकी सहायता करता है, स्टोर सफल होते हैं। यहां भी उनको इकट्ठे मिल कर काम करना होगा। इसके अतिरिक्त हम इन संस्थाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अनेक स्टोर भी बनायेंगे एक झरिया में एक रानीगंज में।

अधिक काम करने के लिये रहते समय एक बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। यह वृद्धि या उन्नति उद्योग की आय में से होनी चाहिये, अर्थात् उत्पादन बढ़ने से। अन्यथा, श्रमजीवी वर्गों के स्तर में बहुत ही कम उन्नति हो सकती है। मजूरी वर्गों ने भी यह बात बहुत स्पष्ट तौर पर तय कर दी है कि यदि अधिक अपेक्षा की गई, तो यह उत्पादकता वृद्धि से होनी चाहिये। अतः मैं पुनः इस बात पर जोर दूंगा। यह कई बातों का परिणाम है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रश्न है जिसका उत्तरदायित्व सरकार ने लिया है। मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी प्रगति की जा रही है और हो रही है।

मन्त्रालय का प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत तेजी से बढ़ा है कि पहली योजना के प्रारम्भ या अन्त में १०,००० स्थानों से दूसरी योजना के अन्त में ४०,००० से अधिक हो गया है और तीसरी योजना का लक्ष्य एक लाख का है। आशा है कि यह कम समय में ही पूरा हो जाएगा

---

†मूल अंग्रेजी में

अर्थात् समय से पहले हो। इसके अतिरिक्त बहुत से तरीके हैं जिनके द्वारा उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। मैं श्रमजीवी वर्गों को इसे स्वीकार करने के लिये धन्यवाद देता हूं और मैंने पहले कहा, वैज्ञानिकन का समूचा सिद्धान्त और अब कुछ परि त्राणों के अन्तर्गत, जो भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा दिये गये हैं, वह कार्य आगे बढ़ रहा है। नवीन विधि के अधीन शिशुक्षता योजना है, जो हाल ही में संसद् द्वारा पारित की गई है। श्रम से भी कुशलता बढ़ेगी। फिर उद्योग के ही अन्दर प्रशिक्षण देने का यह कार्यक्रम है। हमारा उत्पादकता केन्द्र इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। सीमेंट उद्योग में कार्य भार अध्ययन हाल ही में किया गया था क्योंकि वह किसी अग्रेतर वृद्धि से पहले की अवस्था थी, यद्यपि कुछ अग्रेतर वृद्धि हुई है। कार्य मूल्यांकन आदि भी है श्रम मन्त्रालय का ऐसा एक काम है कर्मचारी शिक्षा कार्यक्रम। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसकी बड़ी सम्भावना है। इस समय हमने कुछ प्रगति की है और मैं इसे अधिक नहीं समझता। इस वर्ष १९६२–६३ में २७७४४ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। कुछ समय पूर्व योजना आरम्भ होने से लेकर ५२२५९ लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

माननीय सदस्यों ने इस योजना की प्रशंसा की है। निस्सन्देह यह कहा गया है कि इसने तेजी से प्रगति नहीं की, अर्थात् सब उद्योग में ५२,००० । किन्तु यह तो प्रारम्भ है और प्रतिवर्ष प्रगति अधिक तेजी से होगी। मैं आशा करता हूं कि चार या पांच वर्षों में इस कार्य की प्रगति बहुत अधिक हो जाएगी।

इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ शंकाएं भी प्रकट की गई हैं। अतः मैं एक दो शब्द इसके बारे में भी कहना चाहूंगा कि यह स्वायत्तशासी बोर्ड है जहां कर्मचारी और मालिक बैठते हैं जो योजना को चलाते हैं। मूल्यांकन किये गये हैं। सुधार की गुंजाइश हो सकती है। किन्तु हम शिक्षा का न केवल उत्पादकता वृद्धि तथा औद्योगिक बेचैनी आदि को घटाने पर ही प्रभाव पड़ता है, अपितु कर्मचारी के कल्याण की चहुंमुखी प्रगति पर भी प्रभाव पड़ता है।

अब औद्योगिक सम्बन्धों को लूंगा, जहां मैं सर्व प्रथम इस बात को स्वीकार करूंगा कि पिछले वर्ष में खोये गये मनुष्य दिनों की संख्या इतनी नहीं रही कि हमें कोई राहत मिलती। कुछ हड़तालें हुईं जिनके कारण मनुष्यों के दिनों का बहुत बड़ा छीजन हुआ और जिसके लिये कोई अवसर नहीं था। उदाहरणार्थ केरल में काजू उद्योग में, नौ लाख से अधिक मनुष्य दिन नष्ट हो गये थे। बम्बई में होटल कर्मचारियों की हड़ताल थी। कुछ और हड़तालें भी हुईं। मुझे महाराष्ट्र के श्रम मन्त्री का पत्र मिला है। उन्होंने कहा है "कि मैं क्या करूं ? कर्मचारियों और मालिकों के बीच कोई वास्तविक विवाद नहीं है। ये राजनीतिक हैं, विद्रोहात्मक स्थिति है, लोग गड़बड़ी करना चाहते हैं और ये सब संहिताएं वहां लागू नहीं होतीं।" अतः इस वर्ष के अन्दर स्थिति में कुछ गिरावट आई है, हालांकि आंकड़े पहले के आंकड़ों की तुलना में कम हैं किन्तु मैं इस मामले में एक अन्तर करना चाहता हूं। वह केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों का है। मैं केन्द्रीय क्षेत्र के लिये उत्तरदायी हूं और मैं समझता हूं कि केन्द्रीय क्षेत्र में स्थिति लगातार सुधर रही है और कोई गिरावट नहीं आई है।

मैं आंकड़े बता सकता हूं जिनसे पता चलेगा कि केन्द्रीय क्षेत्र में कैसे स्थिति बहुत अच्छी है। पहले दस महीनों में केन्द्रीय क्षेत्र की औसत जनवरी से अक्तूबर, १९६२ तक, लगभग ३६,००० थी। नवम्बर में यह लगभग ३४६० थी। दिसम्बर में यह गिर कर १५०० हो गई। पहले के वर्षों को भी लेते हुए स्थिति यही है। केन्द्रीय क्षेत्र में प्रति वर्ष नष्ट हुए समय की मात्रा कम होती जा रही है।

किन्तु कुछ राज्यों में, स्थिति उन कारणों से जो मैंने बताये हैं, स्थिति में गिरावट हुई है। मैं औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में कुछ कहूंगा। कुछ सदस्यों ने इसके बारे में कई बातें उठाई हैं। मैं उन सब के ब्यौरे में नहीं पड़ सकता, किन्तु मैं एक या दो महत्वपूर्ण बातें बतलाऊंगा। आई०

[श्री नन्दा]

एन० टी० यू० सी० और दूसरे कार्मिक संघों के बारे में भेदभाव की बात का जहां तक सम्बन्ध है, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि केन्द्रीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मैं यह सिद्ध कर सकता हूं आंकड़ों से कि आई०एन०टी०यू०सी० और ए०आई०टी०यू०सी० तथा अन्य सभी संघों के साथ कैसे समानता का व्यवहार किया गया है। अधिक निर्णयन के मामले में उनको अपना अपना भाग प्राप्त हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार के विशिष्ट मामले में जिसके बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, मेरे पास पिछले वर्ष के आंकड़े हैं। मैं देखता हूं कि उनको अधिनिर्णयन से इंकार नहीं किया गया। मैं वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास केवल श्री इन्द्रजीत गुप्त का पत्र आया है। मैंने पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा और मुझे उत्तर प्राप्त हो गया। वे कहते हैं कि ये सब आरोप निराधार हैं। मैं उस विवाद को यहां आगे नहीं ले जा सकता। हम इसके बारे में बाद में चर्चा कर सकते हैं। किन्तु मैं कह सकता हूं बड़े सन्तोष के साथ कि कार्यान्वित करने वाला यह तन्त्र मजबूत किया गया और प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, परिणामतः कार्यान्वित न होने की संख्या कम हो रही है और समझौते या बाद में अधिनिर्णय में लगने वाला समय भी कम होता जा रहा है। उन सब मामलों में समय घट रहा है। मैं यह सिद्ध करने के आंकड़े बाद में दे सकता हूं।

हाल ही में हमने एक और उपाय किया है। पहले समझौता वाले मामलों के लिये दो घंटों की अवधि होती थी, किन्तु हमने इसे घटा कर एक महीना कर दिया है। विलम्ब के मामले में ही श्रमजीवी श्रेणियों को शिकायत होती थी। केन्द्रीय क्षेत्र के बारे में यही स्थिति है। राज्यों के मामले में भी कुछ उन्नति है, किन्तु वह कहीं अधिक है कहीं कम। मैं उन को केवल लिख सकता हूं कि वे हालात को सुधारने का प्रयत्न करें।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : प्रतिवेदन में ये आंकड़े नहीं दिये गये। ये माननीय सदस्यों में परिचालित किये जायें।

†**श्री नन्दा** : जो आंकड़े मेरे पास हैं मैं उनको दे दूंगा। सरकारी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। उस क्षेत्र में मुझे कठिनाई अवश्य है। मैं देखता हूं कि सुधार के प्रति वहां विरोध होता है, कुछ सिद्धांतों को स्वीकार करने तथा श्रमजीवी वर्गों के बारे में व्यवस्था करने के बारे में, संयुक्त प्रबंध परिषदों, अनुशासन संहिता आदि के बारे में विरोध किया जाता है इन लोगों की ओर से जो इन पदों पर नये नये आते हैं। संयंत्र स्तर में प्रशासन और उन सब कामों के प्रभारी लोगों के इरादे तो नेक हैं; वे संभवतः यह समझते हैं कि ये सब नई चीजें शायद सरकारी क्षेत्र में स्थिति को बिगाड़ देंगी।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या इस बात की जांच करना आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता ?

†**श्री नन्दा** : मैंने संबद्ध सचिवों, प्रबंधक एवं मंत्रियों के साथ बैठकें की हैं और प्रत्येक स्तर पर कुछ प्रगति की गई है और मैं देख रहा हूं कि एक एक कर के कठिनाइयां दूर की जा रही हैं और स्थिति सुधर रही है। अतः सरकारी क्षेत्र में इन सब मामलों में, नवीन योजनाओं के स्वीकार किये जाने तथा कार्यान्वित किये जाने के बारे में लगातार उन्नति हो रही है। जो शेष काम है, मैं उसे दूसरे सम्मेलन में उठाने का विचार करता हूं। मैं कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रभारी लोगों को दूसरे सम्मेलन में इकट्ठे बुलाना चाहता हूं ताकि हम समूची पृष्ठभूमि पर विचार कर सकें। हो सकता है कि जब लोग आमने सामने बात करते हैं तो कठिनाइयां हल की जा सकती हैं। हमने जीवन बीमा निगम में सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों को जोड़ने का यह कदम उठाया है। यह पिछले भारतीय श्रम सम्मेलन में पहली बार किया गया था और यह शिक्षण का काम आगे बढ़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

बात यह है कि महा प्रबन्धकों को बुलाया गया था । यह इसका एक अंग है । यह नया उपाय था । जहां तक मंत्रालय के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है, वे हमेशा इस सम्मेलन में श्रम मंत्रालय के साथ जोड़े जाते हैं ।

ठेकेदारों के श्रमिकों का सवाल उठाया गया है । अर्थात् उनकी काम करने की शर्तों और आवास आदि के बारे में । ठेकेदारों के श्रमिकों और आवास के बारे में, हमने पहले मामले में काफी उन्नति की है, और दूसरे मामले में भी कुछ उन्नति की है। स्पष्ट नीति अपनाई गई है कि ठेकेदारी श्रमिकों की प्रणाली को समाप्त करने का प्रयत्न करें। कुछ स्थानों पर यह समाप्त नहीं की जा सकती, अतः इस का विनियमन किया जाना चाहिये । हमने द्विपक्षीय आकार पर कोयला खनन उद्योग के सम्बन्ध में बहुत प्रगति की है और इस की कार्यान्विति भी बहुत अच्छी हो रही है । कुछ क्षेत्रों में संक्षिप्त श्रमिक होंगे और हम उनका प्रबन्ध करने का प्रयत्न करेंगे ।

दूसरी बात आवास के बारे में है । अर्थ सहायता वाली औद्योगिक आवास योजना की अधीन हम ने बहुतेरे मकान बनाये हैं, और कुछ एक में अभी लोग नहीं बसे हैं । यह दुख की बात है । हमने धन लगाया और लोग नहीं बसे । हो सकता है किराये बहुत अधिक हों, किन्तु अर्थ के आधार पर जितने किराये होने चाहिये उन में से आधे भी नहीं है । उनके मामले में रियायत सहायता दी हुई है ।.

मैं इन सब प्रश्नों के उत्तर अनौपचारिक सलाहकार समिति में दे सकता हूं । गैर सरकारी क्षेत्र में कुछ लागत गैर सरकारी नियोजकों द्वारा दी जाती है ।

भविष्य निधि के बारे में कहा गया है कि सब जगह यह सुविधा क्यों नहीं है । आंकड़ों को देखने से पता चलेगा कि प्रति वर्ष इसका विस्तार होता जा रहा है । अधिकाधिक उद्योग इस योजना के अन्तंर्गत आते जा रहे हैं । हमने कर्मचारियों की संख्या ५० से २० कर दी है इस उद्देशय के लिये और दूसरे उद्योगों पर भी यह योजना लागू हो रही है । निधि में अंशदान भी बढ़ाया गया है । अब ५ या ६ उद्योगों में ८० प्रतिशत कर दिया गया है । यह वृद्धि धीरे धीरे अन्य उद्योगों पर भी लागू की जायेगी । सभी महत्वपूर्ण कामों के लिये दिये जा रहे हैं । कर्मचारी राजकीय बीमा योजना के मामले में अस्पतालों का प्रश्न उठाया गाया है । वहां भी काली बड़ा कार्यक्रम बनाया गया है । प्रति वर्ष अधिक अस्पताल स्थान की व्यवस्था की जा रही है ।

मैं नहीं समझता कि मैंने आठ सदस्यों द्वारा उठाई गई कोई बात छोड़ दी है । श्री ओझा ने कहा है कि समझौता कराने वालों को मध्यस्थ क्यों बनाया जाता है। हिदायतें ये हैं कि यदि पत्र चाहें तो किसी दूसरे को मध्यस्थ चुन सकते हैं । यदि नहीं तो वे समझौता कराने वाले को मध्यस्थ मान सकते हैं । लोगों की कमी होने के कारण हमें यह तरीका अपनाना पड़ा है । मुझे इसमें कोई हानि दिखाई नहीं देती ।

अन्त में मैं कहूंगा कि हमारी श्रम संबंधी नीति का समस्त आधार यह है कि कर्मचमरियों और मालिकों तथा सरकार के बीच पारस्परिक मेल हो उससे अच्छे परिणाम निकलते हैं । एक या दूसरी दिशा में जो कुछ भी किया जा रहा है वह विपक्षीय बातचीत का फल होता है । मुझे संतोष है कि इस नीति ने बहुत ढंग से अच्छा काम किया है और हमें इसी नीति को अपनाना है । मैं आशा करता हूं कि श्रमजीवी वर्ग और उद्योग दोनों ही औद्योगिक प्रगति को बढ़ाने एवं कर्मचारियों के कल्याण को समृद्ध करने में परस्पर सहयोग में काम करेंगे।

†**श्री प्रिय गुप्त** : रेलवे में स्थायी बातचीत करने वाला तंत्र, तीसरे पक्ष के कारण असफल रहा है, न्यायाधिकरण स्थापित नहीं होता और ठीक ढंग से बेठकें नहीं होती। संकट काल के नाम में मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों से बुरा व्यवहार किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री नन्दा** : इसमें बहुत सी कल्पनाएं है। मुझे रेलवे के बारे में बहुत अधिक पता नहीं क्योंकि वहां रेलवे प्रशासन तथा कर्मचारियों में त्रिदलीय समझौता तंत्र बना रखा है। जब यह असफल रहता है तभी कर्मचारी श्रम मंत्रालय के पास आते हैं और हम हस्तक्षेप करते हैं। जैसे मालिकों और कर्मचारियों के बीच किसी अन्य संबंध के बारे में। हम प्रत्येक स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करते। हाल में मुझे वहां के त्रिदलीय तंत्र के कार्य के बारे में असंतोष की कुछ खबरें मिली हैं। और शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मैं रेलवे मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड से उनको दूर करवाने के बारे में बातचीत कर रहा हूं।

†**श्री राम सहाय पाण्डे** : अपने देश में प्रबन्ध में कर्मचारियों को भाग देने के बारे में क्या किया जा रहा है ?

†**श्री नन्दा** : प्रति वर्ष कुछ प्रगति होती है। सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में अधिकाधिक इकाइयों ने कर्मचारियों का योग्यता और संयुक्त प्रवन्ध परिषदों की स्थापना का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है। अब संख्या ५० है—जो काफी अच्छी है—जहां कहीं यह हुआ है, रिपोर्ट अच्छी हैं। वे भी यह बात स्वीकार करते हैं कि इन परिषदों ने कई प्रकार से सहायता दी है। फिर भी, प्रगति बहुत तेज नहीं। हमने इसे बढ़ाने के लिये विशेष अधिकारी नियुक्त किये हैं। एक कारण हो सकता है वार्मिक संघ की प्रतिस्पर्धा और इस से उत्पन्न होने वाली बहुत सी झंझट। इस कारण प्रबन्धकों द्वारा इसे स्वीकार करने में कुछ रुकावट हो सकती है।

†**डा० मेलकोटे** (हैदराबाद) : आयुक्त फैक्टरियों में अंशदायी स्वास्थ्य योजना क्यों लागू नहीं की गई ?

†**श्री नन्दा** : मैं इन बातों की स्वीकृति के लिये सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के साथ संघर्ष कर रहा हूं। प्रगति धीमी है।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : स्वर्ण नियंत्रण आदेश के कारण बेकार हुए अन्य लाख सुनारों के पुनर्वास के लिये क्या किया गया है ?

†**श्री नन्दा** : इस के संबंध में कुछ पत्र व्यवहार हुआ था। इस मामले में कुछ लोगों से मिला था। मैंने बोर्ड के सभापति से भी बातचीत की है। हमने प्रशिक्षण देने तथा अपने नौकरी दिलाऊ दफ्तरों की सेवाएं अर्पित कर दी हैं।

†**श्री ओंकार लाल बेरवा** (कोटा) : श्रीमन फैक्टरियों के अन्दर ही तीन महीने के बाद मजदूरों को एक दिन दो दिन के लिये बन्द कर देते हैं और फिर उसको नये सिरे से लेते हैं। यह कौन से कानून के अनुसार होता है, और उसके लिये आपने क्या किया है ?

†**श्री नन्दा** : मुझे यह सूचना है कि ऐसी बात नहीं। स्थायी आदेशों के अधीन यह अनिवार्य है कि तीन महीने के बाद स्थायी बनाया जाना चाहिये। यदि उन नियमों को लागू नहीं किया जाता, तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। नवीन व्यवस्था के अधीन कोई भी प्रबंधक कर्मचारी को बहुत देर तक अस्थायी नहीं रख सकता।

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाता) : क्या मा० मंत्री मालिकों को अन्तरिम राहत देने के लिये कहेंगे, क्योंकि श्रमजीवी पत्रों का मजूरी बोर्ड रिपोर्ट देने में देर लगाएगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री नन्दा : जी नहीं, मुझे इस समय ऐसे किसी स्ताव का पता नहीं।

†अध्यक्ष महोदय : क्या कोई कटौती प्रस्ताव पृथक रखा जाए ?

†कुछ मा० सदस्य : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुई :-

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७१	श्रम और रोजगार मंत्रालय	२४,८४,०००
७२	मुख्य खान निरीक्षक	२५६६,०००
७३	श्रम और रोजगार	७,५४,५६,०००
७४	श्रम और रोजगार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	१,८८,७२,०००
१३५	श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	७८,०००

गृह कार्य मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा गृह कार्य मंत्रालय की मांग ५० से ६४ और १३१ पर चर्चा करेगी तथा मतदान करेगी, जिसके लिये १० घंटे नियत हैं।

जिस सदस्य ने कटौती प्रस्ताव देने हों वे १५ मिनट में मुझे दे दें।

वर्ष १९६३—६४ के लिये गृह कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
५०	गृह-कार्य मंत्रालय	४,०७,०८,०००
५१	मंत्रिमंडल	४१,६६,०००
५२	क्षेत्रीय परिषदें	२,२२,०००
५३	न्याय प्रशासन	२,७७,०००
५४	पुलिस	१४,८१,४२,०००
५५	जनगणना	७५,७१,०००
५६	आंकड़े	१,७४,८२,०००

†मूल अंग्रेजी में।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
५७	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां व भत्ते . .	४,०२,०००
५८	दिल्ली	१७,२१,७६,०००
५९	हिमाचल प्रदेश	१०,१२,४७,०००
६०	अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह . . .	२,७०,७२,०००
६१	मनीपुर	४,१४,४६,०००
६२	त्रिपुरा	७,६०,६९,०००
६३	लक्काद्वीप, मिनीकोय व अमीनद्वीप द्वीपसमूह .	२५,१६,०००
६४	गृह-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	२,८८,५८,०००
१३१	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	६७,२४,०००

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : इस से पहले कि आप चर्चा पर आगे बढ़ें, मुझे दो निवेदन करने हैं। प्रथम, इस मंत्रालय की मांगों के लिए आवंटित समय बढ़ाकर १२ घन्टे कर दिया जाये क्योंकि संकट काल में इस मंत्रालय का महत्व बढ़ गया है। द्वितीय, कटौती प्रस्ताव के बारे में आपके नये प्रबन्ध से कुछ व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो गई हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मानता हूं कि १० घन्टे इस मंत्रालय के लिए कम हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि किया क्या जाये। सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं है कि हम शाम को देर तक बैठें।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : हम एक घन्टा आज और एक घन्टा कल देर तक बैथ सकते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : कल गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह हम एक घन्टा बाद आरम्भ कर सकते हैं। फिर भी, मैं बता दूं कि लगभग ७० प्रति शत व्यक्तियों के जिन्होंने नाम दिये हैं, समय नहीं दे पाऊंगा।

बहुत सी बातें हैं जिन पर चर्चा करनी है, उदाहरणार्थ, भारत प्रतिरक्षा नियम, संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र, पिछड़े वर्ग संबंधी प्रशासन, विधि तथा व्यवस्था तथा अन्य विषय। परन्तु मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे इस क्षण कोई निश्चय करने में मेरी सहायता करेंगे। यदि कुछ माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर न मिले तो वे उत्तेजित हो जाते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या हम आज और कल एक एक घन्टा देर तक बैठेंगे ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, एक घन्टा आज और एक घन्टा कल।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : श्रीमान्, मेरी एक प्रार्थना है। जैसा कि आपने पहिले अनेक बार किया है कि जो सदस्य अपना भाषण लिख कर लायें या ला सकें और उन्हें यह बोलने का अवसर न मिले तो उनके भाषण मंत्रालय को भेज दिये जायें ताकि यहां दिये गये भाषणों के समान समझा जाये और उनमें कही गई बातों पर मंत्रालय विचार कर सके?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कुछ बातें हों तो मैं उन्हें मंत्रालय इस प्रार्थना के साथ भिजवा दूंगा कि वह उन पर विचार करे। परन्तु मैं यह निर्देश नहीं दे सकता कि चर्चा में शामिल की जायें।

†**श्री कोया** (कोजीकोडे) : इस चर्चा में विरोधी सदस्यों को कुछ अधिक समय दिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह काम पहिले से ही कर रहा हूं।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : श्रीमन्, आपने कहा ७ बजे तक बैठने के लिए। लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि उस समय कोई न रहे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे मशविरा लूंगा। अगर आप बैठे रहें और मैं भी रहूं तो कोरम हो जायेगा।

†**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बल पुजा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जांच करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय में भारत प्रतिरक्षा नियम का कैसे प्रयोग किया है। हमें पहिले ही डर था कि वे इनका दुरुपयोग करेंगे और उस शंका की अब पुष्टि हो गई है। संकटकालीन शक्ति का प्रयोग भारत के साम्यवाद पर प्रहार करने के लिए किया गया है। आज भी हमारे लगभग १००० व्यक्ति नजर बन्द हैं। वास्तव में सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं ने खुले आम कहा है कि यह हमारे लिए एक दैवयोग है। खेद की बात है कि सरकार ने इन प्रतिक्रियावादियों को साम्यवादी दल पर कीचड़ उछालने का मौका दिया है। हम जानते हैं कि कुछ और भी कारण हैं। कुछ लोगों ने इस सरकार को सलाह दी है कि शायद वे साम्यवादियों को मजदूर आन्दोलन से अलग कर सकते हैं। संभव है कि सरकार भी अपने विदेशी सहायकों के समक्ष साम्यवादियों की बड़ी संख्या की गिरफ्तारी करना चाहते थे। यह सरकार यह भी कह सकती है कि उसने इन व्यक्तियों को देश की प्रतिरक्षा और सुरक्षा के लिए पकड़ा है। दूसरी ओर हम सरकार पर आरोप लगाते हैं कि उसने इन नेताओं को पकड़ कर लाखों व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और इस प्रकार उन्हें निरुत्साह किया है। जितना शीघ्र उन्हें छोड़ा जायेगा उतना ही जल्दी सरकार अपने घोर उन्माद को ठीक करेगी।

सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि स्थिति में कुछ सुधार हुआ है परन्तु फिर भी वे इन्हें नहीं छोड़ेंगे। केरल सरकार ने दो दिन पहिले सभी नजरबन्दियों को छोड़ दिया है, हमें इसकी प्रसन्नता है। ऐसा करने में अन्य राज्यों को क्या कठिनाई है? हम चाहते हैं कि गृह-मंत्री इस बात का स्पष्ट उत्तर दें।

फिर क्या सरकार को एक नजरबन्दी और दूसरे नजरबन्दी में कोई भेदभाव करना चाहिये?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : क्या यह भेदभाव केन्द्रीय सरकार करती है ?

†श्री वासुदेवन नायर : नहीं, अपितु राज्य सरकार करती है ।

†अध्यक्ष महोदय . इस के लिए केन्द्रीय सरकार उतरदायी नहीं है ।

†श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : बात यह नहीं है । जहां तक भारत प्रतिरक्षा नियमों का संबंध है, भारत के हित या प्रतिरक्षा के विरुद्ध कार्यवाही करना ऐसा विषय है जो पूर्णतया भारत सरकार के अधीन है । यदि इन परिस्थितियों में कोई पकड़ कर जेल भेजा जाता है तो यह भी भारत सरकार का काम है कि वह देखे कि ऐसे व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार हो ।

†अध्यक्ष महोदय : जेल में कैसा व्यवहार होता है यह केन्द्र का उत्तरदायित्व नहीं है । अतः हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते ।

†श्री वासुदेवन नायर : अच्छा तो मैं नैतिक आधार पर गृह मंत्री से निवेदन करता हूं । संघ प्रशासित क्षेत्रों का प्रशासन सीधे केन्द्र सरकार करती है । एक राज्य में एक जेल में नजरबन्दियों को प्रथम श्रेणी दी गई है और दूसरी जेल में ऐसे बन्दियों को द्वितीय श्रेणी दी गई है । यहां स्थिति बड़ी ही खराब है । अतः मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों की जेलों में नजरबन्दियों के मामलों की जांच करें । द्वितीय श्रेणी के बन्दियों को कम से कम चिकित्सा की तो उचित सुविधायें होनी चाहियें ।

मेरे राज्य में एक अखबार के सम्पादक को पकड़ा गया कि उस ने अपने अखबार में प्रतिरक्षा निधि के लिए धन लेने के बारे में समाचार प्रकाशित किया । अखबार ने रसीदें पेश कीं, तो उसे छोड़ दिया गया । बाद में फिर उसे दूसरे मामले में पकड़ लिया गया और उस पर उस का मुकद्दमा चल रहा है । मेरे राज्य में एक और अखबार पर अभियोग चलाया गया । कारण यह था कि उस ने दिल्ली से प्रकाशित एक साप्ताहिक में छपा लेख छापा था । मेरी समझ में नहीं आता कि जो बात दिल्ली में अपराध नहीं है वह केरल में अपराध कैसे बन जाती है । सभी जानते हैं कि इस सरकार, इस की नीति, इस के नेताओं के विरुद्ध देश में कुछ लोग आन्दोलन चला रहे थे । हम सब लखनऊ में राष्ट्रविरोधी प्रदर्शनों के बारे में जानते हैं । मद्रास में आचार्यों ने भाषण किये कि हमें देश में स्वतंत्रता प्रयास की बात पर विचार करना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि ये सब पकड़े जायें । परन्तु, सरकार का रवैया क्या है ? रवैया यह है कि सरकार ऐसे व्यक्तियों का मूक समर्थन करती है । मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि सरकार या मंत्री महोदय ऐसा करते हैं । परन्तु, सरकार का कोई भाग, सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत वे चुप रहते हैं । इतनी बलवान शक्ति के सामने यह मंत्रालय डरपोकों जैसे व्यवहार कर रहा है । बड़े ही खेद की बात है कि यह मंत्रालय स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकता । फिर, समाज विरोधी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या किया है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में एक विवरण पटल पर रखें । यदि दोनों स्थितियों को ध्यान में रखा जाये तो निष्कर्ष यह निकलता है कि गृह-कार्य मंत्रालय इन शक्तियों को पाने के योग्य नहीं है और वह संकट काल में अपना कार्य करने में असमर्थ रहा है ।

१४ सितम्बर, १९६१ को गृह-कार्य मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया कि १९६० की हड़ताल के कारण जिन कर्मचारी संस्थाओं की मान्यता वापस ले ली गई थी, वह उन्हें फिर दे दी जाये । सभी मंत्रालयों ने ऐसा किया है । हां एक विभाग ने उस पर कार्यवाही नहीं की है और वह

†मूल अंग्रेज़ी में

है लेखापरीक्षण विभाग । मैं जानना चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है कि लेखा परीक्षण विभाग कर्मचारियों को संस्थाओं व संघों को पुनः मान्यता दे ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

एक अफवाह है कि दिल्ली में उच्च माध्यमिक स्कूलों का प्रशासन निगम को दिया जा रहा है । इस से इन अध्यापकों को डर है कि शायद वे कुछ सुविधायें खो दें । यदि ऐसा होने वाला है तो माननीय मंत्री को यह देखना चाहिये कि उन की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहे और उन्हें सारी विद्यमान सुविधायें मिलती रहें । तीसरी बात यह है कि केन्द्रीय सचिवालय में असिस्टेन्ट और अपर डिवीज़न क्लर्क एक सा ही काम करते हैं, परन्तु उन के वेतनों में बड़ा अन्तर है । उन्हों ने प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री से इस बारे में बात की थी लेकिन प्रतीत होता है कि इस बारे में कुछ नहीं हो रहा है । यह अच्छा होगा कि गृह मंत्री कुछ समय निकाल कर इस की जांच करें और यदि कोई शिकायत हो तो उसे दूर करें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर) : सरकार की आलोचना कर के साम्यवादी दल के मेरे माननीय मित्र ने यह प्रदर्शित किया है कि वह अपनी आलोचना में तनिक भी औचित्य पर नहीं हैं । यह सरकार इस संकट में भी साम्यवादियों के प्रति कितनी सहृदय रही है, इस ओर से कैसे आंखें बन्द की जा सकती हैं, इस से मुझे आश्चर्य होता है । मैं चाहता हूं कि वह वह महसूस करें कि संसार में क्या हो रहा है, यदि यहां कोई और सरकार होती तो क्या होता ? मैं चाहता हूं कि वह समझें और याद रखें जो आज के अखबारों में पश्चिमी बंगाल के साम्यवादी सदसस्यों के बारे में छपा है और वहां के वित्त मंत्री को इस बारे में क्या कहना पड़ा कि उन की प्रवृत्ति केवल साम्यवादियों के पक्ष में तथा चीनियों के पक्ष में ही नहीं है, अपितु उन के चीनी एजेन्टों से सम्बन्ध है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : यह सिद्ध क्यों नहीं करते ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उन को अपराधी क्यों नहीं बनाते ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : उन पर अभियोग चल रहा है । मैं कह सकता हूं कि श्री एस० ए० डांगे जैसे उन के नेताओं ने देश में साम्यवादी दल को बचा लिया है । क्या वह मना कर सकते हैं कि उन में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उन से सहमत नहीं हैं और जो उन पर आरोप लगाते हैं ? हो सकता है कि इन की संख्या थोड़ी हो । परन्तु इस से कोई भी असहमत नहीं होगा कि कुछ साम्यवादियों ने राष्ट्रीय हित का विरोधी कार्य किया है । परन्तु हम दल के अनुसार कार्यवाही करना नहीं चाहते । मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने जितना संयत व्यवहार किया है, उस के लिए वह बधाई की पात्र है । इस से आगे बढ़ कर मैं गृह मंत्री के संयम तथा अपनी नेपाल यात्रा को महान सफल बनाने के लिये बधाई देता हूं । मैं इसका उल्लेख विषेशकर इस लिए रहा हूं कि हम पाकिस्तान सीमा पर सतर्कता के बारे में बहुत खुश नहीं रहे हैं । आसाम में जो हुआ है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिये । हमें यह महत्त्वपूर्ण बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि यद्यपि चीनी नेफा से वापस चले गये हैं फिर भी वहां के लोगों पर उनका प्रभाव है । अतः सरकार को व्यक्तियों के दिलों में विश्वास कायम करके सरकार के प्रति सम्मान स्थापित करने के लिये विषेश प्रयास करना होगा । मैं माननीय गृह कार्य मंत्री से विषेश रूप से निवेदन करता हूं कि वह यहां यह वातावरण उत्पन्न करने में सहायता दें। यद्यपि इस क्षेत्र में मनीपुर, त्रिपुरा, नेफा, नागालैंड और आसाम को बानये रखा जा सकता है, तथापि क्षेत्रों के निकट संबंध की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

मैं उनका ध्यान राजस्थान की सीमा की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं । यहां सशस्त्र पुलिस की संख्या केवल १२,००० ही है। आशा है कि गृह मंत्री तत्काल सशस्त्र पुलिस संख्या बढ़ाने की कार्यवाही करेंगे। मुझे हर्ष है कि हाल में राजस्थान सरकार ने कुछ प्रभावी कार्यवाही की है। परन्तु उन्हें केन्द्र की सहायता की आवश्यकता है। हम इस क्षेत्र को ऐसा बना सकते हैं कि कोई भी उसकी ओर बुरी निगाह उठा कर न देख सकें। परन्तु मेरा विचार है कि प्रारम्भिक कार्यवाही की देख-भाल गृह मंत्री जी को करनी होगी। अतः मेरा विचार है कि सामान्त क्षेत्रों के लिये गृह मंत्री के पास पुलिस का एक इंस्पैक्टर जनरल रहे। संकट काल में यह उनका विशेष उत्तरदायित्व है।

अब मैं सेवाओं पर आता हूं। मेरी पहली शिकायत यह है कि यद्यपि हमारे लोकतंत्र को १५ वर्ष हो गये फिर भी हमारी सेवाओं ने लोकतंत्रात्मक तथा राजनैतिक प्रक्रियाओं के प्रति कोई समान भावना जागृत नहीं की है । यहां तक कि शिकायतों तथा सुझावों का भी विरोध किया जाता है। मेरा विचार है कि इसका अधिकतर उत्तरदायित्व गृह मंत्री पर है जो सेवाओं के प्रभारी हैं । सरकार चाहे एकदलीय हो या कल्याण राज्य हो, नौकरशाही की शक्ति बढ़ेगी ही। यदि हमें दोनों में भेद करना है तो, लोकतंत्रात्मक प्रक्रियाओं के लिए सम्मान की भावना जागृत करनी होगी।

शिकायतों को निबटाने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नियम लगभग २०० वर्ष पुराने हैं। व्यक्ति चाहे प्रतियोगिता परीक्षाओं में महान सफलता प्राप्त करे, परन्तु यदि वह क्लर्क है तो उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अवशेष है। हमें ये नियम अवश्य बदलने चाहिये।

वास्तविकता यह है कि गृह-कार्य मंत्री बड़ी बड़ी समस्याओं में उलझे रहते हैं अतः उन्हें इन सामान्य मामलों से निपटने के लिये समय कम मिलता है। फल यह है कि उनके साथ न्याय नहीं होने पाता है।

सेवाओं में इस समय अकुशलता, भ्रष्टाचार और भाईभतीजावाद का बोलबाला है। अकुशलता बढ़ रही है, जनता को सरकारी कर्मचारियों में विश्वास नहीं रहा है। मेरा विचार यह है कि इसका कारण यह है कि उचित व्यक्ति को उचित स्थान नहीं दिया जाता है, तथा राजनैतिक हितों को ध्यान में रख कर स्थानान्तरण इत्यादि किये जाते हैं। इससे यह होता है कि सारी शक्ति कुछ स्थायी क्लर्कों के हाथों में आ जाती है और वे मनमानी करते हैं।

भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। हमें भ्रष्टाचार का सामना ऊपर से ही करना होगा। हमें ऊपरी स्तर पर ही भ्रष्टाचार से लड़ना है । केवल इतना ही काफी नहीं है कि हमारा गृह मंत्री ईमानदार हो अपितु यह भी आवश्यक है कि कोई बेईमान मंत्री नहीं टिकने पावे ।

जहां तक कुप्रशासन का प्रश्न है इसके लिए हमें प्रशासनिक अधिकरण नियुक्त करे तथा उनमें संसदीय जांच के लिये एक आयुक्त की भी नियुक्ति की जानी चाहिये। यह आयुक्त ओमबड्समैन का ही दूसरा रूप होगा ।

अंत में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार सरकारी व्यय पर नजर रखने के लिये ३ या ५ सदस्यों की एक समिति नियुक्त करे तो इस संबंध में १५० करोड़ रुपयों की बचत की जा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि इस सारे कार्य की पुनः वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्था की जाये।

गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशी
५०	१	श्री विश्राम प्रसाद .	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का अखिल भारतीय सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व इत्यादि	राशि घटा कर १ रुपया की जाय
५०	३	श्री सेझियान .	सरकारी भाषा संबंधी नीति	राशि घटाकर १ रुपया की जाय
५०	५	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के पदोन्नति सम्बन्धी नियमों को बदलने में असमर्थ रहना। ।	१०० रुपये
५०	६	श्री विश्राम प्रसाद	अनुसूचित जातियों के लिये परीक्षा पूर्व के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना इत्यादि ।	१०० रुपये
५०	७	श्री सेझियान	प्रधान मंत्री ने अहिंदी भाषियों को जो आश्वासन दिया है उसे पूरा करना ।	१०० रुपये
५०	८	श्री किशन पटनायक	प्रशासन में अकुशलता व भृष्टाचार रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	१०	श्री हरि विष्णु कामत	चीनी गुप्तचरों पर कड़ी नजर रखना	१०० रुपये
५१	११	श्री किशन पटनायक	मंत्रि मंडल के कार्य में कमी करना	१०० रुपये
५१	१२	श्री हरि विष्णु कामत	पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश पर रोक	१०० रुपये
५२	१३	श्री सेझियान .	क्षेत्रीय परिषदों को अधिक शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५३	१४	श्री सेझियान .	न्याय को सस्ता बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
५४	१६	श्री विश्राम प्रसाद	जेल पुस्तिका को संशोधन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५५	१७	श्री सेझियान	जनगणना के प्रतिवेदनों को तत्काल तालिकावद्ध करना	१०० रुपये
५९	१९	श्री विश्राम प्रसाद	दिल्ली के प्रशासन में सुधार	१०० रुपये
६०	२०	श्री सेझियान	अंदमान और निकोबार के पूर्वी तट में कंकरीट किये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६४	२१	श्री विश्राम प्रसाद	उत्तरप्रदेश-चीन सीमांत में सुधार की आवश्यकता	राशि घटा कर १ रुपया की जाय
६५	२२	श्री ह० च० सौय	झाड़खंड के पृथक राज्य तथा वस्तर में क्षेत्रीय स्वायत्तशासन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६४	२३	श्री सेझियान	अस्पृश्यता को दूर करने के लिये समिति नियुक्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६४	२४	श्री विश्राम प्रसाद	जिले की विकास योजनाओं के बारे में उचित प्रचार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५०	२५	श्री वासुदेवन् नायर	साम्यवादी दल के कई सदस्यों को निरन्तर नजरबन्द रखना, इत्यादि	राशि घटा कर १ रुपया की जाय
५०	२६	श्री मुहम्मद इस्माइल	विदेशों से भारत लौटने वाले भारतीयों के उचित पुनर्वास के लिये पृथक पुनर्वास विभाग खोलना	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं ।

†**श्री रंगा** : मैं श्री माथुर के शब्दों से पूरी तरह सहमत हूं । उन्होंने प्रशासन से भ्रष्टाचार तथा अकुशलता को दूर करने के लिये जो बातें कही हैं मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं ।

†मूल अंग्रेज़ी में

सरकार ने किस ढंग से समाज विरोधी तत्वों को कुचलने में अपनी शक्तियों का उपयोग किया है उन से भी पूरी तरह सहमत हूं ।

एक साम्यवादी सदस्य ने यह मांग रखी है कि उस के सभी साथियों को तत्काल रिहा कर दिया जाये । उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस में अब तक ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रविरोधी कार्य कर रहे हैं । उन्होंने मेरा नाम भी उसमें शामिल किया है ईश्वर जाने उनका क्या अभिप्राय है । कदाचित वे उन सभी लोगों को देशद्रोही समझते हैं जो उनसे सहमत नहीं होते हैं । वस्तुतः साम्यवादी इस समय वही काम कर रहे हैं जो महाभारत के शिखंडी ने किया था । वस्तुतः सरकार तथा प्रशासक दल को उनके कार्यों से बहुत सतर्क रहना चाहिये ।

तथापि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को आपात की आड़ लेकर जनता पर करों का बोझ नहीं बढ़ाते जाना चाहिये वस्तुतः अतिरिक्त संसाधनों का व्यय को बढ़ाने में उपयोग किया जा रहा है । यह बहुत दुख की बात है । वस्तु स्थिति यही है । हमारे प्रशासन की सुप्त क्षमता बहुत अधिक है उस क्षमता का उचित ढंग से उपयोग किया जाना चाहिये ।

दुख का विषय यह है कि आपातकाल का उपयोग राजनीतक कारणों के लिये किया जा रहा है ।

वस्तुतः हमें आपातकाल से उत्पन्न इस कृत्रिम वातावरण को समाप्त कर देना चाहिये । क्योंकि सरकार जानती है कि वास्तविक आपात के समय देश की जनता उनके साथ थी ।

इस समय देश में गम्भीर समस्या भ्रष्टाचार की है । इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये । साथ ही साथ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि सरकारी कर्मचारियों को भी कुछ नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं । हमें उनके लिये ऐसा वातावरण उत्पन्न नहीं करना चाहिये कि वे अपनी ईमानदारी तथा कुशलता छोड़ देवें ।

लोगों को औद्योगिक प्रबन्ध पुंज तथा वैज्ञानिक पुंज बनने से काफी आशा हो गयी थी तथापि बाद को ये सारी आशायें झूठी सिद्ध हुई ।

मैं सरकार के इस निश्चय का समर्थन करता हूं कि क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जायेगी । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि उसमें संसद् सदस्यों, मंत्रियों तथा राज्य के मंत्रियों तथा सदस्यों को शामिल किया जाये । गृह-कार्य मंत्रालय को जो स्वविवेक अनुदान दिया जाता है उसे समाप्त कर दिया जाये ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इस मद की अनुदान को तीन लाख से दो लाख कर दिया गया है ।

†**श्री रंगा :** अब मैं केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों को लेता हूं । अंदमान और निकोबार को एक दो सेवायें बड़ी कठिनता से मिल सकीं । हिमाचल प्रदेश तथा अन्य केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों को जो अनुदान दिया जा रहा है वह बहुत कम है । इस सम्बन्ध में भी श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि केन्द्र प्रशासित सभी क्षेत्रों को विशेष प्रशासनिक और वैधानिक व्यवस्था द्वारा एक साथ लाया जाय जिससे कि उनका एकरूप विकास संभव हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

भाषा के संबंध में प्रधान मंत्री ने आश्वासन दे दिया है, परन्तु गृह मंत्री उसको कार्यान्वित करने में तत्पर नहीं हैं। एक ओर हम राष्ट्रीय एकता के विषय में इतने गम्भीर हैं तो दूसरी ओर भाषा के संबंध में उचित विधान लाने में विलम्ब किया जा रहा है। जब प्रधान मंत्री आश्वासन दे चुके हैं तो उस के संबंध में कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ? राष्ट्रीय एकता सम्मेलन और उसकी समिति की सिफारिशों की ओर भी अविलम्ब ध्यान दिया जाना चाहिये।

आदिवासी लोगों के बारे में, जिन में दलित, पिछड़े वर्ग और हरिजन शामिल हैं, बहुत उत्साह-जनक बात कही जाती हैं कि उन्हें भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, आदि, में लिया जा रहा है। परन्तु हम देखते हैं कि इस के बावजूद भी इन्हें काफी संख्या में नहीं लिया जा रहा। मेरा सुझाव है कि इन पिछड़े वर्गों की आपस में ही प्रतियोगितात्मक परीक्षायें हों। इस प्रकार इनमें से सर्वोच्च योग्यता रखने वाले लोग सेवाओं में आ सकेंगे। इस प्रकार इन के अनुपात में भी कमी नहीं होगी क्योंकि निश्चित संख्या में लोग तो लिये ही जायेंगे। मेरा निवेदन है कि राजनीतिक क्षेत्र में तो इन पिछड़े वर्गों को आगे आने का अवसर प्राप्त हो चुका है परन्तु सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से इनका समुचित विकास नहीं हो रहा है और यह आगे नहीं बढ़ पाये।

अन्त में मैं, प्रशासन के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की अ-हेलना कर के अधिक से अधिक लोगों को कार्यालयों में खपाया जा रहा है। इस कारण प्रशासन पर होने वाला व्यय बढ़ रहा है। अब हम प्रतिरक्षा कार्यों पर बहुत बड़ी राशि व्यय करने जा रहे हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रशासन संबंधी व्यय को कम किया जाय। जहां कहीं उचित समझा जाय अनावश्यक विभागों को समाप्त किया जाय।

मंत्री महोदय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त सफलता के लिये मैं सन्तोष प्रकट करता हूं। नेपाल में, आसाम में, और कई अन्य क्षेत्रों में उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। मुझे आशा है कि वह गृह मंत्रालय को देश के वित्त का संरक्षक और देश का अन्तःकरण बनाने में सफल होंगे।

†**श्री बाकर अली मिर्जा** (वारंगल) : मैं गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। इस मंत्रालय को विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं इसके बावजूद भी इसके प्रतिवेदन सब से छोटे होते हैं। साम्यवादी दल के कुछ सदस्यों ने शिकायत की कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है परन्तु उन्हें ए० बी अथवा सी श्रेणी नहीं दी जाती। परन्तु इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि इन्हीं लोगों ने चीनी आक्रमणकर्त्ता से सहानुभूति प्रकट की थी। वास्तव में गृह मंत्रालय ने इस विषय में काफी सूझबूझ और संयम से काम लिया है और जिन व्यक्तियों से अब खतरा नहीं है उनको मुक्त भी किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार की चर्चा की गई है। यह सीधी सी बात है कि चूंकि निम्न श्रेणी के लोग अधिक संख्या में हैं इसलिये उन में भ्रष्टाचार की अधिक गुंजाईश है। इस के अतिरिक्त इस तथ्य की अवहेलना कदापि नहीं करनी चाहिये कि एक पुलिसमैन केवल ८० अथवा ९० रुपये वेतन पाता है। उसकी आवश्यकतायें और दायित्व बहुत हैं। यदि आप ने उसे अधिकार दे रखे हैं तो स्वाभाविक है कि वह लालच में पड़ेगा। भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाली एक बात बढ़ती हुये वस्तुओं के मूल्य हैं। यदि आप मूल्यों को बढ़ने से नहीं रोकेंगे तो इसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही। जब

†मूल अंग्रेजी में

जर्मनी में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वहां कीमतें बेहद बढ़ रही थीं। इसके फलस्वरूप जनता की क्रय शक्ति भी कम हुई और परिस्थिति काफी हद तक बिगड़ गई। परन्तु ज्योंही मार्क का स्थितरिकरण हुआ और रेंटन मार्क चलाया गया उन लोगों की हालत में तत्काल ही सुधार हो गया।

यदि आप ऊपर के स्तर पर सख्ती दिखायें तो स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। परन्तु मैं केवल दंड देने और सरकार द्वारा दंड देने के लिये अधिक से अधिक शक्तियां प्राप्त करने के पक्ष में नहीं हूं। हमने देखा है कि सरकार विभिन्न रीतियों से अधिक शक्तियां प्राप्तकरने का प्रयत्न कर रही है। यह बात बहुत भयंकर साबित हो सकती है। आज एक ऐसे गृह मंत्री हैं जो सोच समझ कर शक्तियों का प्रयोग करते हैं परन्तु भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन्हीं शक्तियों का मनमाना प्रयोग हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि जो शक्तियां पहले से ही प्राप्त हैं उनका कुशलता से प्रयोग किया जाय। सरकार को इसी नीति का अनुसरण करना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं सेवाओं की भर्ती की चर्चा करना चाहता हूं। केन्द्र में तो संघ लोक सेवा आयोग है जो अच्छी प्रकार कार्य कर रहा है, परन्तु राज्यों में स्थिति भिन्न है। मेरा सुझाव है कि सेवाओं में भर्ती गुणों के आधार पर होनी चाहिये। हम देखते हैं कि राज्यों में आयोगों पर भी प्रभाव डाले जाते हैं। कहीं कहीं देखने में आता है कि न्यायापालिका पर भी प्रभाव डालने का प्रयत्न किया जाता है। इस से बचने का एक मार्ग यह है कि सेवा आयोगों के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों से ले लिया जाय।

अन्त में मैं मंत्रियों में भ्रष्टाचार संबंधी हो रही चर्चा का उल्लेख करूंगा। मंत्रियों में भ्रष्टाचार की बात तो कही जाती है परन्तु विधायकों और संसद् सदस्यों में भ्रष्टाचार की कोई चर्चा नहीं करता। आज हम देखते हैं कि विधायक अपने निजी और व्यक्तिगत कार्यों में मग्न रहते हैं, परन्तु वह भूल जाते हैं कि उनका कितना बड़ा उत्तरदायित्व है। इसके अतिरिक्त एक रुपया प्रति दिन आय वाले कितने लोग चुनावों के सिलसिले में २५,००० अथवा ५०,००० रुपया खर्च कर सकते हैं? इसलिये मैं समझता हूं कि यह विधायिनी प्रणाली ही भ्रष्टाचार का आधार है। अतः इस में उचित परिवर्तन लाने चाहियें। यदि आप भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं और कार्यकुशलता को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिये उचित वातावरण पैदा करना आवश्यक है। दुर्भाग्यवश आज हम देखते हैं कि ईमानदार व्यक्ति को ही हानि पहुंचाई जा रही है। यदि आप वातावरण को नहीं बदलेंगे, यदि आप निर्वाचन पद्धति में सुधार नहीं लायेंगे, सुधार नहीं हो सकेगा।

श्री शिव नारायण (बांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे होम मिनिस्ट्री की डिमांड पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

सब से पहले तो मैं अपने होम मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने नेपाल राज्य में जाकर इतना अच्छा काम किया। मैं नेपाल बार्डर का ही निवासी हूं, मैं उस राज्य के पड़ोस में ही रहता हूं और वहां के ऐक्शन और रिऐक्शन से वाकिफ़ हूं। सलिये मैं उन के उत्तम काम के लिये उनको बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी।

आज मैं होम मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने हरिजनों को जो रिजर्वेशन दिया है उससे मैं बहुत खुश हूं। लेकिन हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने का और दूसरा दिखाने का। मैं सरकार से निहायत अदब से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर सरकार

[श्री शिव नारायण]

इसको इम्प्लिमेंट नहीं करती, इस रिजर्वेशन की पूर्ति नहीं करती तो उसके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । सब के लिये ओपन कम्पिटीशन रख दिया जाय। आज मुल्क के अन्दर हर शख्स कहता है, हर जगह पर जुमला कसता है, देश भर में, चाहे रेल में हो या मोटर में, सब जगह कहा जाता है, कि हरिजनों के लिये रिजर्वेशन है। मैं तो यह चाहता हूं कि खुला मैदान हो और आप इस मुल्क के हर नागरिक के लिये एम० ए० तक फ्री जुकेशन कर दीजिये चाहे वह चमार का बेटा हो या ब्राह्मण का बेटा हो। उसको एम० ए० तक तालीम दीजिये उसके बाद कम्पीट करके जो आ जाय उसको ले लीजिये ।

जहां तक लैंड डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि वह आज गरीबों को नहीं मिलती है । वह जमीन जमीदारों के भाई, भतीजों और भांजों में बंट गई। उत्तर प्रदेश में जमीदारी ऐबालिशन के बाद जमीन गरीबों के पास नहीं गाई। पुराने जमीदारों के वक्त में जब हम उनके साथ काम करते थे तो दो चार बीघे जमीन मील जाती थी, जमीदारी ऐबालिशन के बाद तो वह भी चली गई। आज हमारी हालत बहुत अबतर है ।

मैं अपने मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यहां पर करप्शन की बात कही गई। श्री बाकर अली मिर्जा बहुत सीनिअर मेम्बर हैं। उन्होंने सोसायटी के उस हिस्से पर अटैक किया जो कि सब से अहम हिस्सा है । उन्होंने टीचर कम्यूनिटी के लिये कहा कि वह एक रुपया लेकर लड़कों के नम्बर बढ़ा देता है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुझे आज तक इसकी एक भी मिसाल नहीं मिली । अध्यापक समाज का सब से बड़ा अंग है। इस देश के अन्दर उसका स्थान गुरु द्रोणाचार्य का है। आज अगर उसको गुरु द्रोणोचार्य का स्थान दिया जाय तो वह अब भी अर्जुन और अभिमन्यू पैदा कर सकता है। लेकिन अगर उसकी दुर्दशा होगी और उसको चपरासी का स्थान दिया जायेगा तो यहां पर चपरासी ही पैदा होंगे । मुझे माफ कीजिये ऐसा कहने के लिये । मैं तो कहता हूं कि आप इन गुरुजनों की सेवा कीजिये समाज में। मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आज दिल्ली के अध्यापकों के मन में जो बात है, उन की जो मांग है, उसको उनको पूरा करना चाहिये । आज उनको जो कुछ चाहिये आप सब दीजिये तभी वह अच्छा स्टफ पैदा कर सकेंगे ।

मुझे इत्तफाक हुआ अलवर जाने का। मैंने देखा है कि वहां बड़े अच्छे उस्ताद हैं। और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है । वहां पर नैशनल डिसिप्लिन स्कीम की जो ट्रेनिंग दी जा रही है वह नेशनल इंटेग्रेशन का एक नमूना है। मैंने बड़े बड़े आदमियों से कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि वे उसको जा कर देख आयें कि वहां पर जो मद्रासी बोलते थे वह मद्रासी बोलते हैं, जो बंगला बोलते थे वह बगला बोलते हैं, जो पंजाबी बोलते थे वह पंजाबी बोलते हैं, लेकिन लड़के और लड़कियां सब एक सा काम करती हैं, टेन अवर्स वह लोग काम करते हैं। निर्जन स्थान है, वहां न सिनेमा है, न मोटर है, न हाथी है और न घोड़ा है। वह हमारी पुरानी संस्कृति का एक नमूना है। मैंने वहां के विद्यार्थियों से, ट्रेनीज से कहा कि मुझे आज वहां पर ६०० सुभाष दिखलाई दे रहे हैं। अगर आने वाली जेनरेशन को वे ऐसी ट्रेनिंग दें कि उन में डिसिप्लिन आ जाये तो चीन की कौन कहे, दुनिया हमारी तरफ आख नहीं उठा सकती । हिन्दुस्तान की फौज की वह कीमत रही है कि वह अंग्रेजों के लिये लड़ते थे अफ्रीका में और दूसरे तमाम मुल्कों में। आज हिन्दुस्तान की इमरजेंसी के पीरियड में आवश्यकता है कि इस तरह की ट्रेनिंग दी जाय।

हमारे कम्यूनिस्ट पार्टी के लोगों ने होम मिनिस्टर पर बड़ा अटैक किया । मैं उन से कहना चाहता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर ने उन की जान बचा दी। उन को होम मिनिस्टर को धन्यवाद

देना चाहिये था कि उन्होंने डिफेंस आफ इण्डिया रूल्स को लागू कर के कम्यूनिस्टों को जेल में बन्द कर दिया, नहीं तो हिन्दुस्तान की पब्लिक उन का मांस नोच कर खा गई होती। गवर्नमेंट ने उनके साथ अहसान किया। कोई अपकार नहीं किया, उपकार किया। उन को अनुग्रहीत होना चाहिये। गवर्नमेंट इस से बड़ी लेनिएन्सी और क्या बरत सकती है कि कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग आज इस हाउस में बैठे हुए हैं और उसने मौका दिया कि इस पार्टी के लीडर फारेन कन्ट्री में जा कर अच्छी सिचुएशन पैदा करें। लेकिन आज उल्टे हमारी शिकायत की जाती है।

श्री मुजफ्फर हुसैन (मुरादाबाद): यह सब से बड़ा जुर्म है।

श्री शिव नारायण : जी हां, जुर्म है। आप जुर्म मानते हैं लेकिन आज गांधी जी के चेले हुकूमत में हैं। हमारे होम मिनिस्टर उस पालिसी के मानने वाले हैं, इसलिये उन्होंने मौका दिया है।

श्री मुजफ्फर हुसैन: गांधी जी के चेले जरूर हैं लेकिन महात्मा गांधी की बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री शिव नारायण : मानने के लिये तैयार हैं, वह कर रहे हैं, देख लीजिए, प्रैक्टिकली आप के सामने है। इतना बड़ा हमला हमारे ऊपर हुआ और हम कम्यूनिस्टों को देश में पनपने दे रहे हैं। इससे बड़ा नमूना हम आपको नानवायोलेंस का नहीं दे सकते कि उन्होंने कम्यूनिस्टों की जान को प्रोटैक्शन दिया। इस देश में जो हम ने डिफेंस आफ इण्डिया रूल्स को लागू किया उस का इस्तेमाल हम ने नहीं किया। अगर उस का सही सही इस्तेमाल होता तो बड़े बड़े मिल मालिक और बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं, जिन्होंने सोना दबा रक्खा है, कहां होते? मेरे एक मित्र ने कहा कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने सोना छीनना चाहा है। नहीं छीना। मैं शिकायत करता हूं। गवर्नमेंट से कि "यू हैव ए वीक गवर्नमेंट" इस मामले में। स्ट्रांग गवर्नमेंट होती तो सब को जेलखाने में बन्द कर देती और सब सोना ले लेती। तब पता चलता। आज इस देश के अन्दर लोग बीस-बीस और चालीस चालिस ट्रक सोना छिपाये बैठे हैं। क्या सरकार इस को जानती नहीं है? वह जानती है। लेकिन हम ने यह तय किया है, यह हमारा विधान है, कि अगर हम किसी की चीज को लेंगे तो उस का मुआवजा देंगे। किसी भी आदमी के साथ, चाहे वह राजा हो या रंक हो, हम एक सा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी गालियां मिल रही हैं।

श्री मुजफ्फर हुसैन : हालांकि हुआ नहीं है अब तक।

श्री शिव नारायण : आपको न दिखाई दे तो यह सूर्य का दोष नहीं है। आपको नहीं दिखाई देता तो हम क्या करें। जो हमने किया वह सामने मौजूद है। मौलाना आजाद जो किताब लिख गए हैं "इण्डिया विन्स फ्रीडम' उसको आप पढ़ कर देखिए। जो काम करता है उस पर जिम्मेदारी रहती है। आज लोग हमको गालियां दे रहे हैं। हम उनकी गालियां सुनने को तैयार हैं, उनका क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार हैं। लेकिन जो काम हमने किया है उसको भी तो आप देखें। मैं होम मिनिस्टर का बहुत अनुग्रहीत हूं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने हरिजन बच्चों के लिए इलाहाबाद में ट्रेनिंग देने के लिये स्कूल खोला है, उसके लिये मैं उनका अनुग्रहीत हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार हमारी मदद करे। हम अहसान फरामोश नहीं हैं। सरकार हमारी मदद कर रही है।

हमारे देश में १२०० साल मुसलमानों ने राज्य किया और दो सौ साल अंग्रेजों ने राज्य किया। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। मेरा विचार है कि उन्होंने भूल की कि हरिजनों पर ध्यान न दिया।

[श्री शिव नारायण]

अगर वे ऐसा करते तो दस करोड़ हरिजन उनके दाहिने खड़े होते। लेकिन जब गांधी जी का युग आया तो हमारी ओर उन्होंने ध्यान दिया। हमने वालंटियर हो कर कांग्रेस में काम किया। उन्होंने हमको पनपाया और उठाया और खड़ा कर दिया। और उसी का परिणाम है कि आज मैं पालियामेंट का सदस्य हूं। हमारे कुछ बच्चे भी सरविसेज़ में हैं। लेकिन कम हैं। हम शिकायत नहीं करते, हम ग्रज नहीं करते कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। हमारे लिए हो रहा है। और होना चाहिये। हम तो इस बात के मानने वाले हैं :

जब आवे संतोष मन सब धन धूलि समान।

हमारी यह नीति नहीं है कि जिस पत्तल में खाए उसी पत्तल में छेद करें। मौलाना साहब इस बात को समझ लें। मैं इस देश का शुभचिन्तक हूं। मैं तो साफ कहता हूं कि अगर लाल बहादुर शास्त्री स्वर्ग में रहेंगे तो हम भी स्वर्ग में रहेंगे और अगर वह नरक में रहेंगे तो हम भी नरक में रहनेको तैयार हैं। हम देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं। हम अपने होम-मिनिस्टर साहब को विश्वास दिलाते हैं कि दस करोड़ हरिजन उनके पीछे हैं, पंडित नेहरू के पीछे हैं और हम इस देश के रक्षक हैं भक्षक नहीं हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जो कमियां हैं उनको हमें दूर करना चाहिए। हमको कोई शिकायत नहीं है। मेरी डिफेंस मिनिस्टर से प्रार्थना है कि वे हरिजन बच्चों की ज्यादा से ज्यादा तादाद में सेना में भरती करें। चाहे उन से सड़कें बनवाएं चाहे उनसे गोली चलवाएं। कम से कम उनकी डिसिप्लिन तो आ जाएगा। मैं अनुग्रहीत हूं श्री राज बहादुर जी का कि उन्होंने कहा है कि अगर हरिजन ज्यादा संख्या में फौज में भरती हो जाएं तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। मैं चाहता हूं कि हमारे ज्यादा आदमी मिलिटरी में लिये जायें। हम यह नहीं कहते कि हमको कलक्टर ही बनाइए अगर कलक्टर नहीं बना सकते तो डिप्टी ही बनाइए, तहसीलदार ही बनाइए, कानूनगो ही बनाइए। आज इस देश में श्री लाल बहादुर जी होम मिनिस्टर हैं और श्री नेहरु प्रधाम मंत्री हैं। हम जानते हैं कि उनको हमारी चिन्ता है। हम उनके डिसिप्लन में काम करने को हर तरह तैयार हैं। जो कौम डिसिप्लिन नहीं मानेगी वह कभी पनप नहीं सकती। नैपोलियन ने कहा है

केवल वही आज्ञा दे सकते है जो स्वयं आज्ञा का पालन करते हों।

हम ने भौंसले साहब के स्कूल में डिसिप्लिन का नमूना देखा है। हम चाहते हैं कि भौंसले साहब के काम को बढ़ाया जाए और उसको हिन्दुस्तान में फैलाया जाए। अगर ऐसा किया गया तो लोगों में बड़ा डिसिप्लिन आ जाएगा।

करप्शन के बारे में कहा गया। करप्शन तो हर जगह है। मैं होम मिनिस्टर साहब से एक खास निवेदन करना चाहता हूं। इस देश में दो चार अखबार ऐसे चल रहे हैं जिनकी यह नीति है कि एक होम मिनिस्टर को गाली देता है तो दूसरा प्राईम मिनिस्टर की तारीफ करता है, तीसरा अगर डिफेंस मिनिस्टर की तारीफ करता है तो चौथा खान और ईंधन मंत्री की बुराई करता है। मेरा निवेदन है कि इस बकवास को बन्द कराया जाए।

श्री बागड़ी (हिसार) : क्या "बकवास" पार्लियामेंटरी शब्द है ?

श्री शिव नारायण : यह पार्लियामेंटरी है। मैं १५ वर्ष से असेम्बली और पार्लियामेंट का सदस्य हूं। मैं यह सब जानता हूं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इन अखबारों में जो इस तरह की खबरें छपती हैं कि किसी मिनिस्टर को कुछ कह दिया किसी को कुछ कह दिया इसको बन्द करवाना चाहिए। मेरी होम मिनिस्टर साहब से दरखास्त है कि ऐसा करने के लिए वह अपनी पावर का इस्तेमाल करें।

मैं बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमको करप्शन को चैक करना चाहिए। और जो देश का रुपया गलत तरीके पर खर्च होता है उसको रोकना चाहिए ताकि जनता को यह विश्वास हो कि जो उससे टैक्स लिया जाता है उसका सदुपयोग होता है और ठीक ढंग से काम चल रहा है। अन्त में मैं होम मिनिस्टर साहब से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं, आपने साथ सहयोग करने को तैयार हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब के मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : प्रस्तुत प्रतिवेदनों को देख कर हम यह महसूस तो करते हैं कि चीनी आक्रमण की दृष्टि से आपात को समाप्त नहीं किया जाना चाहिये, परन्तु साथ ही साथ यह बात भी सच है कि भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के तहत पक्षपातपूर्ण विधान बनाया जा रहा है। प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग निरोध के लिए किया जा रहा है। मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे देश भक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मैं नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रेमी होने के नाते साम्यवादियों को गिरफ्तार किये जाने के हक में नहीं हूं।

यही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत कारणों से अच्छे अच्छे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने कि सरकारी अधिकारियों की त्रुटियों और भ्रष्टाचार संबंधी मामलों पर प्रकाश डाला है। उन में एक मामला ऐसा भी था जिस में कि एक विशिष्ट मंत्री की पत्नी ने घूसखोरी निधि का प्रयोग अजमेर से प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदने के लिये किया। जिस व्यक्ति ने ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रकाश डालने का साहस किया उस के विरुद्ध कई प्रकार से कार्यवाही की गई।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्य ने मंत्री और उन की पत्नी का उल्लेख किया है। मैं उन का आभारी होऊंगा यदि वह गुप्त रुप से उन के नाम बतायें।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मैं ने इस मामले का ब्योरा प्रधान मंत्री को लिखे गये पत्र में दिया है। आप यह जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : क्या मंत्री की पत्नी संबंधी उल्लेख उस पत्र में है ? मैं नहीं समझता कि ऐसा किया गया है। मैं चाहूंगा कि वह मुझे इस बारे में सूचित करें।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : माननीय गृह मंत्री इस संबंध में सूचना राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय से प्राप्त कर सकते हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यदि आप इस सभा में इस की चर्चा कर रहे हैं तो आप मुझे यह सूचना गुप्त रुप से देने की कृपा भी कर सकते हैं। मैं इस मामले को गुप्त ही रखूंगा। परन्तु मैं उस नाम को जानना चाहूंगा क्योंकि यह बात उचित नहीं है कि माननीय सदस्य एक मंत्री का वर्णन तो करते हैं परन्तु उनका नाम नहीं बताते।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : बहुत अच्छा। उन का नाम और लेखों संबंधी पुस्तक भी आप को दे दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

इसीलिये मैं कह रहा था कि प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग केवल बदला लेने की भावना से किया गया है, विशेषकर नियम ३० का।

हमारा एक स्वतंत्र देश है और एक लोकतन्त्रात्मक देश है। केवल कुछ मंत्रियों के विरुद्ध किसी बात को ध्यान में लाने अथवा उन के विरुद्ध विचार व्यक्त करने के कारण किसी व्यक्ति को सजा देना अनुचित है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार इस स्थिति की जांच करे।

लगभग २७ लाख सुनारों को बेरोजगार कर दिया गया है। तथा इसके लिये भारत के प्रतिरक्षा नियमों का उपयोग किया गया है। क्या इन नियमों का इसी कार्य के लिये उपयोग किया जायेगा ?

सभा में बार बार यह कहा जाता है कि भारत की प्रतिरक्षा नियमों की क्रियान्विति राज्य सरकारों के हाथों में है। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि भारत की प्रतिरक्षा अध्यादेश में गिरफतारी और हिरासत के उपबंध नहीं थे उन्हें बाद में शामिल किया गया जब कि इन उपबंधों का प्रयोग किया जा रहा है पैरोल में व्यक्तियों को छोड़ने के उपबंधों का कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसके अधीन हिरासत में लिये गये व्यक्तियों के परिवारों के लिये कोई उपबंध नहीं किया गया है। भारत सरकार को इन मामलों की ओर ध्यान देना चाहिये।

देश में अपराधिक न्याय व्यवस्था में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जमानत मंजूर करने तथा उसके सत्यापन के लिये लोगों को बहुत तंग किया जाता है। दिल्ली में जमानत की मंजूरी और सत्यापन का दायित्व न्यायाधीश के अधीन है, अन्य स्थानों में भी यही किया जाये।

मेरा विचार है कि सेवा निवृत्ति की आयु ५५ से ५८ बढ़ा कर ठीक नहीं किया गया है इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा क्योंकि नियुक्त करने वाले अधिकारी ही यह निर्णय करेंगे कि उनकी सेवा बढ़ायी जाये या नहीं। इससे अनुचित कार्य को बढ़ावा मिलेगा।

यद्यपि केन्द्रीय रक्षित पुलिस की संख्या में बहुत वद्धि की जा रही है, तथापि रंगरूट संतुस्ट नहीं है। पुलिस बल के लिये पृथक पदालि बनायी जाये तथा उसका उचित ढंग से संगठन किया जाये। इस बात का प्रयत्न किया जाये कि उनका मनोबल ऊंचा हो। केन्द्रीय रक्षित पुलिस बल के अधीनस्थ अधिकारियों को वही सुविधायें प्राप्त होनी चाहियें जो कि सेना के अधिकारियों को प्राप्त हैं।

सतर्कता विभाग (विजिलैंस डिपार्टमेंट) के ऊपर भी निगरानी रखी जानी चाहिये। विशेष पुलिस संस्थापन में मुख्यतः एक ही इलाके के लोगों की नियुक्ति की जाती है। यहां बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। कभी कभी तो यह होता है कि ६४ रु० के गबन को जांच करने के लिये ६००० रु० व्यय किये जाते हैं, और सरकारी कर्मचारी को व्यर्थ तंग किया जाता है।

अभी हाल उत्तर प्रदेश में एक प्रदर्शनी हुई थी जिससे किसी प्रकार एक केन्द्रीय मंत्री नाराज हो गये हैं, बस उन्होंने बतंगड़ बना दिया। गृह-मंत्री को इसकी जांच करनी चाहिये।

†श्री बसुमतारी (गोलपाड़ा) : मैं गृह मंत्रालय को उनके कार्य के लिये धन्यवाद देता हूं तथा अनुदानों की माँगों का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा सवर्ण जातियों के अनुपात में भारतीय सेवाओं में जो वृद्धि हुई है उसका कारण यह है कि इलाहाबाद में पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी है। मेरा सुझाव है कि ऐसे केन्द्रों की स्थापना उन सभी स्थानों में की जाये जहाँ अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की अधिक संख्या है।

आसाम की जनता में आज जो असंतोष की भावना फैली हुई है उसका ठोस कारण है। वस्तुतः पाकिस्तान से लोगों की घुसपैंठ निरंतर जारी है और वह आयोजित तरीके पर की जाती है। यदि आप इस संबंध में आंकड़ों को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि १९११ में मुसलमानों की संख्या केवल ३,३५,३२० थी जो १९४१ में बढ़ कर १६,९७,५०९ हो गयी। १९५१ में जनसंख्या बढ़ कर १९,९६,४५६ हो गयी जबकि एक पूरा का पूरा जिला पाकिस्तान में चला गया था।

इससे यह पता चलता है कि वह आसाम को पाकिस्तान में शामिल करना चाहता था। एक जिले को तो पाकिस्तान में धकेल भी दिया था। वे तो चाहते थे कि सारा पंजाब, बंगाल और आसाम ही पाकिस्तान में शामिल कर लें। आज वहां राज्य सरकार और उसका मंत्रिमंडल बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है, परन्तु आसाम में आतंक है, लोगों में सुरक्षा की भावना नहीं है। वहां सारी बड़ी बड़ी नौकरिया एक विशेष जाति के लोगों के पास है। हमारे विचार में वहां के कुछ अधिकारियों का तबादला दूसरे राज्यों में होना चाहिए।

आसाम में पाकिस्तानियों की घुसपैंठ हो रही है, इस कारण भी लोगों में असुरक्षा की भावना है। यह समय है कि गृह-कार्य मंत्रालय इस मामले की समुचित जांच करे। मैं धर्म निरपेक्षता के नाम से प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि सरकार को उचित समय पर शीघ्र कोई कार्यवाही करनी चाहिए। धर्म निरपेक्षता के नाम पर आसाम के आदिम जाति लोगों की किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया जाना चाहिए। धर्म निरपेक्षता का अर्थ ही गलत हो जाता है यदि दूसरा पक्ष इसे स्वीकार नहीं करता।

†श्री शिवचरण गुप्ता (दिल्ली सदर) : गत छः मास में जो भी शानदार कार्य गृह-कार्य मंत्रालय ने किया है, उसके लिए में गृह-कार्य मंत्री को मुबारकबाद देता हूं। मैं श्री हरिश्चन्द्र माथुर की इस मांग का समर्थन करता हूं कि इस बात की जांच करने के लिए शीघ्र ही एक आयोग नियुक्त किया जाय जो कि सार्वजनिक धन किस प्रकार कम हो रहा है इस बात की जांच करे तथा यह भी बताये कि अपव्यय को कैसे रोका जा सकता है।

सतर्कता विभाग (विजिलैंस डिपार्टमेंट) का प्रतिवेदन परिचालित कर दिया गया है। उससे पता चलता है कि एक वर्ष की ४८३ शिकायतें अभी निलम्बित हैं और दो वर्ष की १५१ शिकायतें पड़ी हैं। एक वर्ष पुराने सतर्कता के मामले ८८४ है और दो वर्ष पुरानों की संख्या ४४६ हैं। १६५ अपीलें एक वर्ष पुरानी पड़ी है और दो वर्ष पुरानी अपीलों की संख्या ४४ है। इस बारे में एक बात उल्लेखनीय है कि यदि ये शिकायतें अथवा अपीलें बहुत लम्बी हो जाय तो इनका महत्व बहुत कम हो जाता है। और अपेक्षित परिणाम निकल भी आये तो कुछ लाभ नहीं होता।

भ्रष्टाचार की शिकायतें तो आम ही हैं। यह तो है ही कि प्रशासन से भ्रष्टाचार दूर किया जाना चाहिए। हमारे यहां भ्रष्टाचार निवारण समिति हैं। इसे इस बारे में जांच

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बसुमतारी]

करने के लिए कहा जाय। इससे एक बात पूछी जाय कि जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जाते हैं उन अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में इतना समय क्यों लग जाता है। ऐसा भी होता है कि शिकायत करने वाले लोग भी कई बार अपने दिये हुए ब्यानों से मुकर जाते हैं।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं कि सार्वजनिक सम्पत्ति की चोरी और उसे हानि पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध बड़ी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में काफी शिकायतें सदन के समक्ष आई हैं। ठीक है कि प्रशासन को सुधारने की आवश्यकता है परन्तु पुलिस के वेतन तथा सेवा की शर्तों में भी सुधार किया जाना चाहिए।

दिल्ली में कांग्रेस तो हमेशा लोकतंत्रीय ढांचे की मांग करती रही है। आज तो दिल्ली प्रशासन में विविध प्रकार के पदाधिकारी हैं। सारी व्यवस्था बहुत शोचनीय और असन्तोषजनक है। यह सचमुच बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार अब तक दिल्ली में पूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता को महसूस नहीं कर सकी।

मेरे विचार में दिल्ली में एक महानगरी (मैट्रोपोलिटन) प्रशासन होना चाहिए। इसमें बृहद योजना (मास्टर प्लान) में आया हुआ सारा क्षेत्र भी होना चाहिए। इसका अध्यक्ष मेयर हो। शहर में एक मुख्य आयुक्त, अथवा एक लेफ्टीनेंट गवर्नर हो अथवा केन्द्र में दिल्ली के मामलों के लिए एक मंत्री रहे। इसे दिल्ली के सम्बन्ध में सभी प्रकार के निर्णय करने का अधिकार हो। स्थानीय प्रशासन को प्राधिकार का रूप दिया जाय। जो समिति बनाई जाय उसमें एक मेयर तथा ११ से १५ सदस्य हों। इसी तरह निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक मेट्रोपोलिटन कौंसिल बनाई जाय। मेयर इस कौंसिल के प्रति उत्तरदायी होगा। यह तो एक सरसरी विचार है। विस्तार से इस पर सोचा जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है कि दिल्ली के लोग भी सन्तुष्ट हो जायें और भारत सरकार की भ्रांति भी दूर हो जाय।

†**श्री महेश दत्त मिश्र** (खंडवा) : मैं भी अपने मित्रों की तरह गृह-कार्य मंत्री को उनके मंत्रालय के कार्यों के कारण बधाई देता हूं। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने गत वर्ष और विशेष रूप से संकट की स्थिति में जिस प्रकार किया है। यदि वह इसी प्रकार कार्य करते रहे तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि इससे राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या अवश्य हल हो जायेगी। और सम्पूर्ण देश एक अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र का रूप धारण कर संसार के समक्ष आ जायेगा। हमें साम्प्रदायिक प्रान्तवाद, भाषावाद इत्यादि के छोटे छोटे मामलों को हल करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में सोचने की आदत डालनी है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के लागू करने के अनौचित्य के सभी मामलों की पूरी जांच करनी चाहिये। और साथ ही हमें इस बारे में पूर्णरूप से सचेत रहना चाहिये कि इस देश में सब कठिनाइयों का मुकाबला करते हुये हमने धर्म निरपेक्षता की स्थापना करनी है।

देश में प्रशासनिक समस्यायें तो उत्पन्न होती ही रहती हैं। राज्यों के पुनर्गठन से जितनी समस्यायें हल हुई थीं, उससे कहीं अधिक और पैदा हो गई हैं। हमें एक सशक्त केन्द्र बनाना

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये जिसके अन्तर्गत पांच अथवा छः जोन हों। गृह-मंत्री का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। गृह-कार्य मंत्रालय और सरकारी सेनाओं को राज्यों के समक्ष नेतृत्व प्रदान करना चाहिये कि किस प्रकार विविध समस्याओं को ईमानदारी और कुशलतापूर्वक ढंग से हल किया जाय। हमें अपने देश में एक धर्म निरपेक्ष समाजवादी राज्य की स्थापना करनी है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद): जो कुछ देश में हो रहा है उस पर दृष्टि जाते ही हृदय कांप उठता है। दीवाली और होली के बीच के महीनों में जो जागृति देश भर में आई हमारा प्रशासन उसका कोई लाभ नहीं उठा सका। चीन के आक्रमण का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव देश पर हुआ उसका राष्ट्रीय स्फुर्ति की दिशा में ठीक ढंग से प्रयोग नहीं किया गया है। संकट काल की घोषणा तो कर दी गई। परन्तु घोषणा के पश्चात् सरकार ने अपने अधिकारों और प्रभाव का उपयोग करके राष्ट्रीय संसाधन जुटाने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है। देश को मजबूत करने के लिये कुछ नहीं किया गया। सभी जगह उदासीनता, निराशा और आलस्य का वातावरण है।

आपातकालीन स्थिति से पूर्व जिस प्रकार देश में भष्टाचार चल रहा था, उसी तरह का अब भी चल रहा है। प्रशासन में सर्वत्र भ्रष्टाचार है, किसी प्रकार की नैतिकता अथवा आदर्श का कोई मूल्य दिखाई नहीं देता। मैं इस बात को स्पष्ट रूप में कह देना चाहता हूं कि यदि सत्तारूढ़ दल ने देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं किया, और इसके लिये सभी उपायों और साधनों का उपयोग नहीं किया तो उनकी स्थिति भी च्यांग-काई-शेक की तरह की हो जायेगी। सरकार को बताना चाहिये कि वह भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये क्या कर रही है। छोटे मोटे सरकारी अधिकारियों को ही नहीं प्रत्युत मंत्रियों को भी अपनी सम्पत्ति का ब्योरा देने के लिये कहा जाना चाहिये। रोग का उपचार ऊपर से ही किया जाना चाहिये। भ्रष्टाचार के अपराध के लिये कड़ा दंड दिया जाना चाहिये। मेरा सुझाव तो यह है कि भ्रष्टाचार के अपराधी लोगों को खुले आम कोड़े लगाये जाने की प्रथा को पुनः चालू किया जाना चाहिये। उन्हें जेल की सजा भी दी जानी चाहिये और नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाना चाहिये। इस प्रकार की कड़ी नीति अपनाने पर ही भ्रष्टाचार के उन्मूलन की कुछ आशा हो सकती है।

हमारे प्रशासन में बैठे हुए लोग कितने अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हैं उसका उदाहरण यह है कि गोआ में स्वतन्त्रता प्राप्ति के छः मास बाद अर्थात् मई १९६२ में छपे हुए मनी आर्डर फार्मों पर उक्त राज्य क्षेत्र को "पुर्तगाली गोआ" बताया गया है। इस बारे में गीता में कहा है:

भद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत देवेतरोजन:
स यत्प्रमाणं कुरूने लोकस्तदनुवर्तते।"

यही बात श्री खन्ना ने कही है।

यहीं पर ही बस नहीं है, सरकारी पदाधिकारियों द्वारा परम्परायें भंग करने का एक उदाहरण यह है कि मंत्रिमंडल सचिव ने सार्वजनिक प्रशासन संस्था पर अपने एक सार्वजनिक भाषण म राष्ट्रपति के अभिभाषण के कुछ उद्धरण, उसे संसद् के समक्ष प्रस्तुत करने से कुछ दिन पूर्व ही अभिव्यक्त कर दिया। और जब मामला सामने आया तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने कह दिया है कि इसमें कुछ भी अनुचित बात नहीं थी। इसी तरह १९५२ में लंदन में जीपों की धांधली हुई तो फाईलें गुम हो गई थीं। श्री कृष्ण मेनन उच्चायुक्त थे, जब वह प्रतिरक्षा मंत्री बन कर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

आये तो सब से पहिले उसको निकाला जिस व्यक्ति ने इस धांधली की बात को अधिक उछाला था। और भी कई बातों के साथ मंत्रियों का नाम लिया जा सकता है, परन्तु आजतक किसी भी मंत्री का भ्रष्टाचार के आरोप पर चालान नहीं किया गया है।

भारत प्रतिरक्षा नियमों का निर्माण किया गया है। इस अधिनियम तथा नियमों का निर्माण राष्ट्र को संगठित और मजबूत बनाने के लिये किया गया है। परन्तु खेद की बात है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत प्राप्त कुछ अधिकारों का प्रयोग देश को सशक्त करने के बजाय प्रेस को दबाने के लिये किया गया। सत्तारूढ़ दल इस आपात का लाभ उठा कर अपने दल को मजबूत करने का प्रयत्न कर रहा है। देश को सशक्त करने के स्थान पर उसे दबाया जा रहा है। संकटकालीन स्थिति का दुरुपयोग कर अपना हित साधन कर रहा है। यह दल सत्ताधारी दल की स्थिति का निर्माण कर रहा है। कुछ राज्यों के मुख्य मंत्री इस तरह का रूप धारण कर रहे हैं कि वे बड़े भारी सामन्तशाही तानाशाही हो। इस मामले में तीन राज्य के मुख्य मंत्री मुख्य रूप से मेरे सामने हैं।

अब मैं दिल्ली प्रशासन की बात करता हूं। दो प्रतिवेदन हमारे सामने हैं। दिल्ली में आप अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि कई एक पुलिस स्टेशनों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। मामलों की सफल जांच का श्रेय पुलिस के निम्नवर्गीय कर्मचारियों को भी दिया जाये। इसे केवल सुपरिन्टैण्डेन्ट तक ही सीमित न रखा जाय।

जम्मू और काश्मीर, नेफा तथा गोआ को बाकी भारत के साथ न मिलाये जाने के बारे में क्या कारण दिया जा सकता है। काश्मीर को लाखों रुपये का अनुदान दिया जाता है। उसका न तो लेखा परीक्षण होता है, न ही संसद् उसकी छानबीन करती है। लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति उस पर विचार नहीं करती। यह क्यों? नेफा के बारे में स्थिति क्या है? इसी तरह गोआ को भी मंत्रालयों में न बार सीधा भारत का अंग बनाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को प्रयत्न कराना चाहिये कि विभिन्न राज्यों के सीमा विवाद हल हो जाय। त्रिपुरा और आसाम में गैर कानूनी प्रवेश करने वाले सब व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। जो पाकिस्तानी इन क्षेत्रों में आ रहे हैं उनके आने पर रोक लगाई जानी चाहिये। देश में जागरूक और ईमानदार प्रशासन होना चाहिये और तोड़ फोड़ करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री मुहम्मद ताहिर (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं, इस लिये नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छा और माकूल बजट पेश किया है, बल्कि इसलिये कि अभी पिछले दिनों होम मिनिस्ट्री की जो कार्रवाई हुई है उस से ऐसा मालूम होता है कि हिन्दुस्तान में जान है। पिछले दिनों जब चाइनीज ऐग्रेशन हुआ था, हम ने देखा कि होम मिनिस्टर साहिब कभी आसाम में नजर आते थे, कभी तेजपुर में नजर आते थे और कभी गौहाटी में नजर आते थे। इस से पता चलता है कि अगर कभी भी हमारे मुल्क पर मुसीबत आयेगी तो उस से हम बच सकते हैं।

इस के अलावा मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। यह जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है इस से ऐसा मालूम होता है कि समुन्दर में कूजे को बन्द कर दिया है। बहर कप उन्होंने बार्डर एरियाज

के डेवेलपमेंट के बारे में कहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब बारडर एरियाज के डेवेलपमेंट का सवाल होता है तो क्यों होम मिनिस्टर साहब की नजर में काश्मीर, पंजाब और यू० पी० ही रहते हैं। इस के अलावा उनको कोई और बार्डर एरिया क्यों नज़र नहीं आता। मैंने पिछली बार कहा भी था कि बिहार और बंगाल का बड़ा हिस्सा बारडर एरिया है, उसको डेवेलप करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाचे हम ने देखा कि पिछली दफा हमारी जो बटालियन्स नेफा के लिए गयीं उनको पचास पचास घंटे की देरी हो गयी। मैं ने रेलवे मिनिस्ट्री को भी लिखा था कि वहां कम से कम सैकिंड लाइन आफ डिफेंस के तौर पर एक दूसरी रेलवे लाइन भी बना दीजिए। वहां पर एक नेशनल हाई वे है और बाकी सड़कें बेकार हैं। मैं ने बार बार कहा है कि आप सैकिंड लाइन आफ डिफेंस के तौर पर इस बारडर एरिया को डेवेलप करें लेकिन उस एरिया में कुछ नहीं हुआ। इसकी तरफ गौर क्यों नहीं किया करते समझ में नहीं आता। सिलिगुड़ी और बिहार का ईस्टर्न हिस्सा सहरसा, पूर्निया वगैरह स्टेट्रेटिजिक मुकाम हैं। वहां पर बारडर रोड्स का डेवेलपमेंट होना चाहिए। अगर होम मिनिस्टर साहब इस काम को नहीं कर सकते तो वह मेहरबानी फरमाकर डिफेंस मिनिस्ट्री को या ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री को इस के लिए मजबूर करें कि इस एरिया को डेवेलप किया जाए ताकि जब इमरजेंसी हो तो उस एरिया से सामान लाने ले जाने में दिक्कत न हो। इसका बहुत ज्यादा खयाल रक्खें। मैं ने बार बार इसके बारे में कहा लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया।

इसके अलावा मैं दूसरी बात जो अर्ज करना चाहता हूं वह पोलीटिकल साइड की है जिस में आपने नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, रिपोर्ट से पता नहीं चलता कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो जोनल कांउसिल्स बनी थीं उन्होंने क्या किया। यह जरूर है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इस मामले में बहुत काम किया है और खुशी की बात है कि हमारे मुल्क में नेशनल इंटीग्रेशन मुक्कमल तौर पर हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि यह नेशनल इटीग्रेशन बाकी भी रहेगा या नहीं। इस के बारे में मैं कहना हूं कि जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है उसने तो अपना काम ठीक किया है, लेकिन आफिसर्स का व्यवहार ऐसा है कि डर है कि इंटीग्रेशन के बजाए डिसइंटीग्रेशन न हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं दो तीन बातें पेश करना चाहता हूं।

अभी हमारे चुनाव क्षेत्र में एक बी० डी० ओ० साहब रेंट वसूल करने के लिए गए। उस दिन जुमे का दिन था और रोज़ों का महीना था। उन्होंने बस्ती के लोगों को बुलाया, मस्जिदके इमाम को भी बुलाया और उन से कहा कि रेंट दीजिए। लोगों ने कहा कि हमको थोड़ा टाइम दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम टाइम नहीं दे सकते। इमाम ने कहा कि मुझको इतना वक्त दीजिए कि मैं जा कर लोगों को नमाज़ पढ़ा दूं, लेकिन उनको वक्त नहीं दिया गया और नतीजा यह हुआ कि उस दिन जुमे की नमाज़ नहीं हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके आफिसर इस तरह सिक्यूलरिज्म के खिलाफ काम करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि लोगों के दिलों में चोट आती है। वहां के लोग परेशान हो गये कि हमको नमाज तक नहीं पढ़ने दिया जाता है। आपको ऐसे अफसरों को बदलना चाहिए कि वे ऐसा काम न करें क्योंकि इस से गवर्नमेंट की बदनामी होती है और कांग्रेस पार्टी की भी बदनामी होती है।

मैं एक दूसरी मिसाल पेश करना चाहता हूं। बिहार में हमारा एक बड़ा तालीमगाह देवबन्द में है। इसकी हैसियत बैनुल कुआमी है। अभी हाल में ही उसकी तलाशी ली गयी! मदरसे की तलाशी ली गयी। यही नहीं वहां के जो वाइस चांस्लर हैं उनके मकान तक की तलाशी ली गयी। नतीजा यह हुआ कि देश भर के मुसलमानों के दिलों पर चो[illegible] ी अगर वहां पर कोई खराबी थी तो उसकी तहकीक कर ली जाती और उसके बाद तलाशी ली जाती। मैं नहीं

[श्री मुहम्मद ताहिर]

समझता कि ऐसी कार्रवाई अफसर लोग क्यों करते हैं। यह वह इदारा है जिस से मौलाना हिफजुर्रहमान,. हुसैन अहमद मदनी साहब, मौलना, महमूदुल हसन जैसे बजुर्ग लोगों का ताल्लुक रहा है, जिन्होंने जंग आजादी के लिए अपने खून को पानी कर दिया था। अगर उस इदारे में कोई खराबी होती तो कार्रवाई जरूर करनी चाहिए थी, लेकिन तलाशी लेने के कब्ल यह मालूम तो कर लेना चाहिए था कि कोई खराबी है या नहीं। इस तरह से यकायक तलाशी लेकर उसको बदनाम करना कहां तक मुनासिब था।

मैं तीसरी बात नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क से काऊ सेक्रीफाइस खत्म हो गया। यह अच्छा हुआ कि यह बला हमारे यहां से चली गयी। लेकिन अब मुसलमानों को बकरे का भी सेक्रीफाइस नहीं करने दिया जाता। यह बड़े अफसोस की बात है। मेरे पास पजाब में पानीपत के लोगों की शिकायत आयी, और वहां के लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, जिसको मैं होम मिनिस्टर साहिब के हवाले करूंगा कि वहां पर लोगों को बकरे का सेक्रीफइस भी नहीं करने दिया जाता। इसके मानी यह हैं कि आप काऊ सेक्रीफाइस के खिलाफ नहीं हैं लेकिन आप हमारे सेक्रीफइस के ही खिलाफ हैं। इसके लिये जन संघ और आर० एस० एस० वालों को बदनाम किया जाता है। हकीकत में यह उनका काम नहीं है, यह तो हमारे अफसरों की खराबी है। अगर आपके अफसर लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं करेंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन कैसे कायम रह सकेगा। जहां अफसरान इस तरह का गलत काम करें तो ऐसे अफसरों को रोकना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इससे हमारी पार्टी और हुकूमत की बदनामी होगी। इसके अलावा दो तीन बातें और यह कह कर खत्म करूंगा।

हमारे बसुमतारी साहब ने आसाम में इनफिलट्रेशन के बारे में कहा है। कहा जाता है कि कि पाकिस्तान से करीब तीन लाख आदमी आसाम में आ गए हैं। अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट का फर्ज है कि उनको वापस जाने के लिए मजबूर किया जाए, जल्द उनको आप हटाइए। लेकिन मैं यह भी कहा देना चाहता हूं कि अगर वाके आप समझते हैं कि वे इसी मुल्क के रहने वाले हैं और उनका घर यहां है तो उन को बेघर न कीजिए क्योंकि ऐसा करने से वे लोग ही मुसीबत ज़दा नहीं होंगे, बलकि खुदा भी नाराज़ होगा। यह सवाल हाल में ही उठाया गया है, पहले कोई ऐसा सवाल हमारे सामने नहीं आया था। उनको हटाने से पहले हुकूमत को चाहिए कि यह अच्छी तरह देख ले कि वाक्या क्या है। कि वाक्य ही वे लोग पाकिस्तान से नाजायज तौर पर आ गये हैं या उनका घर और उनकी जमीन किबल से यहां मौजूद है। अगर ऐसा नहीं तो जरूर उनको निकाल देना चाहिए।

एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कि हमने ट्रिब्यून अखबार में पढ़ा है कि गवर्नमेंट मुसलमानों के परसनल ला में चेंज करने जा रही है। उनके शादी के कानून में और तलाक वगरह के कानून में तबदीली करने जा रही है।

†**श्री हजरनवीस**: इस मामले का केन्द्रीय सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मुहम्मद ताहिर: अगर ऐसा वाकया नहीं है तो हमारी कोई शिकायत नहीं है। मैं ने पेपर में देखा था कि इसलिए यह अर्ज किया। लेकिन अगर यह सही नहीं है कि तो ठीक

---

†मूल अंग्रेजी में

है । लेकिन अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो मुसलमानों को उलमाओं को बुलाइए और उनको कंसल्ट कीजिए कि क्या इस कानून में कोई चेंज की गुंजाइश है। जहां तक मेरा खयाल है इस कानून में तबदीली की गुंजाइश नहीं है, और अब तो सारी दुनिया इसको आहिस्ता आहिस्ता अपना रही है । अगर आप, मुसलमानों के परसनल ला में को चेंज करना चाहते हैं तो पहले तहकीक कर लीजिए, वरना ऐसा न हो कि आप कमेटी बना कर एक लेजिसलेशन ले आएं । अगर ऐसा हुआ तो यह बड़े अफसोस की बात होगी ।

†**श्री सिद्धय्या** (चामराजनगर) : मैं गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं श्री कामत की बहुत सी बातों का समर्थन करता हूं। इस में कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटिश काल की अपेक्षा आजकल ईमानदारी का स्तर काफी गिर गया है । आज यह देख कर दुःख होता है कि देश में भ्रष्टाचार ने बड़ा व्यापक रूप धारण कर लिया है । कठोर कार्यवाही करने पर ही इसका उन्मूलन किया जा सकता है । राज्यों तथा केन्द्र के सभी विधायकों तथा मंत्रियों के लिये यह अनिवार्य होना चाहिए कि पदनियुक्ति तथा पद को छोड़ते समय वे अपनी आस्तियों को प्रकट कर दें । गृह-कार्य मंत्री को इस मामले पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

पंच वर्षीय योजनाओं में पिछड़े वर्गों के कल्रयाण के लिए विशेष व्यवस्थायें की गयी हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि इन वर्गों के लिए कल्याकण कारी योजनाओं के लिए आवंटन धन का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है ।

जनवरी, १९६१ में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या भारतीय प्रशासन और पुलिस सेवा में ६१ थी जो जनवरी, १९६२ में ७५ हो गयी। इस का कारण शायद यह था कि कोलावा और बंगलौर में पूर्व परीक्षा कक्षायें आरम्भ की गयीं । मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि ऐसे अन्य केन्द्र भी खोले जायें ।

अब मैं पदोन्नति के सम्बन्ध में संरक्षण का प्रश्न लेता हूं । पहिले रेलवे विभाग में इस का उपबन्ध किया गया था तथापि कुछ कारणों से हटा लिया गया । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में पदोन्नतियों में भी संरक्षण दिया जाये यदि ऐसा संभवत हो तो नियुक्तियों में संरक्षण की संख्या में वृद्धि की जाये ।

अब मैं अस्पृश्यता निवारण के प्रश्न को लेता हूं । इस संबंध में केन्द्र तथा राज्य की सरकारें कुछ सुस्त हो गयी हैं। इतना ही नहीं कुछ ऐसे कार्य किये जा रहे हैं जिन से इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है जैसे मैसूर में हरिजन प्राइमरी स्कूलों तथा हास्टलों को बनाये रखना । मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में ध्यान देंवें ।

अनुसूचित जातियों और आदि म जातियों की सूची को परिवर्तन करने के लिए भूतपूर्व स्वर्गीय गृह मंत्री पंडित ंत ने भी आश्वासन दिया था तथापि इस में अभी तक परिवर्तन नहीं किया गया है अतः मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में विचार करें । दुख का विषय है कि मैसूर राज्य के लिए आवंटित राज्य सेवाओं की १७ में से केवल ९ जगहें ही अभी तक भरी गयी हैं । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

पिछड़ी जातियों को पिछले ५, ६ वर्षों से मीट्रकोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति दी जा रही थी लेकिन अब उन से कहा गया है कि यह छात्रवृत्ति योग्यता के ही आधार पर दी जायेगी । यह अनुचित है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।]

†**श्री जेना** (भद्रक) : गृह मंत्रालय का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है । देश में शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के साथ साथ उसे देश के कई आंतरिक मामलों पर विचार करना होता है ।

उक्त भारी दायित्वों को देखते हुए मैं इस मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये किये जाने वाले कार्यों के संबंध में कुछ बातें कहन चहता हूं ।

मेरा विचार है कि पहिली और दूसरी योजना में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में प्रगति उत्साहजनक नहीं रही है । उन जातियों के कल्याण के लिये आविष्टित निधि को पूरी तरह काम में नहीं लाया गया है । इस कार्य में अधिकारी गणों में उत्साह की कमी है ।

अस्पृश्यता दूर करने के सम्बन्ध में भी ढ़िलाई हो रही है । यदि अस्पृश्यता के बारे में शिकायतों पर उचित कार्यवाही की जाये तो यह शीघ्र दूर हो जायेगी । निसंदेह उड़ीसा ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है ।

उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जाटियों की स्थिति अच्छी नहीं है । उन का आवास अनुदान ६०० रु० से बढ़ा कर १५०० रु० और दिये जायें ।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थान केवल उन्हीं को दिये जायें ।

उड़ीसा में भी विधान मंडल के दोनों सदन स्थापित किये जायें । उड़ीसा से अनुसूचित जातियों के लिये लोक सभा में रक्षित स्थानों की संख्या में कमी न की जाये । आपातकाल में देश में जिस एकता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ है उस के लिये गृह मंत्री बधाई के पात्र हैं । इस संबंध में देश के सभी वर्गों न जो सहयोग दिया है वह सराहनीय है । गांव गांव में लोग संगठित होकर होमगार्ड इत्यादि का प्रशिक्षण ले रहे हैं । तथापि मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे देश में शांति और व्यवस्था बनाये रखने का भरसक प्रयत्न करें ।

मितव्ययिता के लिये मेरा एक सुझाव यह है कि सामुदायिक विकास योजनाओं में से सहायक विकास अधिकारी, प्रप्रगति सहायक तथा समाज शिक्षा संगठन व्यक्तियों की जगहें हटा ली जायें । इन के बिना भी योजना का कार्य चल सकता है ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : (नागपुर) : गृह-मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विचार करते समय हमें इन बातों पर भी विचार करना चाहिये कि यह युद्धकालीन आधार पर बनाया गया बजट है । हमें देश तथा सब को राष्ट्र की रक्षा के लिये तैयार रहना चाहिये अतः सभा के सम्मुख रखी गयी मांगों पर मैं उसी दृष्टिकोण से विचार करूंगा ।

राष्ट्र को युद्ध के लिये तैयार करने में गृह-मंत्रालय का बहुत हाथ रहता है । यह विभाग सेना की यथासम्भव सहायता करने के लिये उत्तरदायी है । चीन के आक्रमण से देश में जो भावना पैदा हुई है उसे बनाये रखने का दायित्व भी इसी विभाग का है ।

इस दृष्टि से देखने पर जनता में अब वह उत्सह नहीं पाया जाता है जो उन दिनों दिखायी दिया था । यह उत्साह दिनों-दिन क्षीण होता जा रहा है और वस्तुतः त्याग और उत्साह की वह भावना जो चीनी आक्रमण के लिये पैदा हुई थी अब नहीं रही है । इस के बावजूद कृष्णा गोदावरी पानी

†मूल अंग्रेजी में

मामले पर विवाद से राष्ट्रीय संगठन के अहित में भावना पैदा हुई है। सरकार को राज्यों के साथ मतभेद पैदा करने वाली और लोगों को भड़काने वाली बातों को समाप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये।

सभा में इसी बजट में जो भाषा विधेयक लाया जाने वाला है उस से भी काफी विवाद खड़ा होने की आशंका है।

इसी प्रकार स्वर्ण नियंत्रण आदेश से सदियों पुरानी भावना को ठेस पहुंची है। आपात काल में ऐसा करना देश के लिये अहितकर है। इस समय लोक सभा में हमारी चर्चाओं को देख कर ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हमारे हृदय में चीनियों के खिलाफ भयंकर रोष और प्रतिशोध की भावना अभी भी मौजूद है।

निसंदेह गृह मंत्री की अभी हाल की चीन यात्रा दोनों देशों में सद्भावना उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हुई है। उन्होंने दोनों देशों के बीच गलतफहमी को दूर करने का सराहनीय प्रयत्न किया है।

हिन्दी को राष्ट्र भाषा के पद से हटाने तथा उसके स्थान पर अनिश्चित काल के लिये हिन्दी को रखने का विधेयक अभी नहीं लाना चाहिये इस से हिन्दी भाषियों के हृदय में चोट लगेगी तथा वितंडा उठ खड़ा होगा जो देश की एकता के हित में घातक होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बात स्पष्ट लिखि गयी है कि इस समय मुख्य बात आपातकाल का सामना करना है और सब बातें गौण हैं तथापि ऐसा जान पड़ता है कि पार्टी के बीच परस्पर मतभेदों के फलस्वरूप ऐसा प्रचार किया गया है जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है फलस्वरूप दूसरे दल वाले जो इस आपातकाल में देश के प्रति उतने ही वफादार हैं उन के उत्साह में कमी आती है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]।

विदर्भ प्रदेश के कुछ व्यक्तियों ने अपने सिद्धांतो के लिये कांग्रेस से संघर्ष किया। और आज भी ३६ व्यक्ति जेलों में पड़े हुए हैं। अतः ऐसे समय केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य मंत्रालयों को इस संबंध में स्पष्ट आदेश देने चाहिये जिस से कि वे अपना कार्य और अधिक अच्छी तरह करें। ऐसे समय सभी राज्य सरकारों को केन्द्र से सहयोग स्थापित करना चाहिये।

†**श्री जं० ब० सिंह विष्ट** (अल्मोड़ा) : मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांकों का समर्थन करता हूं। उन्होंने सभी समस्याओं का दृढ़ता और आवश्यक उदारता से हल किया है। मेरे विचार से गृह मंत्रालय का यह निर्णय कि संघ राज्य क्षेत्रों में भी लोकप्रिय शासक की स्थापना की जायेगी सराहनीय है। यह एक बहुत बड़ा निर्णय है जो वहां की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके लिये गृह मंत्रालय बधाई का पात्र है।

गृह मंत्रालय की कुशलता का दूसरा उदाहरण भारत की प्रतिरक्षा संबंधी नियमों का कड़ाई तथा कुशलता से पालन करना है। गृह-मंत्रालय ने समाज विरोधी तत्वों का दमन करने तथा देश में शांति और व्यवस्था बनाये रखने का कार्य बहुत शांति और धैर्य से किया।

तथापि मैं उन क्षेत्रों के असैनिक सुरक्षा के संबंध में कुछ कहनाचाहता हूं जो सीमांत क्षेत्रों से मिले हुए हैं। वस्तुतः उन्हें भी सीमांत क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये • तथापि प्रतिरक्षा की दृष्टि से वे इलाके भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने सीमांत के इलाके! वस्तुतः यह शांति जो आजकल दिखायी दे रही है अधिक स्थायी नहीं है इसलिये यह आवश्यक है कि वहां के निवासियों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाये।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जं० ब० सिंह बिष्ट]

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सेना की सहायता के लिए पी०ए०सी० यूनिटों की वृद्धि की जाए विशेषत: उत्तराखंड के सीमान्त क्षेत्रों के लिये वशेष सीमान्त आरक्षक दल तैयार किया जाये क्योंकि इस कार्य के लिये नये बजट में ३१३.६५ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

इन क्षेत्रों के प्रशासन में एक स्पष्ट त्रुटि है कि यद्यपि जिला मजिस्ट्रेट एक समन्वय अधिकारी है तथापि व्यावहारिक दृष्टि में पृथक पृथक विभागों के मुख्याध्यक्ष अपना कार्य पृथक कर रहे हैं। विशेष रूप से सार्वजनिक कार्य निर्माण विभाग के कार्यों से काफी असंतोष और क्षोभ फैला हुआ है अतः मेरा सुझाव है कि सड़क निर्माण का कार्य सेवा के अधीन किया जाये।

सीमान्त की आन्तरिक रेखा के भीतर नैपाली नागरिकों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं ये अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं। अतः सरकार को चाहिये कि वे इस संबंध में सतर्क रहे कि ये नैपाली नागरिक अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें।

श्री प्रताप सिंह (सिरमूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चीनी हमले की वजह से होम मिनिस्ट्री की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ मुल्क के अन्दरुनी मामलात की देखभाल और अमन कायम रखना और दूसरी तरफ फ्रंटियर की देखभाल और से वहां पर सिक्यूरिटी का इन्तज़ाम करना, ये दोनों काम उस के मातहत आते हैं। चीनी हमले के बाद इस मिनिस्ट्री ने जिस खुश-उस्लूबी से ये दोनों काम किये हैं, उसके लिये वह धन्यवाद की पात्र हैं। उसने जो काम किया है, वह सराहनीय है।

इसके हलावा यूनियन टेरीटरीज़ का सीधा सम्बन्ध इस मिनिस्ट्री से है। मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने यूनियन टेरीटरीज़ की जनता की मांग और उस के जज्बे को मद्देनजर रखते हुए यूनियन टेरीटीज़ में डेमोक्रेटिकट सेट-अप लाने का बिल सदन में पेश किया है। मैं आशा करता हूं कि यह सदन उस बिल को बहुत जल्द पास करेगा और उस को अपनी स्वीकृति देगा, ताकि उन इलाकों की जनता अपने हुकूक को हासिल कर के अपनी तरक्की के लिये काम कर सके।

मैं मानता हूं कि इमर्जेन्सी के वक्त देश को डिफेंस परपज़िज़ के लिये अधिक से अधिक रुपये की ज़रुरत है मगर उस के साथ ही हमारे डेवेलपमेंट के लिये भी उतने ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा रुपये की ज़रुरत महसूस होती है। इस लिये हमें सोचना है कि हम सब फ़ालतू खर्चको रोक कर वह रुपया मुल्क की बहबदी के कामों में सर्फ़ करे। इस में कोई शक नहीं कि यूनियन टेरीटरीज के लिये बहुत से अच्छे काम किये गये और उन में से बहुत सराहनीय भी हैं। लेकिन चूंकि यूनियन टेरीटरीज़ का सीधा सम्बन्ध होम मिनिस्ट्री से है, इसलिये इस सिलसिले में जितना ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिये था, मैं समझता हूं कि वह अभी तक पूरा नहीं हो सका है।

यूनियन टेरीटरीज़ का कोई भी ऐसा काम नहीं है, जिसका डायरेक्ट सम्बन्ध होम मिनिस्ट्री से न हो। मैं आप के सामने इंडस्ट्रीज़ की बाबत कुछ कहना चाहता हूं, जो कि हिमाचल प्रदेश में कायम की गई। हिमाचल प्रदेश में इस महकमें का तो खुदा ही हाफ़िज़ है। सोलन में एक इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम की गई, जहां पर पंद्रह सोलह इंडस्ट्रीज़ लगाई गई। लेकिन आज उस एस्टेट को देखने से पता चलता है कि उन में सिर्फ दो इंडस्ट्रीज़ ही—और वे भी छोटे पैमाने पर—काम करती हैं। हज़ारों रुपये उन इंस्ट्रीज़ पर खर्च किये गए, लेकिन आज उन में से कोई इंडस्ट्री भी काम नहीं कर रही है।

एक फूड प्रिज़र्वेशन प्लांट भी मंडी में लगाने का प्रबन्ध किया गया। एक कम्पनी को ज़मीन भी दी गई और उस के लिये कोई पंद्रह लाख रुपये का एस्टीमेट बनाया गया। मुझे मालूम नहीं कि आया वह रकम उस को दी गई या नहीं, लेकिन वहां पर वह प्लाट आज तक नहीं लग पाया है।

मैं समझता हूं कि जिन लोगों को बाहर क्वोटा न मिलता हो और जिन का बड़ा रुसूख़ हो उन को हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने की सुविधायें दे दी जाती हैं। जब क्वोटे को ब्लैक मार्केट में बेचने के ख़िलाफ़ उन की थोड़ी सी रोक-थाम की जाती है, तो वे अपनी इंडस्ट्री को बंद कर देते हैं। इस का कारण यह है कि पहाड़ी इलाकों में, और ख़ास कर तौर से हिमाचल प्रदेश में अच्छी तरह से जांच नहीं की जाती है कि वहां पर कौन कौन सी इंडस्ट्री लगनी चाहिये और किस इंडस्ट्री से फ़ायदा हो सकता है। वहां पर अंधाधुंध रुपया ख़र्च करने के लिये दे दिया जाता है। जो इंडस्ट्री देखो, हिमाचल प्रदेश में लगा दो, लेकिन उन में कोई भी कामयाब नहीं होती है।

वहां पर काफ़ी जंगलात हैं—बांस के और दूसरे और जंगलात हैं— और उन से सम्बन्ध रखने वाली इंडस्ट्रीज़ वहां पर लगाई जा सकती हैं। वे इंडस्ट्रीज़ बड़े पैमाने पर भी लगाई जा सकती हैं और अगर हम काटेज इंडस्ट्री की शक्ल में लगाना चाहें, तो उस में भी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जापान में छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी हुई हैं जिन में बांस और लकड़ी का छोटा छोटा सामान बनता है जिस को वे लोग बाहर दूसरे मुल्कों में भेज कर रुपया कमाते हैं। एक तरफ़ तो वे अपने लोगों को रोज़गार देते हैं और दूसरी तरफ़ पैसा कमाते हैं। लेकिन यह बात हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है।

अब मैं एक बात शैड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में कहना चाहता हूं। इस में कोई शक नहीं कि उनके लिए काफी कुछ किया गया और काफी कुछ किया जा रहा है। लेकिन मैं देखता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक भी शैड्यूल्ड कास्ट्स की हालत बहुत पिछड़ी हुई है। उनकी भलाई की बहुत सी स्कीमें बनाई तो गई हैं लेकिन उनका वहां कोई लाभ नहीं हुआ है: ये स्कीमें आल-इंडिया बेसिस पर बनाई गई हैं और उनको ऊंचा उठाने की कोशिशें भी हुई हैं और उसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है, लेकिन हिमाचल जो कि एक पहाड़ी इलाका है, उसकी अपनी ही विशेष समस्यायें हैं और उन समस्याओं को ध्यान में रख कर ये स्कीमें नहीं बनी हैं। पहाड़ी इलाका होने के अलावा दूसरी वजह उसकी यह भी है कि वहां पर कई प्रकार की कठिनाइयों और गुलामी में उनको रहना पड़ा है। राजाओं के गुलाम वे रह चुके हैं जब वहां पर राजा महाराजा थे, जैलदारों की गुलामी उनको करनी पड़ती थी नम्बरदारों की गुलामी उनको करनी पड़ती है। इन सब गुलामियों में से निकलने के बाद जब उनकी जो समस्यायें हैं, उनका जब तक सर्वे न किया जाए उनको किस प्रकार के काम दिये जा सकते हैं, इसको न देख लिया जाए, कौन कौन सी स्कीम्ज़ उनके लिये फ़ायदेमन्द साबित हो सकती हैं, इसका पता न लगा लिया जाए तब तक उन लोगों की तरक्की नहीं हो सकती है। किस तरह से वे दूसरे लोगों के पंजों में से निकल सकते हैं, इसका जब तक पता न लगा लिया जाए तब तक जो स्कीम्ज़ हैं, इनको जिस हद तक कामयाब होना चाहिये, उस हद तक कामयाब नहीं हो सकती हैं। अगर इसी तरह से स्कीमें बनती रहीं तो उनको उन से जो लाभ पहुंचना चाहिये पहुंच नहीं सकेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पहाड़ी इलाकों के लिये खास तौर पर अलग सर्वे किया जाएगा और इस काम के लिये एक कमेटी बिठाई जाएगी जो कि जा कर जांच पड़ताल करें और बतायें कि किस तरह से उन लोगों को ठीक रास्ते पर लाया जा सकता है, किस तरह से उन लोगों को ऊपर उठाया जा सकता है।

[श्री प्रताप सिंह]

अब मैं हिमाचल प्रदेश के खच के बारे म अर्ज करना चाहता हूं । इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे वहां पर खर्चा बढ़ता जा रहा है। उदाहरणार्थ १९५९-६० मे ्त्रीय परिषद् का खर्च प्रदेश विधान सभा से दुगने थे। मुख्य कार्यलय में ही कार्यपालिका का व्यय विधान सभा के औसत व्यय से १.५ लाख अधिक था। इसी प्रकार सहायक राज्यपाल के सचिवालय के व्यय में १९५६-५७ की अपेक्षा १९५९-६० में २५ प्रतिशत वृद्धि हुई। इससे स्पष्ट है कि सहायक राज्यपाल के सचिवालय में पहिले की अपेक्षा अधिक व्यय किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बात मैंने कही है, यह बहुत पहले की है। आज जब मैं इन डिमांड्ज़ को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि मोटर वीहिकल्ज़ आफ़ लैफ्टिनेंट गवर्ननर पर खर्चा पहले से बहुत अधिक किया जा रहा है। १९६१-६२ में यह खर्चा, १०,९९९ था १९६२-६३ में यह बढ़ कर १७,६०० हुआ। जो रिवाइज्ड खर्चा था १९६२-६३ में वह २४,७०० था। अब १९६३-६४ के लिये २५,३०० रुपये प्रोवाइड किए गए है। इसका मतलब यह हुआ कि १९६१-६२ के मुकाबले मैं यह खर्चा करीब पंद्रह हज़ार बढ़ गया है। इसी तरह से स्टाफ़ एंड हाउसहोल्ड आफ़ लैफ्टिनेंट गवर्नर का जो खर्चा है, वह बढ़ता ही जा रहा है। १९६२-६३ में यह खर्चा ३५,००० था और जो रिवाइज्ड था वह ४०,००० था। अब १९६३-६४ में यह बढ़ा कर ४५,००० कर दिया गया है। मेरा कहने का तिलब यह है कि जरूरी जरूरी जो भी खर्च हैं, वे तो किए जायें लेकिन जहां तक फ़ाल्तू खर्च हैं, उनको बचा कर वह रुपया डिवेलेपमैंट के कामों म लगाया जाए।

अब मैं हिमाचल के एम्प्लायीज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उनका कम्पेंसेटरी एलाउंस बन्द कर दिया गया है। इस के कारण से उन में बड़ा असन्तोष है। मैं चाहता हूं कि इस ओर तुरन्त माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये। जहां तक छोटे छोटे इम्प्लायीज का सम्बन्ध है, उनकी तरफ ध्यान देना निहायत जरूरी है। मैं इसको मानता हूं कि शिमला में पंजाब के स्केल लागू हैं। लेकिन आज पंजाब सरकार के सभी दफ्तर चंडीगढ़ चले गए हैं और अब वहां पंजाब सरकार के केवल दो सौ के करीब एम्प्लायीज़ शिमला में हैं। इसके अलावा वहां कुछ म्यूनिसिपल कमेटी के भी मुलाज़िम हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने इसी वजह से इस एलाउंस को खत्म कर दिया है कि मुलाज़िमीन शिमला में रहने की इच्छा छोड़ दें। शिमला में हिमाचल का सक्रेटेरिएट है। पंजाब सरकार के केलव दो सौ एम्प्लायीज़ हैं। इसके अलावा कुछ म्यूनिसिपल कमेटी के एम्प्लायीज़ हैं। वे हिमाचल को डिमारेलाइज़ करना चाहते हैं पोलिटिकली ताकि वे लोग शिमला को छोड़ कर दूसरी जगह चले जायें। क्योंकि कम्पेंसेटरी एलाउंस वहां देना शुरू किया गया था, इस की हिस्ट्री को आप देखें। १८९२ से इसको शिमला में लागू किया गया था। १९२० में वहां के डी० सी० जिन का नाम मि० लिंगल था, ने भारत सरकार से खास तौर पर शिमला की अबोहवा को देखते हुए, वहां की सर्दी को देखते हुए, वहां की महंगाई को देखते हुए तथा दूसरे हालात को देखते हुए इस को मंजूर करवाया था। वहां पर बारह महीनों रजाई लेनी पड़ती है, बारहों महीने गर्म कोट पहनना पड़ता है, गर्म कमीज़ पहननी पड़ती है, गर्म पतलून पहननी पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि हर एक चीज़ का खर्चा मेदानी इलाके से वहां दुगुना होता है। वहां पर सर्दी की वजह से कोयला भी अधिक खर्च होता है। आज भी शिमला में हिमाचल के छः हजार एम्प्लायीज़ हैं। इसके अलावा सैंट्रल एम्प्लायीज़ कोई दस हज़ार के करीब हैं। अगर मैं आप के सामने उनकी तनख्वाहों का

मुकाबला करूं तो आपको पता चल जाएगा कि हिमालय के लोगों को कितनी कम तन्ख्वाहें मिलती हैं। जो चपड़ासी हिमाचल का शिमला में काम करता है, उसको ६२ रुपये माहवार मिलते हैं और जो सैंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लायीज़ चपरासी है, उसको वहां पर १०२ रुपये मिलते हैं। हिमाचल के कर्ल्क को वहां पर ११६ रुपये मिलते हैं। और सैंट्रल गवर्नमेंट के क्लर्क को वहां पर १५५ रुपये मिलते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फर्क दोनों की तन्ख्वाहों में है और एक चपड़ासी जो कि ६२ रुपये माहवार पाता है, वह इस में कैसे गुज़ारा कर सकता है। सब से बड़ी बात तो यह है कि वहां पर कोयला अधिक खर्च होता है, गर्म कपड़े अधिक पहनते पड़ते हैं, महंगाई अधिक है, रेल का किराया अधिक है वहां जाने के लिए मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्ट्री इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जरूर इस पर गौर करेगी और कम्पेंसेटरी एलाउंस उनको देगी।

श्री गोरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले माननीय गृह मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और उन को ही बधाई नहीं देता हूं बल्कि इस गृह-मंत्रालय को भी बधाई देता हूं कि जब से इस देश में आज़ादी के बाद गृह-मंत्रालय का काम आरम्भ हुआ तब से यह मंत्रालय बहुत ही योग्य हाथों में रहा है। पहले यह सरदार पटेल के हाथों में था, जिनको लौह पुरुष कहा जाता था, उसके बाद स्वर्गीय पंत जी जो एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, उन के हाथ में यह मंत्रालय रहा। यह सौभाग्य की बात है कि इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय अब शास्त्री जी के हाथों में है। यह खुशी की बात है कि इस मंत्रालय को ऐसे लोगों के सुपुर्द किया जाता रहा है।

इस मंत्रालय का कार्य क्षेत्र बड़ा व्यापक है बल्कि अगर यों कहा जाय कि कुल गवर्नमेंट मशीनरी एक मनुष्य के तौर पर है, जिस के सभी अंग हैं, उस मनुष्य को चलने के लिये जिस तौर से हाथ, पांवों, मुंह, जबान इत्यादि की आवश्यकता होती है, उसी तरह से गवर्नमेंट के भी हाथ, पैर, जबान, मुंह इत्यादि हैं लेकिन सब से जरूरी जो चीज़ मनुष्य के लिये होती है, वह जान होती है, उसी तरह से गवर्नमेंट मशीनरी की जो जान होती है वह गृह-मंत्रालय है। इस वास्ते इस मंत्रालय के कार्य को सफलता से चलाने के लिए वास्तव में यह जरूरी है कि यह मंत्रालय योग्य व्यक्तियों के हाथों में हो।

जैसा मैं ने अभी निवेदन किया है, इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंग भी विशाल हैं। इनके सम्बन्ध में मैं कुछ चीज़ें आप के सामने रखना चाहता हूं। सब से पहले मैं भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस सदन में सभी माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया है। मैं तो इसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आजादी मिलने के बाद जिस तरह से बहुत से डिपार्टमेंट्स खुले हैं और खुल रहे हैं, उसी तरह से भ्रष्टाचार के स्त्रोत भी बढ़ते जा रहे हैं। अब तो वह स्टेज आ गई है कि समस्त राष्ट्र का वायुमंडल इस भ्रष्टाचार से दूषित हो गया है। यह बात केवल मेरी नहीं है। इसी सदन में कई बार माननीय गृह-मंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया है कि जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, उस पर उनका उस हद तक नियंत्रण नहीं हो रहा है जिस हद तक होना चाहिये। इतना ही नहीं हाल में अभी जो ब्लिट्ज़ में गृह-मंत्री जी का वक्तव्य था, निकला है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन से प्रश्न किया गया था प्राइवेट सैक्टर में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, जिसके जबाब में माननीय शास्त्री जी ने अपने सरल और सीधे स्वभाव में, व्याकुल हो कर कहा कि

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

ये सब चोर हैं। इन शब्दों से यह पता चलता है कि उन के हृदय में भी इस भ्रष्टाचार का क्या असर पड़ रहा है ।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, उस के दो एक मूल कारण मैं आप के सामने रखना चाहता हूं । जिलों के अन्दर जो राजनीति चल रही है, जिलों के अन्दर जो शासन चल रहा है, अगर आप उस को देखें तो यह पता चलता है कि जिले का कोई भी अधिकारी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है। वहां पर जो रूलिंग पार्टी है उस के दो दल होते हैं । जैसे ही कोई जिलाधीश या सुपरिन्टेन्डेन्ट जिले में प्रवेश करता है , यह प्रश्न उठता है कि रूलिंग पार्टी के किस सज्जन के असर में वह होगा । नतीजा यह होता है कि उस पर राजनीतिक दलों का इतना जबर्दस्त असर होता है कि अगर वास्तव में कोई अफ़सर ईमानदार होता भी है तो उस के लिये असम्भव हो जाता है कि वह अपने काम को ठीक तौर से कर सके ।

इतना ही नहीं, इस के बाद मुझे यह भी कहना है कि इस संकट काल के समय में जब कि चीन का युद्ध आरम्भ हुआ, हम सोचते थे, हिन्दुस्तान यह सोचता था, राष्ट्र यह सोचता था कि शायद हमारी गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर उसका कोई रिऐक्शन हो और शायद यह चीज कुछ सम्भले । परन्तु मुझे यह कहने में बड़ा दुःख होता है कि संकटकालीन स्थिति का कोई भी रिऐक्शन, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया हमारे शासन के ऊपर नहीं हो रही है । वास्तव में पहले मैं देखता था कि जब कोई मंत्री किसी जिले में जाता था तो वहां पर इस बात का प्रश्न उठता था कि कौन सज्जन रूलिंग पार्टी का उन को दावत दे सकेगा या चाय पिला सकेगा । इस के लिये एक रेस सी होती थी। आज भी सब जगहों पर मंत्रियों के बारे में इस के मुताल्लिक जिक्र होता है कि कहां कहां दावत हो और कहां कहां चाय हो । मैं ने अपने जिले में इसका विरोध किया । मेरे जिले में एक सप्ताह में हमारे उत्तर प्रदेश के दो मंत्री गये और मैं ने इस बात पर विरोध किया कि कम से कम संकटकालीन स्थिति में बहुत बड़ी दावत इन मंत्रियों को शोभा नहीं देती है । परन्तु होता यह है कि जो स्थानीय राजनीतिक पुरुष हैं वे जिले के अधिकारियों को यह दिखलाते हैं कि माननीय मंत्री जी ने हमारे यहां दावत खाई है, और इस तरह से जिले के अधिकारियों के ऊपर, जिले के शासन के ऊपर वे अपना प्रभाव रखते हैं। मैं बहुत अदब से यह निवेदन करूंगा अपने गृह मंत्री जी से कि वे कांग्रेस के वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों में से हैं, मैं चाहता हूं कि कम से कम संकटकालीन स्थिति में मिनिस्टरों के लिये कोई कंडक्ट रूल बनाये जायें और उन को आदेश दिया जाये कि संकटकालीन स्थिति में जो मास फीस्टिंग होती है, जो मास रिज्वायसिंग होती है, उस को वे स्वीकार न करें । मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि अगर मंत्री किसी जिले में जायें तो उन के लिये खाने की व्यवस्था न हो। जहां वे रुकें वहां इसकी व्यवस्था हो सकती है, परन्तु ऐसा करने से यह होगा कि इसका जो खराब असर पड़ रहा है उस पर जरूर अंकुश लगाया जा सकेगा । इतना तो मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ।

अब मैं एक दूसरे विषय पर आता हूं । जहां तक न्याय का सम्बन्ध है हम लोगों को यह आशा थी, देश को यह आशा थी, कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हमें न्याय शीघ्र मिलेगा, न्याय सस्ते दामों में मिलेगा । परन्तु आज राज्य सरकारों में इस बात की रस्साकशी है, एक घुड़ दौड़ सी मची है कोर्ट फीस को बढ़ाने की । आज हालत यह हो गई है कि कोई भी निर्धन न्याय नहीं प्राप्त कर सकता है । आज हमारे न्यायालयों में जितना समय पहले लगा करता

था उससे भी कहीं ज्यादा समय लगता है। मुकदमे एरियर्स में पड़े हुए हैं। आज फौजदारी का का न्याय हो या माल का न्याय हो, साधारण व्यक्ति को कहीं भी न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है। यह एक बहुत गम्भीर विषय हो जाता है। किसी भी प्रजातन्त्र शासन में अगर न्याय सस्ते दामों पर नहीं मिल रहा है, शीघ्रता से नहीं प्राप्त हो रहा है जो जस्टिस डिलेट इस जस्टिस डिनाइड वाली बात हो जाती है। मैं बहुत अदमब से गुजारिश करूंगा कि इस सम्बन्ध में अभी तक हमारी सरकार को कोई कामयाबी नहीं मिली है।

जहां तक समाज के नतिक स्तर का संबंध है, वह रोज ब रोज गिरता जा रहा है। भ्रष्टाचार का यह भी एक मूल कारण है। इस की ओर मेरे संकेत करने क कारण यह है कि आज देश में कोई भी धार्मिक वायुमंडल नहीं रह गया है। आज इस देश का कोई भी मनुष्य पाप का नाम की चीज को जानता भी नहीं है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि ऐसा जान पड़ता है कि यह शब्द ही लुगत से हटा दिया गया है, उस में यह है ही नहीं। इस का एक मात्र कारण यह है कि जनता का नैतिक पतन हो रहा है। आप आज समाज में जायें तो आप को मालूम होगा कि आज हर एक शख्स बड़ी हिम्मत से कहने के लिये तैयार है कि मैं क्यों रिश्वत न लूं? मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। आज से कुछ ही वर्ष पहले, बल्कि मैं तो कहूंगा कि दस या बीस वर्ष पहले, लोग कहते थे कि नहीं मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस लिये कि मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूं। किन्तु आज बिल्कुल उलटी तरह से हो गया है। बाल बच्चों के नाम पर ही आज यह प्रश्न उठता है। जब कोई सरकारी नौकरी करने के लिये जाता है तो सब से पहले उस के घर वालों के और गांव वालों के हृदय में यह प्रश्न उठता है कि उस में नौकरी में वेतन के अतिरिक्त कोई ऊपर की आमदनी भी है या नहीं। जैसा कि मैं कह रहा हूं यह चीज आज वायुमण्डल में प्रविष्ट हो गई है और सारा वायुमंडल दूषित हो रहा है।

यह बड़े दुखः की बात है कि स्वपन्त्रता प्राप्त होने के इतने वर्षों के बाद भी आर्म्स एक्ट लागू किया जा रहा है। आज भी लागू है, उस में संशोधन हुए और फिर संशोधन हुए। परन्तु मैं आप से बतलाऊं कि आर्म्स एक्ट को लागू करने का दुष्परिणाम यह होता है कि लोग आर्म्स के लाइसेंस लेने के लिये पहले राजनीतिक लोगों के पास जाते हैं और बन्दूक का लाइसेंस रिवाल्वर का लाइसेंस, राइफल का लाइसेंस लेने के लिये कहते हैं तो वह राजनीतिक लोग लाइसेंस दिलाने के लिये शेअर मांगते हैं। इस तरह से इस के अन्दर भ्रष्टाचार होता है।

अगर हमारे गृह मंत्री जी कत्ल के आंकड़े लें, तमाम देश के, तो वे इस नतीजे पर पहूंचेंगे कि ९९ प्रतिशत जो मर्डर होते हैं वे कन्ट्रीमेड पिस्टल से होते हैं। होता यह है कि एकतरफ कन्ट्रोमेड पिस्टल बड़ी आसानी से २०, २५ या ४० रु० में बन रही है, कम से कम उत्तर प्रदेश का तो मुझे तजुर्बा है, दूसरी तरफ सरकार लोगों को हथियार नहीं दे रही है। नतीजा यह होता है कि जो वाकई शरीफ तबका है, सभ्य तबका है, वह उन लोगों से परेशान है। वे उन लोंगों के कारण मुसीबत में हैं जिन के पास बिना लाइसेंस के कन्ट्रीमेड पिस्टल हैं। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि जैसा और देशों में है, और राष्ट्रों में है, स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद हमारे यहां भी लाइसेंस हो जाने चाहियें। उस से देश की रक्षा भी हो सकती है और भ्रष्टाचार में भी कमी हो सकती है।

मैं ने आज अपने मित्र श्री महेश दत्त का भाषण सुना। वे मेरे साथ पढ़ते थे और मेरे मित्र हैं। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मेरी समझ में नहीं आई। वे पोलिटिकल साइन्स के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि देश में जो लोग बहुमत में रह रहे हैं, मजारिटी में हैं उन में एक सेक्शनलिज्म

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

की भावना है और वे सेक्शनल बेसिस पर विद्रोह या ऐजिटेशन कर रहे हैं। उन का ऐसा कहना अंग्रेजी और हिन्दी के विषय में था। जहां तक हिन्दी के राज भाषा होने का संबंध है, वह तो हमारे संविधान में स्वीकार की हुई चीज है। जो चीज संविधान में स्वीकृत हो चुकी है और जिस को दृशवासियों में से एक बहुत बड़ा बहुमत मानता है, उस के लिये आज एक दूसरा बिल ला कर इंग्लिश को एसोशिएट लैंग्वेज करने की बात सोची जा रही है। मैं कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह बिल बाद में आ रहा है।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : जी हां, वह आ रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूं। . मैं यहां पर साफ कह देना चाहता हूं कि जब तक अंग्रेजी किसी भी रूप में रहेगी यहां पर, अगर ऐसोशिएट लैंग्वेज के रूप में भी रहेगी, तो हिन्दी को कभी कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। और हिन्दी कभी इस काबिल नहीं बन सकती कि वह आफिशल लैंग्वेज के तरीके पर उपियोग में लाई जा सके यहां पर अंग्रेजी जबान की बात नहीं है। परन्तु अंग्रेजी जबान के साथ साथ जो, अंग्रेजियत यहां के लोगों में आ गई है, जो कि अंग्रेजों की देन है, उन के जाने के बाद वह इस कदर व्याप्त हो गई है जिस का ठिकाना नहीं है।

मैं तो यह देखता हूं कि चाहे फर्स्ट क्लास में आप सफर करें अथवा किसी होटल व रस्टोरेन्ट में बठें, दो सज्जन अगर एक ही प्रदेश के भी हैं तो भी वे आपस में अंग्रेजी में ही बातचीत करेंगे अगर कोई हिन्दी में बातचीत करता है तो यह समझा जाता है कि शायद यह सभ्यता में पीछे है यह बकवर्ड है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त होगया है।

श्री गौरीशंकर कक्कड़ : मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अभी मैंने यह सुना कि हमारे मित्र श्री शिव नारायण ने एक बात कही। उन्होंने शास्त्री जी को संकेत करते यह कहा कि वह अगर स्वर्ग जायेंगे तो मैं उन के साथ स्वर्ग भी जाऊंगा। उनकी यह बात सुन कर मुझे एक बात याद आ गई। इसी दिल्ली शहर की बात है महात्मा जी के निधन के कुछ मास बाद कुछ विद्यार्थियों ने एक एकांकी ड्रामा खेला। उसमें यह दिखाया कि गांधी जी का निभन होगया है। स्वर्ग से विमान उनको वहां ले जाने के लिए आता है। उन से यह कहा गया कि आप इस में सवार होकर स्वर्ग को चलें। आप ने तो इस कलियुग के युग में वह वह चीजें निभाई हैं जिन्हें कि सतयुग में भी नहीं निभाया गया है। इस पर गांधी जी ने जवाब दिया कि मैं स्वर्ग अकेला नहीं जाऊंगा। स्वर्ग तो मैं तभी जाऊंगा जब मेरे जितने साथी रहे हैं वे सत भी स्वर्ग जांय। इस को लेकर एक काफी वादविवाद बढ़ा। श्रीमन, यह भी देखा गया कि इसके बाद जो पराडाइज़ के गौड थे, स्वर्ग के परमेश्वर थे, उन को आना पड़ा। उन्होंने भी प्रार्थना की लेकिन गांधी जी तैयार नहीं हो रहे थे। तब अन्त में उन्होंने गांधी जी को यह विश्वास दिलाया कि मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं और गौड आफ पैराडाइस के तौर पर यह वचन देता हूं कि स्वर्ग में आप को आनन्द मिलेगा वह तमाम आनन्द आप के साथियों को यहीं इसी भूलोक में मिलेगा। इसलिये आज यह जो स्वर्ग की बात आई तो उस पर मुझे यह चीज बरबस याद आ गई।

यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टरीज और आफिसेज के करीब ३५०० असिस्टैंट्स ऐसे हैं जिनकी कि १५–१६ साल की सर्विस है परन्तु उन को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। मैं उस ओर गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि कम से कम प्रमोशन के लिए कोई कोटा ऐसा

जरूर होना चाहिये जिससे रैंक और फाइल के लोगों को भी प्रमोशन मिल सके और अगर ऐसी कुछ व्यवस्था की जाती है तो यह न्यायसंगत होगा ।

मैं अपने स्थान पर बठते हुए अन्त में सिर्फ यही कहूंगा कि जहां तक कैप्टिल पनिशमेंट को हटाने का संबंध है उसके बारे में एक गैर सरकारी प्रस्ताव सदन में आया था लेकिन वह प्रस्ताव अस्वीकृत होगया । मैं पुनः गृह मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कहुंगा कि इस के बारे में पुनर्विचार करें कि आज के युग में यह कैप्टिल पनिशमेंट कहां तक जाय व न्यायसंगत है ? वे इसको हटाने के बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचें ।

†**श्री सुबोध हंसदा** (झाड़ग्रम) : देखा गया है कि प्रशासनिक सतर्कता विभाग में अंशकालीन पदाधिकारियों की संख्या पूरे समय के स्थाई पदाधिकारियों से अधिक है । मैं नहीं कह सकता कि अल्प-कालीन पदाधिकारी इस संगठन में कसे नियुक्त किये गये । मुझे मालूम हुआ है कि सब मंत्रालयों और विभागों में सतर्कता विभाग है, जिन में इन विभाग से प्रतिनियुक्ति किये गये व्यक्ति होते हैं । जहां तक रेलवे का संबंध है, सतर्कता और जांच अधिकारी रेलवे से इस विभाग में काम करने के लिये प्रतिनियुक्त किये जाते हैं, जो अपनी अवधि समाप्त करने के बाद फिर अपने मूल विभाग में वापस भेज दिये जाते हैं । मेरे विचार में भरती की इस नीति से वे कार्यक्षमता से काम नहीं कर सकते ।

दूसरी बात यह है कि अच्छे काम का कोई इनाम नहीं मिलता । दक्षिण पूर्वी रेलवे में बहुत से पदाधिकारी और इंजीनियर ऐसे हैं जिन्हों ने कुछ धोखेबाजियां और अनियमितताएं पकड़ी थीं, परन्तु चूंकि संबंधित व्यक्ति उन के वरिष्ठ पदाधिकारी थे, इस लिए उन्हें शिकार बनाया गया । यदि सतर्कता विभाग ने अच्छी तरह काम करना है, तो पदाधिकारियों को उसी विभाग से प्रतिनियुक्ति नहीं की जानी चाहिये । उन्हें अन्य विभागों से लिया जाना चाहिये ।

पिछड़े हुए वर्गों के बारे में जिनके कल्याण का संवैधानिक उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है मैं ने देखा है कि निर्धारित राशि का ५० प्रतिशत भी खर्च नहीं किया गया । इस ५० प्रतिशत में से, लाभ गर-आदिमजाति लोगों को मिले हैं । जब गृह मंत्रालय प्रत्येक खण्ड पर १५ लाख रुपये खर्च करता है, तो इन को सामुदायिक विकास मंत्रालय के अधीन रखने का औचित्य नहीं है । इन्हें गृहकार्य मंत्रालय को अपने हाथ में ले लेना चाहिये ।

सारे देश के लिए अनुसूचित आदिमजातियों की समेकित सूची अभी तयार नहीं की गई । मुझे मालूम नहीं है कि अनुसूचित आदिम जातियों की कसे स्वीकार किया जाता है । मैं चहाता हूं कि ऐसी एक सूची तयार की जाये और उन्हें संविधान में गारन्टी की गई सभी सुविधाएं दी जायें ;

श्रेणी ३ और श्रेणी ४ की सेवाओं में भरती करते समय अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के हितों की सुरक्षा करनी चाहिये । देखा गया है कि नीति स्तर पर तो बात ठीक रहती है, किन्तु क्रियान्वित करने वाले प्राधिकारी उन्हें सेवाओं में नहीं आने देते क्योंकि इन की रहती संख्या दिन प्रति दिन कम होती जा रही है ।

अन्त में मैं बजट में कटौती के बारे में यह कहना चाहता हूं कि मेरे राज्य में लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है, जिसका यह अभिप्राय है कि आप

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुबोध हंसदा]

नहीं चाहते कि हमारे बालक बालिकाओं का विकास हो। बजट में ४३ लाख रुपये की यह कटौती नहीं होनी चाहिये।

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : सब से पहले में मंत्रालय के प्रति व्यक्त की गई सद्भावना पूर्ण भावनाओं के लिए आभार करती हूं क्योंकि इन से न केवल हमें बल्कि मंत्रालय के नित्य प्रति के काम में हमारी सहायता करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलता है।

आज के वाद विवाद में मंत्रालय के बारे में कुछ बातें उठाये गई हैं हमें पहले यह कहना चाहती हूं कि पिछले वर्गों सम्बन्धी कार्य में गत वर्ष प्रगति हुई है। केन्द्र और राज्य सरकारों ने उनको आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा है। राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में डेबर आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया गया था और वहां की गई सिफारिशें सितम्बर सत्र में सभा पटल पर रखी गई थी। उन पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किया जायगा।

गत वर्षों की अपेक्षा १९६२–६३ में पिछड़े वर्गों सम्बन्धी कार्य में बहुत प्रगति हुई है। लगभग १२९५ लाख रुपये की व्यवस्था में से राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष के अन्त में लगभग १२९१ लाख रुपया अर्थात् ८७ प्रतिशत उपबन्ध का व्यय करेंगे। आलोचना की जाती है कि हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में अधिक काम नहीं किया किन्तु कोई भी यह अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस सम्बन्ध में सुधार हुआ है यद्यपि वह सुधार हमारी आशा के अनुरुप तेजी से नहीं हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की प्रतिशतता बहुत ही कम थी। हम भी अनेक सदस्यों की तरह इस के लिए चिंतित हैं कि सेवाओं में अधिकतम पद अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए रक्षित किये जायें। हम जानते हैं कि सेवाओं में सिवाय श्रेणी ४ के सभी पदों के लिये उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है। केन्द्र और राज्यों द्वारा आरम्भ किये गये शिक्षा कार्यक्रमों से जिनमें इन जातियों को सुविधाएं दी गई हैं अच्छे परिणाम प्राप्त होने की आशा है। १९४४–४५ में इस योजना से लाभ उठाने वालों की संख्या १४४ थी, १९६१–६२ में ४७,९६५ है। १९४८–४९ से १९६२–६३ के बीच कालेजों में इन जातियों के छात्रों की संख्या ८४ से बढ़ कर ८७२४ हो गई है। १९४८–४९ से पूर्व कोई छात्र नहीं था।

१९५४–५५ में पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक के बाद की शिक्षा सम्बन्धी छात्रवृत्तियों के लिये ४७,९८७ रुपये निर्धारित थे, १९६१–६२ में ३१० लाख रुपये निर्धारित थे और १९६२–६३ में ३६३ लाख रुपये खर्च होने की आशा है जब कि अन्य पिछड़े वर्गों पर लगभग ७८ लाख रुपय और खर्च किये गये हैं। इस शिक्षा कार्यक्रम के साथ हम सेवाओं में इन जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ायेंगे। अधिकांश नौकरियां प्रविधिक क्षेत्र में होती हैं अतः शिल्प प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों से इन जातियों को हम अधिकतम लाभ पहुंचाना चाहते हैं। हम जांच कर रहे हैं कि सरकारी उद्योग क्षेत्र और स्थानीय निकायों में उनके लिये अधिकतम पद रक्षित किये जायें। इस प्रकार इन जातियों का सेवाओं में प्रतिनिधित्व निरंतर शनै शनै बढ़ रहा है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि श्रेणी ४ की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। मैं इस से सहमत नहीं। १–१–१९६२ को श्रेणी ४ में इन जातियों का १७.३६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व था जिसमें २,००० मन्त्रियों की गणना नहीं की गई। श्रेणी ३ और २ में केवल ७.७६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। १९५७ में इन की संख्या

---

†मूल अंग्रेजी में

४५१८१ थी जो १९६२ में ७०८५४ हो गई है। यद्यपि इस वृद्धि से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसी अवधि में श्रेणी १ और २ में क्रमशः २९० से ८३२ और ४४ से ८५ तक वृद्धि हुई है।

अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार अधिक सफल नहीं रहे किन्तु विभिन्न स्तरों पर सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व निरंतर बढ़ा है। १९६१ में आई० ए० एस० में अनुसूचित जातियों के २२ और अनुसूचित आदिम जातियों के ४ उम्मीदवार आये और आई० पी० एस० में क्रमशः १० और ५ उम्मीदवार आये और केन्द्रीय सेवाओं में क्रमशः २९ और ५ उम्मीदवार आये। हाल ही में प्रकाशित १९६२ के परिणामों में १०५ उम्मीदवारों में से क्रमशः १५ और ४ उम्मीदवार आये जिससे उनका १२ $^{1}/_{2}$ और ५ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत का अभ्यंश पूरा हो गया है। इसमें हम सफल रहे हैं। श्री सिद्धय्या ने इलाहाबाद और बंगलौर के परीक्षापूर्व के केन्द्रों का उल्लेख किया था। बंगलौर का केन्द्र हाल में ही चालू किया गया था। इन केन्द्रों की स्थायी वित्तव्यवस्था केन्द्र करता है। कुछ सदस्यों ने और केन्द्र खोलने के बारे में कहा है। हम और केन्द्र खोलने के बारे में तब विचार करेंगे जब पूर्वोक्त केन्द्रों का पूरा इस्तेमाल होने लगेगा और हम और केन्द्रों की आवश्यकता अनुभव करेंगे।

शिक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में इन जातियों की कठिनाइयों को दूर कर दिया जायगा। तीसरी योजना में इन जातियों के हर छात्र छात्रा को मैट्रिक उपरांत की छात्रवृत्तियां दी जायेंगी। विधि के अभाव के कारण किसी को इस से वंचित नहीं किया जायेगा। छूट की सीमा बहुत ऊंची निर्धारित की गई है। जो जीविका सम्बन्धी परीक्षा के अनुसार ३०० रुपये प्रतिमास से कम आय के परिवार को छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, ३०० से ५०० रुपये प्रतिमास की आय के लिए आंशिकलाभ लिये जायेंगे और केवल ५०० रुपये प्रति मास की आय वाले परिवार को छात्रवृत्ति नहीं दी जायगी। इन छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये प्रक्रिया में यह सुधार किया गया है कि उन्हें अब राजस्व विभाग से आय सम्बन्धी प्रमाणपत्र नहीं देना पड़ता। छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र के लिये बिना लम्बी औपचारिकता के हर साल छात्रवृत्ति नई कर दी जाती है। इस प्रकार उन्हें कठिनाई नहीं होगी।

चिकित्सा कालिजों और इंजीनियरिंग कालिजों में दाखले की सुविधा के लिये वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में उनके लिये २० प्रतिशत जगहें रक्षित रखी जाती हैं।

यह कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां तैयार करने में बिलम्ब हो रहा है। इस सम्बन्ध में हम देश भर में एक ही कसौटी को मानते हैं और राज्य सरकारों की सिफारिशें मिल गई हैं? यदि कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों से मिलाया जा रहा है तो उसके लिये उपयुक्त कारण है। यदि उपयुक्त कारण न दिये जायें तो हम राज्य सरकारों को लिखते हैं कि वे स्थिति की जांच करें। हमने उनके उत्तर के लिये ३१ मार्च, की तिथि निश्चित कर दी है। काफी उत्तर मिल गये हैं और हम शीघ्र अन्तिम निर्णय करेंगे।

डा० देशमुख ने कहा था कि अन्य पिछड़ी जातियों के लिये हमें आर्थिक कसौटी को अपनाना चाहिये। वास्तव में १९६१ में राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्बन्ध में आर्थिक कसौटी का ही निर्णय किया गया था और उन के १९६१ के सम्मेलन में भी इसी कसौटी को अपनाया गया था। इन जातियों के लिये केवल मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति की योजना के लिये केन्द्र धन देता है और उसके लिये १९६३–६४ के लिये आर्थिक कसौटी ही रखी गई है।

[श्रीमती चन्द्रशेखर]

इस की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि खाना-बदोश और अर्द्ध-खाना-बदोश लोगों को इन में गिना जा रहा है। आर्थिक कसौटी के वर्ग लिये इस प्रकार हैं, अर्थात् १००० रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले और १५०० से अधिक किन्तु २००० रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाला वर्ग। चिकित्सा इंजीनियरिंग कृषि और पशु चिकित्सा की शिक्षा में ऊपरी सीमा २४०० रुपये प्रतिवर्ष तक है। पहले वर्ग के लोगों को पहले छात्रवृत्तियां दी जाएंगी और फिर शेष रकम में से दूसरे वर्ग को छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। इस समय जिन लोगों को जातियों के आधार पर पिछड़ी जातियां घोषित किया गया उन्हें छात्रवृत्तियां दी जाती रहेंगी और उन्हें हानि नहीं होगी और जब तक वे डिपलोमा या डिग्री प्राप्त करें उनकी छात्रवृत्तियां नई की जाती रहेंगी। शेष लगभग ३३ $^1/_3$ प्रतिशत छात्रवृत्तियां खानाबदोशों को दी जायेंगी।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

यही कसौटी राज्यों में अपनाई जाती है। महाराष्ट्र गुजरात इसी पद्धति पर काम करते हैं और मैसूर ने इसे हाल ही में अपना लिया है अन्य पिछड़ी जातियों को वित्तीय लाभ देने की जिन योजनाओं में सारी वित्त व्यवस्था का आंशिक वित्त व्यवस्था राज्य सरकारें करती हैं उनमें इसी कसौटी को अपनाया जाता है।

जिन बातों का उत्तर मैंने नहीं दिया उन पर भी विचार किया जायगा और ढेबर आयोग के प्रतिवेदन और अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा की जायगी। तब इस विषय पर चर्चा का अच्छा अवसर होगा और विस्तार पूर्वक उत्तर दिया जायगा।

श्री ह० च० सौय (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, अभी अभी मंत्री जी ने अपने जवाब में बतलाया कि सरकार किस तरह से कोशिश कर रही है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिये। मैं देखता यह हूं कि पिछले सोलह वर्षों से हर साल शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट हमारे देश के सामने पेश होती है। हर रिपोर्ट में मैं यह विशेषता देखता हूं कि कमिश्नर अपनी रिपोर्ट में वेलफेअर के काम में जो गलतियां होती हैं, जो नाकामयाबी होती है, उन की एक लम्बी फेहरिस्त देते हैं। उन की एक और विशेषता यह है कि उन की हिम्मत टूटती नहीं है और वे हर साल यही कह दिया करते हैं।

ढेबर कमिशन की आखिरी रिपोर्ट हमारे सामने है जिस के लिये मंत्री जी ने कहा कि उस पर विशेष बहस इस हाउस में होगी। जैसा अभी कहा गया, ढेबर कमिशन की रिपोर्ट पर स्टेट्स की और केन्द्र के मिनिस्टर्स की एक कांफ्रेंस हुई और उस में यह तय किया गया कि इस रिपोर्ट की कितनी बातों को सरकार लागू करेगी। इस पहलू से भी जब हम देखते हैं तो यह पता नहीं चलता है कि कितनी दूर तक वह रिकमेंडेशन्स लागू हुई हैं। उदाहरण के लिये मैं कहूं कि वेलफेअर के सम्बन्ध में सेपरेट बजेट बनाया जायेगा यह ढेबर कमिशन की बहुत इम्पार्टेंट रिकमेन्डेशन थी, जो कि स्टेट मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस में मान ली गई थी। मैं जानना चाहूंगा कि कितनी दूर तक उस को स्टेट लेवेल पर और सेंट्रल लेवेल पर लागू किया गया।

इसी तरह से एक दूसरी रिकमेन्डेशन भी है जो कि मान ली गई थी और जिस के बारे में अक्सर हाउस में हम कहा करते हैं, और वह यह कि आज जो इतना अधिक औद्योगीकरण हमारे देश में हो रहा है उस में जो आदमी डिस्पलेस होते हैं उन का पुनर्वास उसी औद्योगिक क्षेत्र में किया जाय और उस का सारा खर्च उसी प्रोजेक्ट के खर्च में शामिल हो। उन को ट्रेनिंग

भी दी जाय, यह भी एक महत्वपूर्ण रिकमेन्डेशन थी जिस को मान लिया गया था। मैं जानना चाहूंगा कि जो नये प्रोजेक्ट्स हैं उन में नये साल में कितनी दूर तक इस रिकमेन्डेशन को लागू किया जा रहा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, स्वर्गीय पंत जी थे, अब हमारे शास्त्री जी हैं, यह सभी लोग पिछड़े वर्गों के बारे में विशेष रूप से हमदर्द हैं, इतना ही नहीं, सब से बड़ी बात यह है कि बापू जी और श्री ठक्कर बापा जैसे लोगों की, और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन में पालियामेंट के मेम्बर भी हैं, सब की विशेष हमदर्दी है। वे चिन्तित रहते हैं कि सारे देश में इतनी बड़ी संख्या में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन को कैसे उठाया जाय, वे चाहते हैं कि कम से कम समय में उन का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा कर दिया जाय और इस के लिये जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाय लेकिन अफसोस की बात है कि इन सारी बातों के बावजूद, उन की सारी सहृदयता और हमदर्दी के बावजूद हम देखते हैं कि ढेबर कमिशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल की जो कमिशनर की रिपोर्ट है उस में इस बात का जिक्र होता है कि वेलफेअर के बजट से इतना रुपया सरेन्डर हो रहा है। इस को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, मगर हर साल बहुत मोटी रकम लौटाई जाती है।

हमारे संविधान में संरक्षण के कुछ प्राविजन्स हैं, उन की जमीन के संरक्षण के बारे में और जो उन के जंगल हैं उन के संरक्षण के बारे में। लेकिन उन के बावजूद हम देखते हैं कि जो उन की अपनी जमीनें हैं वे उन के हाथों से चली जा रही हैं जमीदारों के हाथों में और उन्हीं की तरह के दूसरे लोगों के हाथों में, जब कि उन के पास जाना नहीं चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह विशेष कर आदिवासियों का जिनका कि हमेशा एक जमीन और जंगल का शोर रहा है, हमारे देश में आजादी मिलने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की यह पालिसी थी कि उनके जीवन में और उन के रहन सहन के ढंग में कम से कम हम हेरफेर करें। यह एक पालिसी उस समय की गवर्नमेंट की थी। आजाद होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गऔर देश के नेताओं ने यह सोचा कि प्रोग्रैसिव तरीके से धीरे धीरे करके इन आदिवासियों और दूसरे लोगों के बीच में एक इंटैग्रेशन हो। इस नीति को अपनाया गया और इस नीति को सामने रख कर सारी वेलफेयर की स्कीमें की गई। इस के मुताबिक हमारा संविधान भी बना और जितने भी अन्य सारे काम हो रहे हैं वह इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर हो रहे हैं। निश्चय ही यह बहुत अच्छा कदम है। मगर हमें देखना यह है कि इस दृष्टिकोण को रख कर कितनी दूर हम सफल हुए हैं? यह कोई मेरा खाली अपना ही विचार नहीं है, जैसा कि मैं ने अभी कहा कि हर साल शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो रिपोर्ट आती है उस से पता लगता रहता है कि हम कितनी दूर तक वाकई सफल हुए हैं। ढेबर कमिशन की रिपोर्ट बतला रही है कि दरअसल कितनी दूर तक हम सफल हुए हैं। सफलता की बात तो छोड़ दीजिये हम बेहद नाकामयाब रहे हैं। जहां हम लोग और यह सरकार कहती है कि हम अछूतों को अलग नहीं रखना चाहते उन का प्रोग्रैसिव इंटैग्रेशन हम करें, तो मेरा सरकार से कहना है कि उस पालिसी में अभी तक हम बहुत हद तक नाकामयाब रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि संविधान के मुताबिक दस साल बाद जो यह ढेबर कमिशन बैठा और उसने अपनी रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट में जो वास्तविकता रक्खी गई है और अब तक अपनी पिछली असफलताओं को ध्यान में रख कर हम उसके लिये क्या नई पालिसी चला रहे हैं? मेरा अपना खयाल यह है कि स्कालरशिप, रिजरवेशन और ग्रेनगोला आदि चीजों की व्यवस्था करके ही हमें अपने कर्तव्य की इतिश्री मान कर संतोष नहीं कर लेना चाहिये। उदाहरण के लिये मैं कहूं कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल और मध्य प्रदेश जोकि एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनता जा रहा है वहां आदिवासी काफी संख्या में आबाद हैं और इसलिये क्या सिर्फ स्कालरशिप्स और ग्रेनगोला दे कर ही हम उनकी सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं? इस औद्योगिक

[श्री ह० च० सोय]

विकास और विस्तार की बैकग्राउन्ड को अपने ध्यान में रख कर हमें अपने सारे कामों को करना पड़ेगा। इस लिये सिर्फ यही सोच कर संतोष नहीं कर लेना होगा कि हमने उनको इतने स्कालरशिप दे दिये। आप को यह नहीं भूलना होगा कि हजारों की संख्या में गरीब हरिजन और आदिवासी लोग जोकि अपने जंगल और जमीन पर आश्रित हैं, उन से हटा कर उनको बेजमीन और बेसहारा बनाया जा रहा है। एक औद्योगिक क्षेत्र से दूसरे औद्योगिक क्षेत्र में सूखे पत्ते के समान इधर से उधर भटकते फिर रहे हैं और बेजमीन और बेसहारा जो यह भटक रहे हैं तो उनके आवास और भरण पोषण की समुचित व्यवस्था न करके हम कितना अन्याय उन लोगों के साथ कर रहे हैं ?

देश के औद्योगिक विकास के लिये इन की जमीन हम लेते हैं और लेनी भी चाहिये मगर इसके साथ ही हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि सिर्फ जमीन के ऐवज में उन्हें कुछ पैसा देकर ही हम अपनी ड्यूटी खत्म न समझ लें। डी० वी० सी० और हटिया के बारे में रिपोर्ट में हिसाब लगा कर बताया गया है कि १४००० आदिवासी फैम्लीज को वहां से अर्थात् उनकी जमीनों से हटा दिया गया है। गवर्नमेंट १४००० बेजमीन और बेघर लोगों में से केवल ३००० को ही बसा सकी है। खाली जमीन का मुआवजा देकर छोड़ देना तो काफी नहीं है और सरकार का इसी से कर्त्तव्य तो पूरा नहीं हो जाता है। करीब ११००० फैम्लीज को बेजमीन बना कर छोड़ दिया गया है। अब वे कहां रहते हैं और किस तरह अपनी रोजी कमाते हैं, इस का कोई हिसाब नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते सिर्फ कुछ पैसा देकर ही अपनी डयूटी खत्म हुई समझ लेना इन आदिवासियों के साथ अन्याय करना होगा। हमें अपनी इस कल्याणकारी राज्य बनाने की पालिसी पर गर्व अनुभव होता है और यह निश्चय ही बहुत ऊंची पालिसी है लेकिन जब हम हजारों लोगों को इस तरह बेजमीन और बेसहारा इधर से उधर भटकते हुए देखते हैं तो हमारा सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। यह उनके साथ बड़ी बेइंसाफी है। मेरा इस सम्बन्ध में सरकार से आग्रह होगा कि इस औद्योगिककरण की बैकग्राउंड में उनके लिये जितनी भी हमारी वेलफेयर की स्कीमें हैं उनको हमें रिवाइज करना होगा। हर एक औद्योगिक क्षेत्र में हर एक प्रोजैक्ट में ऐसे डाइरैक्टोरेट हों जहां कि सिर्फ ट्रेनिंग देने की ही बात न सोची जाय बल्कि उस औद्योगिक क्षेत्र में इस बात की व्यवस्था की जाये कि उनको रोजी कमाने के नये नये धंधे और काम मिल सकें। उनको इस बारे में डाइरैक्शन और गाइडिएंस मिलनी चाहिये कि वे कौन कौन से नये धंधे और रोजगार के साधन अपनायें।

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि ब्लाक्स का और वेलफेयर का जो रुपया रक्खा जाता है वह काफ़ी सरंडर हो जाता है। उन पर खर्च नहीं होता है। मैं भी इस बात को मानता हूं और यह सही है कि वेलफेयर के लिए जितना रुपया रक्खा होता है उसका पचास प्रतिशतः से अधिक बगैर खर्च किये सरंडर हो जाता है। ढेबर कमिशन की रिपोर्ट में भी इसी चीज़ को कहा गया है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि इन लोगों के बीच में जो सरकारी अधिकारी काम करने के लिए भेजे जाते हैं वे इधर अधिक ध्यान नहीं देते हैं और ठीक से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। यह हम लोग जो कि पालियामेंट के मेम्बर्स हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं वे इस बात को अपने ज़ाती अनुभव के आधार पर जानते हैं कि रुपये का प्राविजन तो कर दिया जाता है और वेलफेयर की स्कीमें भी बन जाती हैं लेकिन जिन सरकारी अधिकारियों पर उनको अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी होती है वे इसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं और इसके साथ ही साथ जो एक विशेष ट्रेनिंग इसके लिए उन्हें होनी चाहिए वह उन्हें मिली नहीं होती है।

यह बड़ी खुशी की बात है और जैसा कि इस रिपोर्ट में इकट्ठा किया गया है इस तरह का एक ट्रेनिंग सैंटर खोला गया है जिसमें इस बात की कोशिश की जा रही है ताकि ब्लाक्स में हरिजन और आदिवासियों के बीच में जो सरकारी अफ़सर काम करते हैं उनको उन कामों के सम्बन्ध में विशेष ट्रेनिंग प्राप्त हो सके। लेकिन मैं समझता हूं वह अपर्याप्त है और ऐसे ट्रेनिंग सैंटर्स और अधिक खुलने चाहिएं ।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा इनको यह विशेष ट्रेनिंग न होने के कारण यह अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर पाते हैं और उसमें फेल होते हैं । इनकी मनोवृत्ति, तौर तरीके और रस्मो रिवाज न जानने की वजह से आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ऐडमिनिस्ट्रेशन इनको समझने में और उनकी समस्याओं को सफलतापूर्वक हल कर पाने में फेल हुआ है । खुद मेरे अपने राज्य में इन लोगों को न समझा सकने की वजह से इन लोगों के बीच में काफ़ी फायरिंग हुई, गोली कांड हुआ । मेरे अपने जिले सिंहभूम में बड़ी फायरिंग हुई । आदिवासियों को और उनके रहन सहन व समस्याओं को ठीक से न समझ पाने के कारण नागालैंड जैसी जगह में हमें काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी । शुरू में हमने सोचा कि पुलिस व मिलीटरी के बलबूते पर हम उन्हें ठीक कर लेंगे लेकिन अनुभव ने हमें बतलाया कि हम उसमें नाकामयाब रहे । यह बड़ी अच्छी बात है कि अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को सद्बुद्धि आई है और उन्हें एक अलग स्टेट दे दी गई है ।

हम लोग अपने राज्य में देखते हैं कि राज्य सरकार चाहती है कि आदिवासियों के बीच में वेलफेयर के व अन्य कुछ अच्छे काम किये जायें मगर उनके ऐसा चाहने के बावजूद खुद यह आपस में लड़ते हैं, पार्टीबंदी इतनी ज्यादा होती है कि वे कुछ नहीं कर पाते हैं । पार्टीबंदी और आपस में इतना झगड़ा चलता है कि हम लोगों के चाहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी में हम लोग नहीं रह सकते। हर दफ़े यह रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी इस के लिए चिंतत रहती थी कि आखिर यह छोटा नागपुर के लोग नाराज क्यों हैं ? कभी वहां पर ढेबर भाई को भेजा गया और कभी इंदिरा जी को भेजा गया । लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इस बात को वे नहीं समझ सके कि ये लोग क्यों नाराज़ हैं । उसी तरह की स्थिति बस्तर में उत्पन्न हुई। वहां की राज्य सरकार ने बस्तर के आदिवासियों की समस्याओं और दृष्टिकोण को सहानुभूति से देखने की कोशिश नहीं की, जिस के परिणामस्वरूप वहां पर भी फायरिंग करनी पड़ी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में हम लोगों को एक नये दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा कि हम उन लोगों के साथ हकीकत में हमदर्दी करें और उन के सवालात और उन की समस्याओं को ठीक तरह से समझें।

हम लोग समझते हैं कि कई मानों में आदिवासियों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है । आज हमारे देश में कम्पलसरी एजूकेशन लागू करने पर विचार किया जा रहा है । जहां माइनारिटीज़ के विषय में एक थ्रीलैंग्वेज फ़ार्मूला बनाया गया है, वहां हम देखते हैं कि बिहार जैसे राज्य में जहां तीस चालीस लाख आदिवासी हैं, हिन्दी भाषा को हमारी मातृ-भाषा करार दिया जाता है । संथाल, मुंडा और हो आदि हमारी अपनी भाषायें हैं, लेकिन वहां पर प्राइमरी स्टेज में भी हमारे बच्चों पर हिन्दी थोपी जाती है । वही हाल उड़ीसा में है । इसलिए मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जहां तक प्राइमरी स्टेज में कम्पलसरी एडूकेशन का सवाल है, वह इस सम्बन्ध में एडूकेशन मिनिस्ट्री और राज्य सरकारों से बातचीत करें और ऐसी व्यवस्था करें कि हमारी भाषाओं का विकास हो । यह बात ज़रूर है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी हम लोग पढ़ेंगे और राज्य की भाषा, बंगला या उड़िया, भी हम जरूर पढ़ेंगे

[श्री ह० च० सौय]

और पढ़ते हैं । लेकिन हमारी मातृभाषा से जो इन्कार किया जाता है, यह एक ऐसी बात है, जो कि आदिवासियों के दिल में बड़े दुख का विषय है ।

मैं इशारा करना चाहता हूं कि सोवियट रशा में कुछ ऐसी छोटी छोटी नैशनैलिटीज़ हैं, जिन में बीस तीस हज़ार लोग हैं । पहले उन लोगों की भाषा ही नहीं थी, उन की कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी । जब सोवियट यूनियन बना, तो ऐसा इन्तज़ाम किया गया कि उन की स्क्रिप्ट और भाषा का विकास किया गया । जब वे लोग अपनी माइनारिटीज़ के बारे में यह व्यवस्था कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, जब कि हमारे यहां आदिवासी लोग काफ़ी संख्या में हैं, संथाल पापुलेशन, कम्पेक्ट पापुलेशन, पचास लाख से अधिक है, मुंडा पापुलेशन तीस लाख से अधिक है और एक ही जगह पर काफ़ी लोग एकत्रित हैं । इस लिए भाषा के सम्बन्ध में उन लोगों के साथ अवश्य न्याय किया जाना चाहिए ।

अन्त में मैं माननीय सदस्य, श्री सुबोध हंसदा, की इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर एक ही ट्राइब के लोग किसी दूसरी जगह पर चले जायें, तो भी उन को आदिवासी माना जाना चाहिए । आज-कल स्थिति यह है कि अगर एक ही ट्राइब के लोग दूसरी जगह जाते हैं, तो उन को आदिवासी नहीं माना जाता है । उदाहरण के लिए अगर छोटा नागपुर से कोई आदिवासी आसाम जाते हैं, तो उनको आदिवासी नहीं समझा जाता है । इस सम्बन्ध में उन के साथ अवश्य ही न्याय होना चाहिए । ऐसे लोगों को आदिवासी समझना चाहिए और उन को सारी फ़ैसिलिटी देनी चाहिये ।

मुझे आशा है कि गृह मंत्री महोदय इन बातों पर ध्यान देंगे और हम लोगों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपना कर आवश्यक कदम उठाने की व्यवस्था करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री च० का० भट्टाचार्य । जो सदस्य उपस्थित नहीं उन्हें दोबारा अवसर नहीं दिया जायेगा और जो सदस्य बोलना चाहते हैं उन सब को इस समय अवसर दिया जायगा यदि सदस्य देर तक बैठने के लिए तैयार हों ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रामगंज) : भारत के नक्शे में मुझे दो स्थल बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं । वे हैं उत्तर काश्मीर जो पाकिस्तान और चीन से घिरा हुआ है और पूर्व में असम, त्रिपुरा और मनीपुर जो पाकिस्तान से घिरा हुआ है । ये क्षेत्र भारत में बहुत छोटे भाग द्वारा जुड़े हुए हैं। पूर्व के क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषायें बोलने वाले लोग हैं और आवश्यकता यह थी कि वहां ऐसा उदार प्रशासन होता जो राष्ट्रीय एकता पैदा करने में सहायक होता । ऐसा नहीं हुआ और वहां विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी अपनी भाषा आदि के सम्बन्ध में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं । त्रिपुरा और मनीपुर में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के प्रतिकूल विधान मण्डल की स्थापना की जा रही है ।

मंत्री महोदय का कथन है कि असम में २.५ या ३ लाख पाकिस्तानी घुस आये हैं जब कि असम के भूतपूर्व मंत्री श्री देवेश्वर शर्मा का कथन है कि वहां घुस आने वाले पाकिस्तानियों की संख्या ७.५ लाख है । ये आंकड़े विश्वसनीय हैं ।

इन क्षेत्रों की समस्याएं और आवश्यकताएं भिन्न प्रकार की हैं अतः उन्हें प्रतिवेदन में अलग वर्णित करना चाहिये था ।

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर बंगाल के मेरे क्षेत्र में असुरक्षा इतनी अधिक है कि लोग रात को सो भी नहीं सकते। वे पशुओं को अपने कमरों में रखते हैं और उनके आस पास सोते हैं। नित्य प्रति वहां पाकिस्तानियों के हमले होते रहते हैं। सरकार को उनकी सुरक्षा का दायित्व समझना चाहिये।

माननीय मंत्री को इन सीमा प्रदेशों के प्रशासन की देख रेख करनी चाहिये। वहां सड़कों की अवस्था बुरी है और लोग अनुभव करते हैं अब उन पर कोई और लाट साहब हैं।

भाषा के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि भारत की एक ही भाषा होनी चाहिये और वह भारतीय होनी चाहिये। संस्कृत सब से अधिक उपक्रम है।

वयस्क मताधिकार और मूल अधिकारों की व्यवस्था संविधान में कर देने के उपरांत अल्प-संख्यकों की समस्या स्वयं हल हो चुकी है।

माननीय मंत्री ने बहुत से महत्वपूर्ण काम किये हैं। उन्हें लोगों की कठिनाइयों की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते समय मेरा ध्यान शांति और सुरक्षा की ओर जाता है, जो इस मंत्रालय ने देश में कायम रखी, उसकी तरफ जाता है। किसी भी देश की सुरक्षा के लिये यह जरूरी होता है और उसके विकास के लिये भी यह जरूरी होता है कि देश में आंतरिक शांति रहे। गृह मंत्रालय इस बात के लिये बधाई का पात्र है कि संकटकाल में सारे देश में परिपूर्ण शांति उन्होंने कायम रखी। इस तरह से गृह नीति का संचालन किया, इस तरह का वातावरण इस देश में निर्मित किया कि कहीं किसी किस्म के उपद्रव नहीं हुये। संघर्ष में फंसने के पूर्व इस देश में बहुत फूटफाट थी, जगह जगह रगड़े झगड़े थे लेकिन मंत्रिमंडल ने ऐसा वातावरण इस देश में बनाया और जनता ने इस तरह से सहयोग किया कि संघर्ष समाप्त हुआ और देश विदेशी दुश्मन का मुकाबला करने के लिये सन्नद्ध हो सका।

अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी है कि इस तरह के वातावरण को अधिक से अधिक मजबूती से इस देश में कायम रखा जाये और इसके लिये कारगर कदम उठाये जायें। आज भी मैं महसूस करता हूं कि इस देश में ऐसे दल हैं, ऐसे तबके हैं जोकि फुटफाट की बात को पैदा करने की कोशिश करते हैं। जरूरी है कि शासन उस तरफ बहुत सजक दृष्टि रखे। अभी भी मजहबीपन, धार्मिकता की बात को ले करके इस बात की कोशिश की जाती है कि देश को इधर उधर से उभारा जाये। जब इस तरह की भावना फैलाने की कोशिश की जाती है, तो उसकी तरफ से हमें सावधान रहना है। इस तरह की भड़काने वाली बातें जो होती हैं, उनको हमें दबाना चाहिये।

हमारे कम्युनिस्ट मित्रों को अफसोस है कि उनके कुछ लोगों को जेल में बन्द किया गया है। इस संकट काल में हम देश के प्रत्येक नागरिक की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें दुख होता है कि जब किसी को कष्ट पहुंचता है। लेकिन देश रक्षा के लिये अगर इस तरह का कठोर कदम उठाना आवश्यक होता है, इस तरह का कदम उठाया जाना चाहिये और ऐसा कदम उठा करके उचित ही किया गया है। शासन के पास मुझे बिश्वास है, ऐसे आदमियों के खिलाफ निश्चित रूप से प्रमाण होंगे और उसके सीक्रेट विभाग के पास इस तरह की सूचनायें होंगी जिसके कारण इस तरह की मजबूरी का कदम उठाना पड़ा है। क्रमशः ऐसे लोगों के केसिस पर विभिन्न प्रांतीय सरकारें विचार कर रही हैं और जिन से आश्वासन प्राप्त हो रहे हैं अथवा जिनके खिलाफ कोई दृढ़ अथवा गलत कदम उठाने के प्रमाण नहीं हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा जा रहा है। यह उचित ही है।

[श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी]

असम के मसले को ले करके इस सदन में बहुत चर्चा हुई है। निश्चित रूप से असम पर हमारा अधिक से अधिक ध्यान जाना चाहिये। हमारे यहां असम में जो विदेशियों का इनफिल्ट्रेशन पाकिस्तान से हुआ है, उस तरफ हमारा दृष्टि सदैव रहनी चाहिये। पिछले वक्त जब असम में अशांति फैला था, उससे हम को नसीहत लेना है। उस अशांति से किन लोगों को कष्ट उठाना पड़ा और क्यों उठाना पड़ा था और क्यों एक तबके विशेष के लोग उससे बच सके थे, वह एक सूत्र देता है, उस आपत्ति के स्रोत का। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्रालय उस तरफ से पूरा तरह सजग है और भविष्य में उस तरह के इनफिलट्रेशन को वह बढ़ने नहीं देगा और जो लोग आ गये हैं उनके केसिस को बारीकी से अध्ययन करके, जो जैन्विन केसिस हैं उनको छोड़ करके दूसरों को वापिस करने का पूरा प्रयत्न करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं।

इस सदन में भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा हुई और यह कोई पहला मौका ही नहीं है जबकि भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा हुई हो। जब भी अवसर उपस्थित होता है इस विषय की चर्चा होती है। मैं यह आवश्यक समझता हूं कि शासन का इस तरफ अधिक से अधिक ध्यान जाय। किसी भी शासन की मजबूती के लिये यह आवश्यक होता है कि जनता का उस पर पूर्ण विश्वास हो और वह विश्वास तभी पैदा होता और कायम रहता है जबकि जनता को यह यकीन हो जाता है कि शासन के द्वारा जो भी काम होता है वह भ्रष्टाचार के ऊपर है और वह निष्पक्षतासे भरा हुआ है। सही आदमी को सही जिन्दगी बिताने के लिये पूरा तौर से गुंजाइश है। जब जनता में ऐसी भावना रहती है तभी वह शासन सफल, आदर्श और दृढ़ होता है। मैं यह तो अवश्य स्वीकार करता हूं कि देश में और सदनमें भ्रष्टाचार को लेकर जो शर्चा की जाती है, उसमें ऐग्जैजरेशन काफी होता है लेकिन इस तथ्य से तो इंकार हो नहीं किया जा सकता कि देश में भ्रष्टाचार पनप रहा है। यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि इस भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देना चाहिये और इसको देश में से समाप्त करने के लिये शासन को गम्भीरता से इस पर सोचना चाहिये और मजबूती के साथ उचित व सक्रिय कदम तत्काल उठाने चाहियें।

विजिलैंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मैंने देखी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शास्त्री जी का शासन इस दिशा में पूरी शक्ति के साथ सचेत व सजग है और भ्रष्टाचार को शीघ्रातिशीघ्र उन्मूलित करने की दिशा में सक्रिय है।

भ्रष्टाचार की जब चर्चा चलती है तो कुछ लोग तो कहते हैं कि छोटे तबके में यह भ्रष्टाचार होता है तो कुछ अन्य लोगों का मत होता है कि भ्रष्टाचार ऊपर के लोगों और बड़े लोगों द्वारा किया जाता है और वे उन पर इसका आरोप लांछन लगाते हैं। मैं भ्रष्टाचार को धन से संबंधित नहीं करता। मैं उसे मनुष्य के मन की और मनुष्य के आचरण की स्थिति का एक सहज परिणाम मानता हूं। गरीब आदमी भी इस देश में बहुत ईमानदार होते हैं और धनिक आदमियों में भी ईमानदार व्यक्ति मिलते हैं। बहुत से छोटे अफसरान भी ईमानदार होते हैं और उसी तरह बड़े अफसर भी ईमानदार होते हैं। इसलिये इसमें बड़े और छोटे की कोई बात नहीं है। छोटे अफसरान जोकि बहुत कम तनख्वाह पाते हैं मजबूरियों के बीच में अपना जीवन बिताते हैं। बड़े अफसरान हालांकि उनकी तनख्वाह काफी होती है तो भी उनमें से कुछ लोगों में खामियां हैं। इसलिये जब हम भ्रष्टाचार के प्रश्न पर विचार करें तो हमें बड़े और छोटे का ख्याल न रख कर यह देखना होगा कि भ्रष्टाचार चाहे किसी भी कोने में क्यों न पनप रहा हो उसको मजबूत हाथों से खत्म किया जाय। भ्रष्टाचार चाहे बड़े कर्मचारी का हो अथवा छोटे कर्मचारी का, पार्लियामेंट के मैम्बर्स का हो अथवा मिनिस्टर्स का, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही है और इसके लिये मैं समझता हूं कि

सब पर समान रूप से कड़ी नजर शासन की होनी चाहिये। भ्रष्टाचार को समाप्त करने और उसे पनपने न देने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिये और कड़े कदम उठाने चाहियें।

प्रजातंत्र को यह कह दिया जाता है कि प्रजातंत्र एक ढीलढाल का शासन होता है, कमजोर शासन होता है और इसलिये उसमें इस तरह के भ्रष्टाचारी तत्वों को पनपने का मौका मिल जाया करता है। हमें इस पर गम्भीरता से सोचना होगा और प्रजातंत्र को जड़ खोखली न होने देने के लिये और उसको अपने यहां उत्तरोत्तर मजबूत बनाने के लिये भी यह जरूरी है कि भ्रष्टाचार का पूरी शक्ति के साथ उन्मूलन किया जाय।

हमारे पड़ोस में ही एक राज्य था जिस की कि प्रजातंत्रात्मक बुनियाद थी लेकिन भ्रष्टाचार जब वहां पर पराकाष्ठा को पहुंच गया तो वह राज्य रह नहीं सका। सौभाग्यवश हमारे देश की यह स्थिति नहीं है। हमारे देश का प्रजातंत्री शासन भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये सजग व यत्नशील है। मैं चाहूंगा कि विजिलैंस डिपार्टमेंट द्वारा भ्रष्टाचार के बारे में और अधिक मजबूती के साथ छानबीन हो और भ्रष्टाचारी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जायें।

अध्यक्ष महोदय, शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के उत्थान की दिशा में हमारा शासन सजग है। उनके शिक्षण के लिये और उनको नौकरियों में अधिक स्थान देने की व्यवस्था की गई है। मैं चाहता हूं कि इसी के साथ उनके औद्योगिक विकास के लिये और अधिक सहूलियतें दी जायें। नौकरियों में इधर उधर कुछ आदमियों को ले लेने से या कुछ आदमियों को स्कालरशिप्स दे देने से ही किसी समाज का जीवनस्तर ऊंचा नहीं उठ जाता है गोकि वे आवश्यक चीजें हैं और उनको यह मिलना चाहिये। लेकिन आज के समाज के अन्य वर्गों के समान ही उनका आर्थिक और सामाजिकस्तर हो सके इसके लिये आवश्यक है कि आर्थिक दृष्टि से भी उनका विकास हो। इसलिये मैं चाहूंगा कि आर्थिक विकास व सहयोग के जो तत्व हैं उनको आदिवासी और हरिजनों के क्षेत्र में और अधिक तेजी के साथ बढ़ाया जाय।

†**श्री सुब्रह्मण्यम** (मदुर): माननीय मंत्री ने मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया है। अनुसूचित जातियों के भाग्य को सुधारा गया है और उनके छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

कभी समय था जब विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग शिक्षा संस्थाएं बनाई जाती थीं। अब तो स्कूलों आदि में कम से कम ३५ प्रतिशत अनुसूचित जातियों के छात्र लेने चाहियें ताकि बचपन से बालकों में छूतछात की भावना समाप्त हो जाये।

स्वर्ण हिन्दुओं को ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि वे इन भावनाओं को छोड़ दें। यह राष्ट्र के लिए कलंक है। कानून के अन्तर्गत छूतछात सम्बन्धी सख्त कार्यवाही करने से भी हानि होती है। अतः प्रचार भाषण चलचित्र आदि अधिक उपयोगी होंगे।

हरिजनों अथवा अनुसूचित जातियों के लिये अलग बस्तियों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हिन्दुओं की बस्तियों में हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लिए मकानों की व्यवस्था होनी चाहिए, और हरिजनों की बस्तियों में हिन्दुओं के लिए मकान भी होने चाहिएं।

हरिजनों के लिये मकान भी बनाये जा रहे हैं, परन्तु उन में से बहुत से मकानों की अवस्था सन्तोषजनक नहीं है। मकान जो बनाये गये हैं उन से काफी लाभ हुआ है परन्तु इस धीमी गति से

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुब्रह्मण्यम]

मकान व्यवस्था करने से आवश्यकताओं की पूर्ति होने में कई वर्ष लग जायेंगे। मेरा सुझाव है कि मकानों में हर प्रकार की सुविधायें होनी चाहिएं और यदि धन शेष हो तो उसे मकान बनाने के लिए देना चाहिए।

मेरा सुझाव यह भी है कि हरिजनों की बस्तियों में मार्ग-प्रदर्शक भी होने चाहिएं जो उन लोगों को साफ सुथरा रहने में सहायक सिद्ध हों, क्योंकि बहुत से हरिजन पिछड़े हुए हैं।

भंगियों के लिये भी अधिक मकानों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में केन्द्र की ओर से राज्य सरकारों और नगरपालिकाओं की सहायता की जानी चाहिए यदि हरिजनों को परिवहन सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त हों तो वह एक या आध मील दूर जा कर बसने के लिये भी तैयार हो सकते हैं। इस के साथ साथ हाथों से गन्दगी उठाने की प्रथा को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए।

अनुसूचित आदिम जाति के कुछ लोग तामिलनाद में रहते हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, अतः उन के सुधार की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

पिछड़ी जाति के लोगों को छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिएं, प्रशासन में भी उन लोगों को लिया जाना चाहिए। इस प्रकार उन लोगों में अधिक संतोष की भावना पैदा होगी।

हिन्दी बेशक राजभाषा मान ली गई है परन्तु इसे लागू करने सम्बन्धी निश्चय अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

मद्यनिषेध को सारे देश में लागू करना चाहिए।

घुसपैठ को उचित समय पर रोका जाना चाहिए। पहले हम लोगों को देश में घुसने देते हैं फिर उन की समस्याओं का प्रश्न उठ खड़ा होता है। अतः मेरा सुझाव है कि घुसपैठ को पहले से ही रोका जाना चाहिए।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया। जनतंत्र में एक दूसरे के विचारों पर शक करना, किसी की नीयत पर सन्देह करना महापाप है। अगर हम ठीक न हों, तो हम को पाप चढ़ता है और अगर हमारे कहने पर अमल न किया जाये, तो फिर सरकार को पाप चढ़ता है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से पढ़ा हुआ हूं और उन्होंने मुझे पढ़ाया था :

"स किं सखा साधु न शास्ति योऽधिपम्
हिताम्न यः संशृणिते सकिम् प्रभुः।"

अध्यक्ष महोदय : अगर यह उस्ताद और शागिर्द का मामला है, तो फिर हमें इस झगड़े में क्यों लाते हैं ?

श्री यशपाल सिंह : जो शिक्षा उन्हों ने मुझे दी थी, मैं उस पर अमल करता हूं।

जो दिक्कतें आज हैं, वे मैन-मेड हैं, गाड-गिवन नहीं हैं। आज अगर इस देश में जनता का राज होता, अगर जनता को उभरने का मौका दिया जाता, तो जनता अपने पैरों पर खड़ी होती। जनता आज भी उसी नौकरशाही के नीचे पिस रही है, जिस के नीचे वह पहले पिस रही थी। अगर आप किसी आई० सी० एस० कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर के कमरे के सामने या बंगले के

बरामदे में जा कर बैठ जायें और उन्हें यह पता न हो कि आप संसार की सब से बड़ी पालियामेंट के प्रजिडेंट हैं, उन्हें पता न हो कि यह सरदार जी हैं, यह इंडिया के सब से बड़े आदमी हैं, तो फिर आप देखिए उस आई० सी० एस० के नखरे, उस के चपरासियों के नखरे । आज जनता को उसी तरह से ट्रीट किया जाता है, जिस तरह कि अंग्रेज के ज़माने में ट्रीट किया जाता था । जिन अफसरान के बंगलोज़ के बाहर आज भी यह लिखा है 'बिवेअयर आफ डाग्ज़', कुत्तों से सावधान रहो, जनतंत्रवादी हुकूमत में अफसरान के दरवाज़ों के बाहर जब यह लिखा रहता है. तो मैं इसका एक ही मतलब समझता हूं कि

आज तक मैं उन कोठियों में नहीं गया हूं

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये ।

श्री यशपाल सिंह : मैं माफी चाहता हूं अगर मैंने कोई गलत बात कह दी है । अगर यह अनपार्लियामेंटरी है तो

अध्यक्ष महोदय : गलत तो है ही ।

अगर उन्होंने यह लिखा कर लगा रखा है, कि "बिवेअर आफ डाग्ज़" तो उसका मतलब यह है कि आने वालों को यह बतलाना चाहते हैं कि होशियार रहें, कहीं ऐसा न हो कि कुत्ता उनको काट खाये । उन्होंने सिविलाइज्ड तरीके से आप को यह बात कही है । लेकिन आपके लिए इस तरह की बात कहना उचित नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : क्षमा मांग रहा हूं ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : आप इस को मानेंगे कि यह शब्द तो निकाल ही दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : शब्द को काट दिया जाये । हमें पता नहीं था कि उस्ताद जी ने ऐसी शिक्षा दी है ।

श्री यशपाल सिंह : यह गलती हो गई है ।

मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी जनतंत्रवादी देश के अन्दर अफसर इस तरह से नहीं रहते हैं जिस तरह से इस देश में रहते हैं । अगर शिष्टाचार नहीं, अगर इखलाक नहीं तो यह विद्या और आप का जनतंत्र बेकार हो जायेगा ।

न हो जिस में अदब और हो किताबों से लदा फिरता,
जफर उस आदमी को हम तसव्वुर बैल करते हैं ।

अगर भारतवासी भारतवासी से मस्करा कर नहीं मिल सकता है, हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तानी के साथ प्रेम का व्यवहार नहीं कर सकता है, तो आप का यह जनतंत्रवाद चल नहीं सकता है ।

अध्यक्ष महोदय, आज से दस साल पहले मैं ने आवाज उठाई थी कि हथियारों पर से लाइसेंस हटाया जाये । वह नहीं किया गया और इसका नतीजा यह हुआ कि देश कमजोर हो गया । आप करप्शन की बात पूछते हैं, वह भी मैं आप को बतला देता हूं । आप जा कर देखिये एक इजलास

*अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

[श्री यशपाल सिंह]

में जहाँ पर राइफल्ज की, रिवाल्वर्ज की दरख्वास्तें दो दो सालों से पड़ी हुई हैं। अगर यह करप्शन नहीं है तो और क्या है. क्यों दो साल से पड़ी हुई हैं। अगर आज एक दो हजार रुपया रिश्वत का मिल जाये तो आज लाइसेंस मिल जाये और जो नहीं देगा उसको नहीं मिलेगा। गाँव सभा का प्रेजीडेंट एक हस्ती रखता है, उसको हथियार का लाइसेंस नहीं मिलता है, ब्लाक डिवेलपमेंट का चेयरमैन एक हस्ती रखता है, उसको नहीं मिलता है, ब्लाक प्रमुख की एक पोजीशन है, उसको नहीं मिलता है। मैं आप को एक केस बतलाना चाहता हूं। शाहजहानपुर के कलेक्टर साहब, जिन का मैं नाम नहीं लेता हूं ने एक एम० एल० ए० की दरख्वास्त बंदूक की खारिज कर दी और यह कह कर कर दी कि वह डिजर्व नहीं करते हैं। असेम्बली में इस बारे में दो दिन तक शोर मचता रहा। यह पता चला कि क्योंकि वह दरबार में जा कर झुके नहीं थे इसलिए उनको लाइसेंस नहीं मिला। इसके प्रोटेस्ट के तौर पर मैंने यू० पी० असेम्बली में वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब के आगे अपने हथियार अर्पण कर दिये और यह कह दिया कि जब तक देश के एक एक सच्चरित्र, देश के एक एक इमानदार बालक को हथियार रखने का अधिकार नहीं दिया जाता है, तब तक मैं भी नहीं रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अंग्रेज ने जो इस बारे में कानून बनाया था, वह आज भी लागू है। उस को बदला नहीं गया है। उस ने हमारी गुलामी की जंजीरों को मजबूत करने के लिए, हम को कमजोर करने के लिए, हम को नपुंसक बनाने के लिए यह कानून बनाया था और आज भी वही स्टैंड कर रहा है। उस वक्त तो हथियारों के लाइसेंस इसलिए नहीं दिये जाते थे कि लोगों के अन्दर जोश था और साथ ही साथ लोग यह समझते थे कि हमारा सम्मान बढ़ेगा और सरकार यह समझती थी कि सब का सम्मान बढ़ाना ठीक नहीं। आज हथियारों की कमी हो गई है। मैं मानता हूं कि जो सिस्टम आज है, वह डिसपैरिटी क्रिएट करता है, विषमता क्रिएट करता है। लेकिन वह सिस्टम ऐसा भी नहीं है कि जिससे देश की रक्षा हो सकती हो। उसको बदला जाना चाहिये।

आज जब प्रोहिबिशन की बात की जाती है तो सरकार दुबक पड़ती है और अपनी पालिसी को साफ नहीं करती है। यह गांधी जी का देश है, स्वामी विवेकानन्द का देश है, गुरु गोविन्द सिंह जी का देश है, स्वामी दयानन्द जी का देश है, राजा राम मोहन राय का देश है। आज भी अगर इस देश में प्रोहिबिशन को इस दृष्टि से आंका जाये कि इससे आय कम हो जायेगी और हम को आय बढ़ाने के लिए और अधिक टैक्स लगाने पड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि यह हमारी आजादी के ऊपर सब से बड़ा कलंक होगा। शराब को एक कलम खत्म किया जाये, गन्दे गानों को एक कलम खत्म किया जाये, गन्दे सिनेमाओं को एक कलम खत्म किया जाये। इन सिनेमा घरों में मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल खोले जायें। जहां अश्लील गाने और नाच होते हैं उन घरों के अन्दर फौजी तालीम दी जाये, इन घरों के अन्दर उन लोगों को बसाया जाये जो लोग उजड़ कर आये हैं। अगर ऐसा किया गया तभी देश की रक्षा हो सकती है।

विकास का मतलब क्या है? हम चारों तरफ देखते हैं कि विकास का काम हो रहा है। लेकिन इस विकास के क्या लाभ, अगर हमारा चरित्र ठीक नहीं होता है। चरित्र तो तभी ऊंचा हुआ समझा जाएगा जब हर एक आदमी इस देश को अपना देश समझे, अगर ऐसा होता है तो एक दूसरे से लोग रिश्वत नहीं लेंगे, एक दूसरे के घरों में डाके नहीं डालेंगे, एक दूसरे के घरों में चोरी नहीं करेंगे। जहां तक स्टुडेंट इंडिसिप्लिन का सम्बन्ध है, उस बारे जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। उसका यह हाल है कि संसार की एक बहुत बड़ी विदुषी, संसार की बहुत बड़ी लेखिका जिस की वर्ल्ड वाइड फेम थी,

उसको कत्ल करने वाला एक स्टुडेंट देहरादून का है। एलन राय का उसने ही कत्ल किया है। उसने कहा है कि चूंकि उसके पास फीस के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उसका कत्ल किया है। जिस देश में भूख की यह हालत हो, तो आप समझ सकते हैं उस देश में ईमानदारी कायम कभी नहीं रह सकती है। आज भी इस देश में लोगों को चार चार और पांच पांच हजार रुपये तनख्वाह मिलती है और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो खुदकशी करके मरते हैं। यहीं पर माननीय गृह मंत्री जी की नाक के नीचे यमुना के उस पार, शाहदरा में जहां पर कृष्ण नगर बसा हुआ है, एक पंजाबी भाई ने जिसका नाम सोहन लाल था, जिस वक्त देखा कि उसके तथा उसके बच्चों के पेट की ज्वाला भड़क उठी है और उसके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो अपनी चार बेटियों को जहर दे कर मार दिया और खुद नहर में डूबने के लिए चल पड़ा और आज तक गुम है। यह बहुत दिन की बात नहीं है, एक महीने की ही बात है। इतिहास इस तरह की बातों को क्या भूल जाएगा। जिस देश में एक तरफ रंगीनियां और गुलकारियां हो रहीं हों, एक तरफ एक आदमी को चार और पांच हजार रुपये तनख्वाह मिल रही हो, उसी देश के लोग भूख से तड़प कर इस तरह अपनी जान देते फिरते हों, खुदकशी कर करके मर रहे हों, इतिहास क्या इस तरह की बातों को भूल सकता है......

अध्यक्ष महोदय : यह शर्म की बात तो जरूर है हम सब के लिए और आपको तकरीर की जो आजादी है, उस में मैं दखल भी नहीं देता हूं, मगर इसको बहुत ज्यादा ब्राडकास्ट करना, यह भी हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री यशपाल सिंह : आइंदा नहीं कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हम सब जानते हैं और हमें शर्म भी आती है कि इस तरह की बात हमारे देश में होती हैं। लेकिन इसको बहुत ज्यादा लम्बा चौड़ा करके कहा जाए, यह भी ठीक नहीं है। यह सब के लिए शर्म का बायस है।

श्री यशपाल सिंह : विदेशों में मैं नहीं बोल रहा हूं। भारत में ही बोल रहा हूं।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : आपकी आवाज सारी दुनियां तक पहुंचती है।

अध्यक्ष महोदय : यहां से जो एक लफ्ज भी निकलता है, वह सब दुनियां में जाता है।

श्री यशपाल सिंह : पता होता तो हर्गिज न कहता।

मैं समझता हूं कि देश की खुशहाली तब बढ़ेगी जब इस देश के ४४ करोड़ इंसान इस देश के साथ सच्चा प्रेम करेंगे और अपने आप को इस देश का सच्चा नागरिक समझेंगे। अभी कल परसों यहां पर क्वेश्चन हो र थे और दिन रात कालिंग अटेंशन नोटिसिस दिए जाते हैं जिन को इस मिलिट्री में से निकाल दिया जाता है वे जा करके दूसरी मिलिट्री में कोशिश करने लगते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक देश में भूख है, तब तक देश भक्ति पनप नहीं सकती है।

बुभुक्षितः किं न करोति पापम्।

देश का सुधार तब होगा जब एक तरफ तो मारेल एजुकेशन हो, एक तरफ धार्मिक शिक्षा हो, इखलाकियत की शिक्षा हो, दीनियात की तालीम हो और दूसरी तरफ दण्डः 'शास्ति प्रजा सर्वा, दण्ड एवाभिरक्षति' हो। एक तरफ तो यह तालीम दी जाए कि चाहे मर जाओ

रिश्वत न लो किसी तरह की तंगदस्ती में वक्त गुजार लो लेकिन रिश्वत न लो और दूसरी तरफ यह खयाल भी होगा कि अगर रिश्वत लेते हुए कोई शख्स पकड़ा जाए तो उसको प्राणदण्ड दिया जाए। आज तो सिफारिश चलती है। घी में मिलावट कोई करता है तो उसकी सिफारिश चलेगी, दूध में करता है तो उसके लिए सिफारिश चलेगी। यह बहुत गलत है। इस तरह का देश में एटमासफीयर पैदा किया जाना चाहिये कि लोग समझें कि वे ही देश के रक्षक हैं, बच्चा बच्चा देश का रक्षक है। अगर इस तरह का वायुमंडल आपने तैयार किया होता तो आज जनता की खुराक बदल जाती, जनता की पोशाक बदल जाती, सोने जागने के घंटे बदल जाते, जिस तरीके से सब लोग काम करते हैं, वह तरीका बदल जाता। ये तरीके बदले नहीं हैं।

स्पार्टा के देश में यह कानून बना था कि बच्चा जब पैदा हो, उसको चौबीस घंटे के लिए छत पर डाल दिया जाए और अगर वह उस सर्दी, गर्मी, बरसात को बरदाश्त कर ले तब तो उसको पाल लिया जाए और अगर कमजोर साबित हो तो उसको पालने की जरूरत नहीं है। देश को उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। देश में ताकतवर बच्चे पैदा हों, हमारी जेनरेशन स्ट्रांग हो, इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

आज बढ़ती हुई आबादी की भी बात की जाती है। सैल्फ कंट्रोल ही इस बढ़ती हुई आबादी का इलाज है, आत्म-संयम ही इसका इलाज है, सदाचार और ब्रह्मचर्य का पालन ही इसका इलाज है। यह बर्थ कंट्रोल, यह फैमिली प्लानिंग सब गलत हैं। वे इसका इलाज नहीं हैं। महात्मा गांधी ने एक बार नहीं हजार बार कहा है कि बर्थ कंट्रोल भ्रूण हत्या के समान है, नग्न व्यभिचार से भी ज्यादा बुरा है। अगर लोगों को सदाचार की तालीम दी जाती, सैल्फ कंट्रोल की तालीम दी जाती, सादा रहने की तालीम दी जाती तो आज जो शार्ट कट्स हैं, इनकी आवश्यकता न पड़ती। अगर लोग यह कसते हैं कि सैल्फ कंट्रोल असम्भव है, आत्म-संयम असम्भव है, ना-मुम्किन है तो मैं कहना चाहता हूं कि देश का डिफेंस और देश का डिवेलेपमेंट, ये दोनों भी असम्भव हैं। दोनों तभी हो सकेंगे जबकि हम आत्म-संयम और सदाचार का पालन करें और आगे बढ़ें। देश की रक्षा हमेशा वे लोग करते हैं, जिन के बाजुओं के अन्दर ब्रह्मचर्य का प्रताप होता है, जिन की छाती के अन्दर सदाचार का तेज होता है, जिन की आंखों के अन्दर अकाल पुरुष की ओज और अकाल पुरुष का तेज होता है। जो लोग ढीले होते हैं वे कभी देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं। जब हमारा खानपान बदलेगा, रहन सहन बदलेगा, महकूम और हाकिमों के बीच का रिश्ता बदलेगा और एक दूसरे को महकूम और हाकिम न समझ कर सभी ४४ करोड़ इंसान एक साथ प्रेम की गंगा में स्नान करेंगे, तब जा कर हम अपने देश की रक्षा कर सकेंगे। देश का सवाल किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, किसी एक धड़े का सवाल नहीं है। यह मैं कोई क्रिटिसाइज़ करने के लिये नहीं कह रहा हूं, न हम में से कोई ऐसा है जिस को वजारत की जरूरत हो। जब जेलखाने जाने की जरूरत थी उस वक्त हम साथ थे, जब नमक सत्याग्रह हुआ तब हम साथ थे, जब इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ तब हम साथ थे, सन् १९४२ के आन्दोलन में हम साथ थे, फरारियों, नीलामियों, कुर्कियों, फांसी की कोठरियों में हम साथ थे। मैं तो कहता हूं कि यह कुर्सियां आप को मुबारक रहें। वजारत आप को शोभा देती है, लेकिन देश का स्तर ऊंचा उठे। आप से बढ़ कर कौन अग्रणी मिल सकता है, आप से ज्यादा तपा हुआ सिपाही कौन मिल सकता है, आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन आप करना नहीं चाहते।

आप उन लोगों से सलाह नहीं लेते, आप सलाह उन से लेते हैं जिन की सलाह गलत है। सलाह लीजिये उन लोगों से जिन्होंने देशभक्ति के काम किये हैं, जिन्होंने यंत्रणायें सहीं हैं और कठोर तपस्या की है। लेकिन आप सलाह उन लोगों से लेते हैं जिन का नैशनल मूवमेंट में कोई हाथ नहीं रहा, जिन का आज़ादी की लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं था, जो तब हमारे ऊपर डंडे बरसा करते थे सन् १९३० और सन् १९४२ में तो हमारे खिलाफ जासूसी किया करते थे और आज उधर की बेंचों पर बैठते हैं। अगर कोई और मुल्क होता तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था।

हमेशा फिक्र रही है जिन्हें जलाने की।
वे बिजलियां हैं मुहाफिज अब आशियाने की।।

हम यह चाहते हैं कि ४४ करोड़ लोगों के मन से यह तफरीक निकाल दी जाय कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन महकूम है कौन हाकिम है। हम यह चाहते हैं कि सारे ४४ करोड़ इन्सान सभी भाई-बहन की तरह रहें। वह ऐटमास्फियर आप क्रिएट नहीं कर सके आज कि इस देश के अन्दर लोग भ्रातृ भाव से रहें। जब यहां पर सच्ची देशभक्ति पैदा होगी तभी सच्चे कानून चलेंगे। दुनियां में कानून कोई चीज नहीं है, जनता की राय ही कानून है। कानून जनता का है, जनता देख रही है। आज भी अगर नैशनल डिफेन्स फंड में कोई देता है तो जनता देती है, मजदूर देता है, रिक्शे वाला देता है, मेरे जैसा किसान देता है, अमीर आदमी नहीं देता है। मैं एक गरीब किसान हूं, मैं अपनी आमदनी का ५० फी सदी देता हूं नैशनल डिफेन्स फंड में लेकिन लखपति वजीर अब तक अपनी आमदनी का ५ फी सदी देते हैं। आज लखपतियों से चन्दा नहीं लिया जाता, बिड़ला को १ अरब रुपया देना चाहिये था, टाटा को १ अरब रुपया देना चाहिये था, लेकिन उन्होंने कुछ लाख रुपये दे कर खत्म कर दिया। मगर किसान और मजदूरों से सरकार आज भी चन्दा मांगती है। इन लोगों से चन्दा न मांग कर पूंजीपतियों से और जिन खोजों ने चार दफे आगा खां को हीरे जवाहरात से तोला था, उन से लिया जाना चाहिये था, जिन के पास करोड़ों रुपये हैं। नवाब साहब हैदराबाद को आज २६ हज़ार रु० रोज़ाना मिलते हैं तन्ख्वाह के, उन से लीजिये। सारा देश प्रेम की गंगा में बहे, काश्तकार और मजदूर को आगे बढ़ने का मौका दिया जाय, सिपाहियों की तन्ख्वाह बढ़ाई जायें, जिन की तन्ख्वाह ५०० रु० माहवार से ज्यादा हैं उन में से काट कर जवानों की तन्ख्वाह दी जायें, तभी देश का उद्धार हो सकता है।

†श्री मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण) : मैं गृह मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ देश में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने पर गृह-कार्य मन्त्री को मुबारकबाद पेश करता हूं। भूतपूर्व राज्य मन्त्री, श्री बी० एन० दातार, की सेवाओं के लिए उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

असम की लाखों की संख्या में पाकिस्तानियों का घुसपैठ हुआ है। यह स्थिति निस्सन्देह खेदजनक है और इस घुसपैठ को रोकने के प्रयोजनार्थ पग उठाये जाने चाहिएं। परन्तु श्री बसुमतारी के इस कथन से कि असम में कुछ मुस्लिम अधिकारियों के कारण स्थिति और विकट हो रही है अत्यन्त खेदजनक। एक धर्म-निर्पेक्ष राज्य के अनुयायी दल के किसी सदस्य के मुंह से ऐसे शब्द अशोभनीय हैं। इसके अलावा केन्द्र में और अन्य राज्यों में मुस्लिम अधिकारी बहुत ही कम संख्या में हैं, तो हम इस बारे में असन्तोष प्रकट नहीं करते। इस कथन से निश्चय ही एकता की भावना को आघात पहुंचेगा। विशेष-

†मूल अंग्रेज़ी में

क्या इस समय जबकि काश्मीर के लोग अपने आपको भारतवासी कहते हैं, और वहां की जनता मुस्लिम होते हुए भी हिन्दुस्तान का साथ दे रही है, ऐसे शब्दों का उच्चारण करना अत्यधिक निन्दनीय है। हो सकता है कि उन मुस्लिम अधिकारियों को निकाल कर निम्न श्रेणी के अधिकारी उनका स्थान लेना चाहते हों। मैं गृह मन्त्री से भी अपील करूंगा कि वह इस मामले की पूरी जांच कर के अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा करें।

मैसूर-महाराष्ट्र सीमान्त को फिर से उठाया गया है, परन्तु यह लोग भूल रहे हैं कि अभी आपातकाल समाप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, जब राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा एक बात पर निर्णय कर लिया गया है उसे फिर से उठाना अनुचित बात है।

भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को आज ७ वर्ष हो चुके हैं परन्तु मैसूर में अब तक सेवाओं का एकीकरण नहीं हो पाया है जिसके फलस्वरूप बहुत से कर्मचारियों को हानि हुई है। मेरा अनुरोध है कि यदि राज्य की ओर से इस विषय में पग न उठाये जायें तो गृह मन्त्रालय इस बारे में पग उठाये और वरिष्ठता निर्धारित करे।

सेवानिवृत्ति की आयु ५५ से ५८ करना देश में बेकारी की समस्या को दृष्टि में रखते हुए सर्वथा अनुचित है। परन्तु यदि इस बारे में निश्चय कर लिया गया है तो यह वांछनीय है कि सभी राज्य सरकार इस नियम का पालन करें।

मद्यनिषेध सम्बन्धी नीति का अनुसरण भी सभी राज्यों में नहीं किया गया। आपात के कारण मुख्य मन्त्रियों ने यह निश्चय किया है कि स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहे। परन्तु हम देखते हैं कि मद्यनिषेध की नीति को ठीक प्रकार कार्यान्वित नहीं किया गया। या तो इसे ठीक प्रकार कार्यान्वित किया जाय, या सरकार को स्पष्टतः इसकी सफलता को स्वीकार करना चाहिए। हाल ही में हुबली बाहर में अवैध शराब पकड़ी गई। इस छापे के फलस्वरूप अवैध रूप से निकाली जाने वाली शराब का मूल्य बढ़ गया। आश्चर्य की बात यह है कि न केवल अवैध रूप से शराब बनाई जा रही है बल्कि पुलिस अधिकारियों को इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि या तो मद्यनिषेध को पूर्णतः समाप्त किया जाय या इस नीति को अच्छी प्रकार कार्यान्वित किया जाय।

साम्यवादियों की गिरफ्तारियों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। परन्तु इतने बड़े देश में १००० व्यक्तियों की गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अतिरिक्त साम्यवादी लोगों ने चीनी आक्रमण के समय पूर्णतः हमारा साथ भी नहीं दिया। अतः उनकी गिरफ्तारी समर्थनीय है।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपाल गंज) : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं होम मिनिस्ट्री की मांगों पर कुछ कहूं मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे इससे सन्तोष है कि आपने आज यह कड़ाई की कि जो कोरम पूरा कराते हैं उनको बोलने का मौका दिया जाएगा और जो स्पीचेज देकर चले जाते हैं उनको मौका कम मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं नोट कर रहा हूं। जो ऐसे हैं उनको आयन्दा चांस देने में मैं गुरेज करूंगा। मगर आप भी हमेशा कोरम में मदद नहीं देते।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं बराबर रहता हूं, बाहर नहीं जाता।

सबसे पहले मैं गृह मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। बधाइयां तो उनको बहुत मिली हैं लेकिन कुछ मित्रों ने कहा कि वह अत्यन्त सुन्दर और स्नेहभाजन हैं। वह न तो बहुत सुन्दर हैं और न स्नि

दर्शनीय हैं, लेकिन उनकी कार्य शैली विलक्षण है और उनकी कार्यक्षमता अद्भुत है और वह बड़े अध्यवसाय और धीरज से काम करते हैं, जिस कारण वह बड़ो से बड़ी समस्या को सुलझाने में सफल होते हैं, इस गुण के लिए मैं उनको बधाई दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि उनके जीवन में और भी सफलताएं आवें ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं बहुत अगली भी तो नहीं हूं शक्ल सूरत से ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : प्रिय दर्शनीय नहीं हैं ।

यह गृह स्वामी हैं । हमारे इलाके में गृहस्वामी के बारे में लोग कहते हैं :

गृह कारज नाना जंजाला

घर के काम को सम्भालने में बहुत सी समस्याओं को देखना पड़ता है और वही सफल गृह स्वामी है जो सब की बातों को सुन कर ऐसी व्यवस्था कर सके कि लोगों के दिलों में उद्वेलन न हो, कोई असन्तोष न हो ।

मैं दो तीन छोटी छोटी बात कहूंगा जिनके कारण लोगों के दिलों में हलचल है और लोग चाहते हैं कि उनका समाधान हो । इस देश में ८० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो अपने घर का खर्च नहीं सम्भाल सकते हैं और अपने लड़कों को नहीं पढ़ा सकते हैं चाहे ये लोग किसी भी जाति के हों । ऐसे लोगों की संख्या बैंकवर्ड क्लासेज़ और हरिजनों में ज्यादा हो सकती है लेकिन जो सवर्ण लोग कहे जाते हैं जैसे ब्राह्मण या और जाति के, उनमें भी ८० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते ।

बहुत दिनों से यह बात चल रही है कि बैंकवर्ड का डेफीनिशन कर दिया जाए । मैं समझता था कि हमारे गृह मन्त्री जी इस मामले में सारे हिन्दुस्तान को लीड देंगे और उस समस्या को हल करेंगे । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे गृह मन्त्री ने यह लीड नहीं ली । हां पंजाब ने इसमें लीड ली है और पंजाब ने जो बैंकवर्ड का क्राइटेरिया फिक्स किया है उसी को लेकर गृह मन्त्री जी और राज्यों को सुझाव दें कि वे भी ऐसा करें ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमारा तो फैसला हो गया है । इस पर डिप्टी मिनिस्टर ने कहा है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : उन्होंने बैंकवर्ड क्लास के बारे में कहा है कि उसमें भी दो क्लास हो गए हैं । हम देखते हैं कि हमारे यहां क्लासिफिकेशन बढ़ता जाता है । इसको कम करना चाहिए । बैंकवर्ड क्लास में और हरिजनों में भी बैंकवर्ड और एडवांस्ड क्लास हो गए हैं । तो इस तरह डिवीजन और अधिक होता जाता है । यही डिप्टी मिनिस्टर ने कहा है कि बैंकवर्ड क्लासेज़ और हरिजनों में भी दो दो तबके हो गए हैं । और पहले उन तबकों को सहायता दी जाएगी जो ज्यादा बैंकवर्ड हैं । यह मेरी समझ में नहीं आता । मैं तो चाहता हूं कि एक आमदनी फिक्स कर दी जाए, जैसे जिस आदमी की माहवारी आमदनी ५० रुपए से कम होगी उसको बैंकवर्ड समझा जाएगा, चाहे वह किसी जाति का हो । हो सकता है कि ऐसे लोगों की संख्या हरिजनों में और बैंकवर्ड क्लासेज़ में ज्यादा होगी जो कि पिछड़े हुए हैं, लेकिन इसमें ऐसे लोग भी आएंगे जो कहे तो जाते हैं फारवर्ड लेकिन हैं दर असल बैंकवर्ड । यहीं दिल्ली में देखिये कि क्या हो रहा है ? हमें दूसरी जगह यह देखने को नहीं मिलता है जो कि हम यहां देख रहे हैं । दिल्ली में क्षत्री, ब्राह्मण और ठाकुर सभी जातियों के लोग घरों पर सेवा करते और बर्तन मांजते दिखाई देते हैं । घर में लोगों का खाना बनाते हैं और दूसरी टहल करते हैं । वह ब्राह्मण, राजपूत और दूसरी जातियों के लोग घर, घर टहल करते हैं और इनके मालिक चाहे किसी भी जाति के क्यों न हों, उनकी हर प्रकार से सेवा करते हैं । अब ऐसे लोग बैंकवर्ड हुए या फोरवर्ड हुए ? इसलिए मेरा कहना है कि बैंकवर्ड क्लासेज़ की डेफ़ीनीशन ऐसी होनी चाहिए

और बैकवर्ड वह लोग माने जायं जिनका कि आर्थिक स्तर नीचा हो। आर्थिक स्तर को दृष्टि में रखते हुए बैकवर्ड की परिभाषा होनी चाहिए।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता था कि जो अभी हमारे डिप्टी मिनिस्टर ने कहा उसका मतलब ही यह था कि अब जो स्कालरशिप्स दिये जायेंगे वे मीन्स टेस्ट के आधार पर दिये जायेंगे। यह देखा जायगा कि किस की कैसी आर्थिक हालत है? बिना इस बात का ख्याल किये कि कौन ब्राह्मण है, क्षत्री है, चमार या भंगी है, चाहे कोई भी हो एक आर्थिक स्तर निश्चित कर दिया जायगा कि इसके नीचे वाले को बगैर जाति पांत का ख्याल किये सरकारी सहायता व स्कारलशिप्स दिये जायेंगे।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं मंत्री महोदय को इस क्लैरिफिकेशन के लिये बधाई देता हूं क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर साहब के कथन से ऐसा समझ में नहीं आया था।

अब मैं रीजनल पैरिटी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं देखता हूं कि इस में इंटेग्रेशन होने की संभावना अधिक रहेगी। अब मैं बिहार का उदाहरण देता हूं। बिहार में बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट के इस्टैब्लिशमेंट्स हैं लेकिन उम्मीद की जाती है कि वहां पर बिहार के लोगों को अधिक इम्प्लायमेंट मिलेगा, चपड़ासियों और सिपाहियों में नहीं बल्कि और ऊंचे दर्जे की नौकरियों में। लेकिन वास्तविकता क्या है? ५०० से ऊपर की नौकरियां बिहार वालों को बहुत कम मिलती हैं हालांकि बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट के इस्टैब्लिशमेंट्स हैं। मैं मानता हूं कि उनमें सब प्रांतों के लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिये। लेकिन मैं यह अवश्य चाहूंगा कि बिहार के अलावा अन्य प्रांतों में जहां कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनमें बिहार के कितने लोगों को चांस मिलता है?

इसके विपरीत बिहार के सेंट्रल गवर्नमेंट के इस्टैब्लिशमेंट्स में कोई भी प्रांत ऐसा नहीं मिलेगा जिसके कि लोग उनमें नौकर न हों। अलबत्ता बिहार के लोग जब दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर उनको जगहें नहीं मिलती हैं। इसके लिये आप किसी भी स्टेट में देख लीजिये, मद्रास, बंगाल और अन्य जगह भी जहां कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनमें बिहार के लोगों को उतनी जगहें नहीं मिली हुई हैं। अब हम किसी से अर्ज नहीं करते लेकिन यह अवश्य चाहते हैं कि आल इंडिया सर्विसेज में सब जगह सभी लोगों को नौकरी का अवसर मिले। उससे नेशनल इंटेग्रेशन भी होगा। आल इंडिया सर्विसेज में सब लोगों को चांस देने से यह नेशनल इंटेग्रेशन होगा। मुझे जहां तक याद है इसी हाउस में यह बतलाया गया कि हाई कोर्ट के जजेज एक प्रांत से दूसरे प्रान्त में जाया करेंगे। उनकी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में बदली की जाया करेगी लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर बंगाल हाईकोर्ट का जज बिहार में आ जाय, मद्रास का बंगाल में चला जाय और बंगाल का उत्तर प्रदेश में चला जाय तो उनको वहां की भाषा को जानना होगा। इससे उन पर कुछ असर भी पड़ेगा और नेशनल इंटेग्रेशन में यह ज्यादा कामयाब होगा।

लैंग्वेज बिल के बारे में जो कि सदन में आने वाला है मैं एक, दो सुझाव देना चाहता हूं। अभी मेरे मित्र श्री भट्टाचार्य ने कहा कि हिन्दुस्तान की नेशनल लैंग्वेज संस्कृत हो। अब देश की राज भाषा अगर संस्कृत होती है तो हमें उसमें कोई उज्र नहीं है। लेकिन जो देश में चार या साढ़े चार करोड़ मुसलमान बसते हैं वे संस्कृत को कभी राज भाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है . . . .

†श्री च० का० भट्टाचार्य : संस्कृत भाषा का अत्यधिक विस्तार मुस्लिम शासन काल में हुआ था। इसलिये माननीय सदस्य की बात गलत है। जगन्नाथ ने, जो शाहजहां के दरबारी कवि थे, अपनी कविता में इस प्रकार लिखा था :—

"दिल्ली वल्लभ-पानि-पल्लव-तले नीतम् नवीनम् वयः" ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : जब हिन्दी को राजकाज की भाषा बनाने की बात की जाती है और हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान लेने की बात की जाती है तो बंगाल के लोग जल्दी सहमत नहीं होते हैं और आपत्तियां खड़ी करते हैं तब मुसलमान लोग जो कि इस कैरेक्टर को भी नहीं जानते हैं, वे संस्कृत को कतई नहीं जानते हैं वे इसके लिये कैसे सहमत होंगे ?

हिन्दी को राजभाषा बनाये जाने के बारे में जो दक्षिण के लोगों का विरोध होता है वह हिन्दी भाषा के लिए ऐतराज नहीं है। यह ऐतराज पोलिटिकल है। श्री राजगोपालाचार्य ने अपने भाषण में हिन्दी के प्रश्न पर कई बार कहा है कि हिन्दी के राजभाषा के पद पर आसीन हो जाने से मद्रास व अन्य दक्षिणवासियों को नौकरियां मिलने में कुछ बाधा पड़ेगी। इसलिये दो लैंग्वेज हिन्दुस्तान की कर दी जायें। हिन्दी नार्थ की भाषा हो और साउथ के लिये दूसरी भाषा हो और दोनों में कार्यवाही हो। अगर ऐसा किये बिना भाषा समस्या हल नहीं हो सकती तो फिर इसे कर दिया जाय लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि अंग्रेजी इस देश में हमेशा के लिये चला करे। बाहर से कोई व्यक्ति जब आकर हमारी पालियामेंट को देखता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह हिन्दुस्तान की पालियामेंट न होकर किसी विदेश की पालियामेंट है। भारतवर्ष की पालियामेंट में सारी कार्यवाही लगभग विदेशी भाषा में होती है और हिन्दुस्तान की भाषा में उसका न होना बाहर के लोगों को अजीब सा लगता है और यह चीज हमारे मन को भी कचोटती है। मैं यह नहीं कहता कि अंग्रेजी न पढ़ाई जाय। अंग्रेजी पढ़ाई जाय लेकिन पालियामेंट की भाषा देश की भाषा अर्थात् हिन्दी होनी चाहिये क्योंकि अगर विदेशी भाषा को ही हमने अपनी पालियामेंट में जारी रखा तो विदेशों में भी हम लोगों की इज्जत कम हो जायेगी। संसार में जितने भी स्वतन्त्र देश हैं सब की अपनी अपनी भाषा है और उसी के माध्यम से वह अपना शासन कार्य चलाते हैं। केवल एक हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है जिसकी कि अपनी भाषा नहीं है। इसलिये मैं तो कहूंगा कि अगर भाषा समस्या के लिये यह आवश्यक ही हो जाय कि देश में दो भाषायें हों, तो वैसा कर देना चाहिये, एक उत्तर की और एक दक्षिण की कर दी जाय लेकिन जल्द से जल्द अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा के पद से हटा कर किसी देशी मातृभाषा और राज भाषा के पद पर आसीन किया जाय और उसके द्वारा राजकाज चलाया जाय।

जहां तक नौकरियों की बात है मेरा एक सुझाव है कि अगर आल इंडिया सर्विसेज में हर एक स्टेट की आबादी के हिसाब से उस के लिये जगहें सुरक्षित कर दी जायं कि कमोबेश इस परसेंट से अमुक अमुक स्टेट के आदमी उनमें रहेंगे तो यह झगड़ा मिट जायगा। सर्विसेज में उचित अनुपात से नौकरियां न मिलने के कारण सर्विस क्लास के लोग इस डिसइंटग्रेशन की बीमारी को ज्यादा उकसाते व उभारते हैं। इस लिये इस ओर उचित व्यवस्था की जानी चाहिये ।

मैंने रिपोर्ट में देखा है कि हिन्दी क्लासेज खुले हैं। कितने ही लोग हिन्दी में शिक्षित हुए हैं लेकिन चूंकि उस शिक्षा को फौलोअप नहीं किया जाता है इसलिये वे फिर जो कुछ हिन्दी उन्होंने सीखी होती है उसको वे भूल जाते हैं। मैं जब जेल में था तो उर्दू फारसी पढ़ता था। उर्दू की पांच, सात किताबें मैंने पढ़ीं और मैंने उर्दू सीखी लेकिन जब जेल से बाहर आया तो उसे भूल गया। अब होता यह है कि क्लासेज में जो पढ़ाया जाता है वह चूंकि बाद में फौलो अप नहीं किया जाता है इसलिये वे

उसको भूल जाते हैं। जो पढ़ें अगर वह प्रैक्टिकल काम में न आये तो उसे भूल जाते हैं। इसलिये आवश्यकता यह है कि हिन्दी क्लासेज तो रक्खे ही जांय लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन में हिन्दी में काम भी शुरू करवाया जाय, नोट्स आदि हिन्दी में लिखवाये जायें तब हिन्दी उनको नहीं भूलेगी।

बस एक बात और कह कर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। करप्शन की इस हाउस में बहुत चर्चा होती है। हर साल और हर अवसर पर करप्शन की चर्चा की जाती है। अब उसकी अगर अधिक चर्चा न हो तो अच्छा होगा क्योंकि क्या तो मिनिस्टर, सरकार या और किसी को अब यह जानने की जरूरत नहीं रह गयी है कि करप्शन हमारे बीच में मौजूद है। मैंने तो कहा था कि कौन ईमानदार है और कौन ईमानदार नहीं है इसके लिये अब बेईमान को खोजना नहीं होगा लेकिन चिराग लेकर हमें यह अवश्य खोजना पड़ेगा कि ईमानदार कहां है। ऐसा मैं इसलिये कहता हूं क्योंकि इस भ्रष्टाचार की व्यापकता बढ़ गयी है। भ्रष्टाचार कहां तक हमारे बीच में घुस गया है इसका पांच सैकेंड में मैं एक उदाहरण दूंगा। मेरे अपने गांव में एक लायब्रेरी बनी। पहले ११,००० रुपया गवर्नमेंट से ऐडवांस मिला। उसके बाद उसका एस्टिमेट बना तो वह ७,६०० रुपये का होगया। उसमें गवर्नमेंट को आधा रुपया देना था। गवर्नमेंट को आधा रुपया अर्थात् ३८०० रुपया डेवलपमेंट फंड से देना था लेकिन आज तक वह रुपया नहीं मिल सका है। प्राविंस वालों ने कहा कि अगर २५० रुपया उन्हें दे दिया जाय, १२५ रुपया प्राविंशियल आफिस के लिये और १२५ रुपया डिस्ट्रिक्ट आफिस के लिये अगर मैं उन्हें दिलवा दूं तो वह यह रुपया दिलवा देंगे और यह काम करवा देंगे। चूंकि मैंने उसको मना कर दिया इस लिये वह आज तक रुपया नहीं मिला है। मैं ने बार बार लिखा पढ़ी की और वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को भी इस बारे में लिखा लेकिन पांच साल हो गये आज तक वह रुपया नहीं मिला। इससे अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार कितने व्यापक रूप में फैला हुआ है। अब बार-बार कहने से भ्रष्टाचार फैला हुआ है क्या बनता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० एस० पाण्डेय। माननीय सदस्य अपना भाषण शुरू करेंगे और उसके बाद हम हाउस को एडजर्न करेंगे। मेरे पास जिन ग्यारह माननीय सदस्यों के नाम आए हैं, कल मैं जरूर उन को वक्त दूंगा।

श्री रा० शि० पांडेय (गुना) : अध्यक्ष महोदय, गृह-मंत्रालय के १९६२-६३ के वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका हमारे सम्मुख है। गृह-मंत्रालय के कार्यों में मुख्य रूप से शांति रखना, लोक-सेवाओं की भर्ती, संघीय क्षेत्रों का प्रशासन, जन-शक्ति की समस्याओं का अध्ययन, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण आते हैं। इस पुस्तिका का अध्ययन करने के बाद सहसा इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है कि हम ......

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपनी भावना को कल प्रकट करें।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २९ मार्च, १९६३/८ चैत्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

[दैनिक संक्षेपिका]

गुरुवार, २८ मार्च, १९६३

७ चैत्र, १८८५ (शक)

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२९०९—३१
तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
६२२	गवर्नमेंट प्रेस, फरीदाबाद में ब्लाक बनाना	२९०९-१०
६२३	सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों के लिये भूमि का अर्जन	२९११-१२
६२४	रेंड बांध परियोजना से बिजली	२९१३—१५
६२५	नदी बोर्ड	२९१५—१७
६२६	विदेशी सहयोगियों के साथ बात चीत के लिये समिति	२९१७-१८
६२७	दिल्ली में औद्योगिक प्रयोजनों के लिये विद्युत् का संभरण	२९१९-२०
६२८	नेपाल में त्रिशूली परियोजना	२९२१-२२
६२९	सरकारी कर्मचारियों को जमीन का आवंटन	२९२२-२३
६३०	संसद् सदस्यों के लिए मकान	२९२३—२५
६३१	स्टीम बायलर	२९२५-२६
६३२	सांताक्रुज़ हवाई अड्डे पर घड़ियों का पकड़ा जाना	२९२६-२७
६३३	फारस की खाड़ी के देशों के लिए भारतीय मुद्रा	२९२७-२८
६३४	मानसिक रोग	२९२८—३०
६३५	दिल्ली जल संभरण	२९३०—३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२९३२—५४
तारांकित प्रश्न संख्या		
६३६	चेचक के टीके	२९३२
६३७	सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का दिया जाना	२९३२-३३
६३८	दिल्ली में यमुना पर बांध	२९३३
६३९	सरकार का लेखन सामग्री (स्टेशनरी) का बिल	२९३३
६४०	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	२९३३-३४
६४१	राजधानी में कार्यालयों के लिए स्थान	२९३४

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१२४१	स्वर्ण उत्पादन	२६३४
१२४२	सरकारी अफसरों की विदेश यात्रायें	२६३४
१२४३	दण्डकारण्य कर्मचारी	२६३५
१२४४	केरल की नदियों का पानी	२६३५
१२४५	राष्ट्रीय रक्षा कोष में केरल का अंशदान	२६३६
१२४६	गांजा, भांग, चरस और अफीम	२६३६
१२४७	दण्डकारण्य परियोजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	२६३७
१२४८	उड़ीसा में सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें	२६३७
१२४९	मचकुंद और हीराकुड परियोजनायें	२६३८
१२५०	उड़ीसा में रक्त दान	२६३९
१२५१	उड़ीसा में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	२६३९
१२५२	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	२६३९
१२५३	भारत सहायता "क्लब"	२६४०
१२५४	तुंगभद्रा उच्चस्तर परियोजना	२६४०
१२५५	इंधन की बरबादी	२६४१
१२५६	पेंशनभोगी	२६४१
१२५७	अन्यतामापी केन्द्र	२६४२
१२५८	दिल्ली में 'सी' थर्मल स्टेशन	२६४२
१२५९	राष्ट्रीय रक्षा कोष में अंशदान	२६४२
१२६०	रबी और खरीफ की फसलों की सिंचाई में कमी	२६४२–४३
१२६१	मनीपुर लोक निर्माण विभाग इंजीनियर	२६४३
१२६२	चोरी छिपे लाया या ले जाये जाने वाला सोना	२६४३
१२६३	बर्मा में भारतीय जीवन बीमा निगम के बर्मी कर्मचारी	२६४३–४४
१२६४	जूट का अल्प-बीजक निर्यात	२६४४
१२६५	पश्चिमी पाकिस्तान के उत्प्रवासी	२६४४
१२६६	छोटे पैमाने के बैटरी निर्माताओं पर उत्पादन शुल्क	२६४५
१२६७	औद्योगिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र आयुक्त	२६४५
१२६८	कम्पनियों द्वारा पूंजी निर्गम	२६४५–४६

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१२६९	चेचक के टीके का आयात	२१४६–४७
१२७०	सन्तति-निरोध के टीके	२१४७
१२७१	वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों की संख्या	२१४७–४८
१२७२	दिल व सांस की बीमारियां	२१४८
१२७३	दामोदर घाटी निगम के मुख्य कार्यालय का स्थानान्तरण	२१४८–४९
१२७४	नेपाल से बिजली की खरीद	२१४९
१२७५	दिल्ली में बिजली का अन्त्येष्टि-यंत्र	२१४९
१२७६	शान्ता क्रुज हवाई अड्डे पर हीरों का पकड़ा जाना	२१५०
१२७७	बैंक आफ चाइना	२१५०
१२७८	मध्य प्रदेश का रहस्यमय रोग	२१५०–५१
१२७९	सरकारी अस्पतालों में डाक्टर	२१५१
१२८०	पंजाब में कर की वसूली	२१५१
१२८१	पंजाब में ग्राम विद्युतीकरण	२१५१
१२८२	दण्डकारण्य में वर्क सेन्टर	२१५२
१२८३	दण्डकारण्य परियोजना	२१५२
१२८४	अल्प-बचत प्रमाणपत्र	२१५२
१२८५	पुरानी दिल्ली के कारखानों का बन्द हो जाना	२१५२–५३
१२८६	मद्रास राज्य में ग्राम विद्युतीकरण	२१५३
१२८७	मद्रास राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम	२१५३–५४
१२८८	रामाकृष्णापुरम् कालोनी, नई दिल्ली	२१५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१५४

(१) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा २५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत, वर्ष १९६१-६२ के लिए दिल्ली विकास प्राधिकार प्रमाणीकृत लेखे की एक प्रति तत्संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित ।

(२) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ९ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४२३ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति ।

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

(३) याचिका समिति की वर्तमान सत्र में हुई तीसरी और चौथी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

याचिका समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २९५५

पहिला प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अनुदानों की मांगें . . . . २९५५—३०१९

(१) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

(२) गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा प्रारम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शुक्रवार, २९ मार्च, १९६३ / ८ चैत्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि .

गृहकार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार।

	पृष्ठ
श्री प्रताप सिंह	२९८८—९१
श्री गौरी शंकर कक्कड़	२९९१—९५
श्री सुबोध हंसदा	२९९५—९६
श्रीमती चन्द्रशेखर	२९९६—९८
श्री ह० च० सौय	२९९८—३००२
श्री च० का० भट्टाचार्य	३००२—०३
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	३००३—०५
श्री सुब्रह्मण्यम	३००५—०६
श्री यशपाल सिंह	३००६—११
श्री मोहसिन	३०११—१२
श्री द्वा० ना० तिवारी	३०१२—१६
दैनिक संक्षेपिका	३०१७—२०
समेकित विषय सूची	

[१८ से २८ मार्च, १९६३/२७ फाल्गुन, १८८४ से ७ चैत्र, १८८५ (शक)]

PLS. 41. XV. 30. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।